इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

India Post
Payments Bank

व्यापक समावेशन
उद्देश्यपूर्ण नव-परिवर्तन

जन-केंद्रित बैंकिंग के भविष्य की ओर अग्रसर

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

वार्षिक रिपोर्ट
2024–25

प्रस्तावना

पिछले वर्ष पर नजर डालते हुए, आईपीपीबी ने वित्तीय समावेशन के अपने मिशन की दिशा में मजबूत प्रगति जारी रखी है, जिसमें नवाचार और उद्देश्य का संतुलन शामिल है। बैंक ने नई सेवाएं शुरू की हैं, पिछड़ी और अविकसित समुदायों तक अपनी पहुंच को गहरा किया है, और सरल, सुरक्षित एवं समावेशी वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाया है। तेजी से बदलते वित्तीय इकोसिस्टम के बीच, आईपीपीबी बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आसानी से उपलब्ध हों, खासकर उन लोगों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से बैंकिंग से बाहर रहे हैं।

मोबाइल बैंकिंग और विश्वसनीय डोरस्टेप सेवा द्वारा संचालित हमारे डिजिटल–फर्स्ट मॉडल ने बैंकिंग को लाखों लोगों के करीब लाने में मदद की है। वित्त वर्ष 2024–25 में, आईपीपीबी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की – 11.67 करोड़ से अधिक ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया। यह हमारी यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है, जो एक नागरिक–केंद्रित, तकनीक–सक्षम संस्थान के रूप में हमारी बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करता है।

हमारा लक्ष्य स्पष्ट है हर भारतीय के लिए वित्तीय सेवाओं को सुलभ, किफायती और पहुंचने योग्य बनाना। इसी उद्देश्य से, हम ऐसी योजनाएँ बनाते और लागू करते रहते हैं जो अंतिम छोर के ग्राहक की जरूरतों को पूरा करती हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करके, बिचौलियों को हटाकर, सब्सिडी का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) अंतिम छोर तक सुलभ बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यापारियों का अधिग्रहण करके इस कार्य में सहयोग करता है।

सहयोग, नवाचार और विश्वास के माध्यम से, आईपीपीबी ने पूरे देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) ढाँचों के साथ तालमेल बिठाकर, हम सुरक्षित, तकनीक–संचालित सेवाओं के माध्यम से सार्थक प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ हमारी साझेदारियों ने हर वर्ग की सेवा करने की हमारी क्षमता को मजबूत किया है, जिससे सार्वजनिक–नेतृत्व वाली बैंकिंग बदलाव की एक वास्तविक शक्ति बन गई है।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आईपीपीबी बाधाओं को दूर करने, डिजिटल पहुँच बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बड़े पैमाने पर समावेशन और उद्देश्यपूर्ण नवाचार के साथ, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहाँ प्रत्येक नागरिक को विकास और समृद्धि का अवसर मिले।

बैंक को परिभाषित करने वाली संख्याएँ

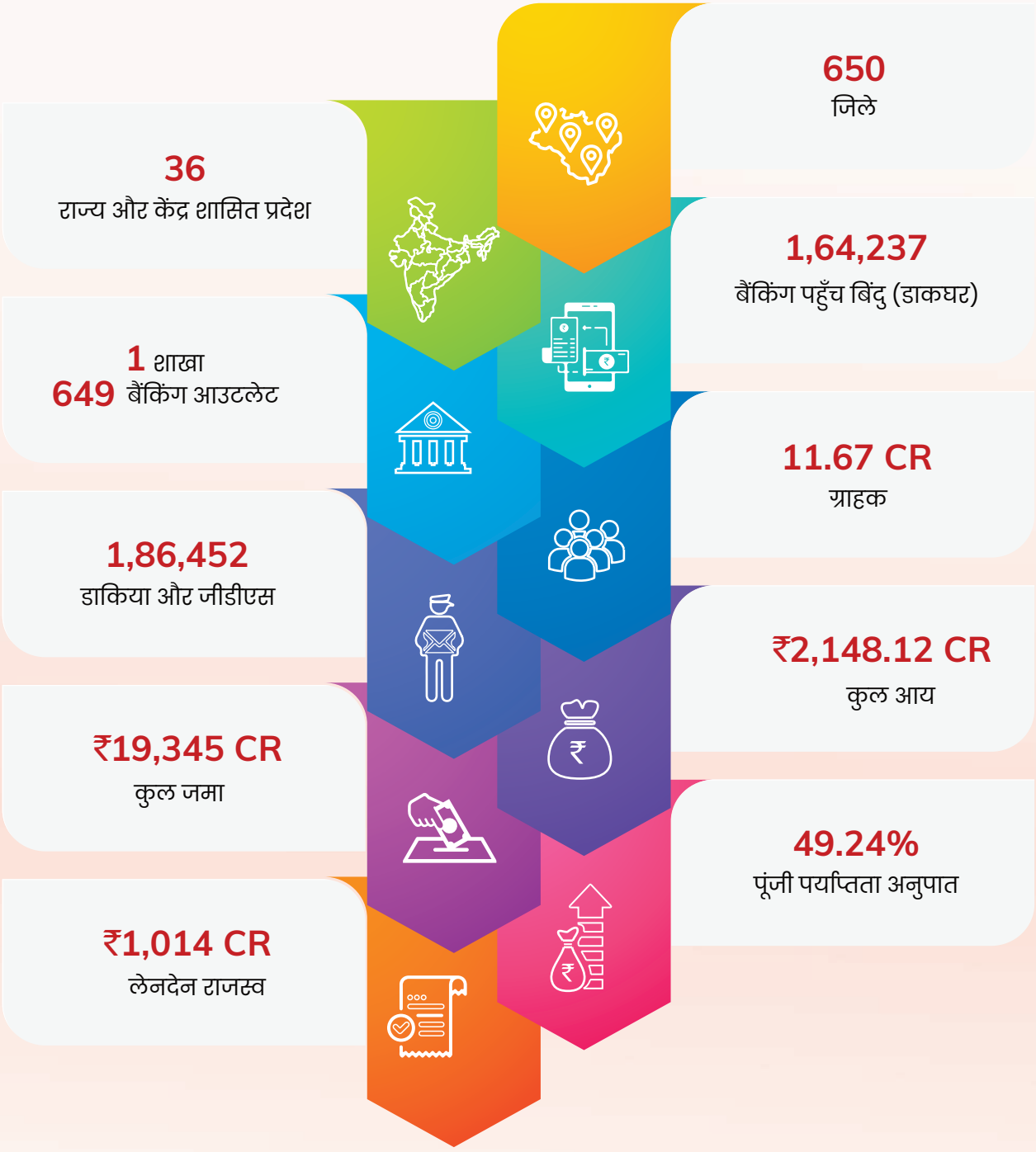

सूचकांक

1. अध्यक्ष का संदेश 4

2. एमडी एवं सीईओ का संदेश 5

3. निदेशक मंडल 6

4. आईपीपीबी पर एक नजर 7

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में 7
- विजन, मिशन और मूल्य 8
- उत्पादों और सेवाओं का व्यापक समूह 8
- ग्राहक वर्ग 9
- विस्तारित उपस्थिति 10

5. प्रमुख व्यावसायिक विशेषताएँ 11

6. प्रमुख मील के पत्थर और उपलब्धियाँ 11

7. विकास और परिवर्तन के पदचिह्न 12

8. कार्यात्मक विशेषताएँ 13

- विपणन 14
- उत्पाद 16
- ग्राहक सेवा 17
- सूचना सुरक्षा 18
- सूचना प्रौद्योगिकी 20
- जोखिम प्रबंधन 21
- मानव संसाधन 23
- संचालन 24
- वितरण 25
- अनुपालन 26

9. पुरस्कार, सम्मान और प्रमुख कार्यक्रम 27

- पुरस्कार और सम्मान 27
- प्रमुख मीडिया कवरेज 28
- प्रमुख कार्यक्रम 31

10. सांविधिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण 34

- निदेशक की रिपोर्ट 35
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 48
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे 62
- सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 112
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 116

अध्यक्ष का संदेश

मुझे वित्त वर्ष 2024–2025 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के मजबूत प्रदर्शन और रणनीतिक नवाचार के एक और वर्ष का प्रतीक है। यह वर्ष पूरे देश में वित्तीय समावेशन को गहरा करने और डिजिटल बैंकिंग को व्यापक बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हमारी स्थायी शक्ति आईपीपीबी और इंडिया पोस्ट नेटवर्क के व्यापक फैलाव के बीच की अद्वितीय समन्वय में निहित है। 1.86 लाख से अधिक डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों के सक्रिय सहयोग से, हमने भारत के दूरदराज और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में ग्राहकों के घर तक डिजिटल वित्तीय सेवाएँ पहुँचाई हैं। ये डाककर्मी न केवल सेवाएँ पहुंचा रहे हैं, बल्कि अंतिम छोर तक वित्तीय जागरूकता और विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं।

हमारा डिजिटल–प्रथम बैंकिंग मॉडल अब 1.64 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स के माध्यम से प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है, जो हर लेनदेन में सहजता, गति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिणाम स्वयं ही इसकी गवाही देते हैं मार्च 2024 में जहां हमारे ग्राहकों की संख्या 8.82 करोड़ थी, वहीं मार्च 2025 तक यह बढ़कर 11.67 करोड़ हो गई, जो 32% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यह करोड़ों लोगों के वित्तीय जीवन में आईपीपीबी की बढ़ती प्रासंगिकता का प्रमाण है।

हमारे डिजिटल वित्तीय लेन–देन में भी परिवर्तनकारी वृद्धि देखी गई है। डिजिटल वित्तीय लेनदेन की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, जो 608 करोड़ से बढ़कर 1,289 करोड़ हो गई है, यानी 112% की वृद्धि, जबकि इन लेनदेन का मूल्य 88% बढ़कर ₹6.51 लाख करोड़ से ₹12.24 लाख करोड़ हो गया है। ये आँकड़े न केवल पैमाने को दर्शाते हैं, बल्कि आईपीपीबी के सुरक्षित और सुलभ प्लेटफॉर्म में बढ़ते विश्वास को भी दर्शाते हैं।

हमने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, डीबीटी लाभार्थियों की संख्या 3.04 करोड़ से बढ़कर 5.12 करोड़ हो गई है, जो मात्र एक वर्ष में 70% की वृद्धि है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधे और प्रभावी रूप से सही लोगों तक, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, पहुँच सके।

जिटल सहभागिता में वृद्धि का एक और प्रमाण यह है कि पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में डिजिटल भुगतान 42% की दर से बढ़कर ₹13,915 करोड़ (वित्त वर्ष 2023–24) से ₹19,708 करोड़ (वित्त वर्ष 2024–25) तक पहुँच गए। इसी प्रकार, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स (पोसा) से जुड़े आईपीपीबी खातों की संख्या, जो अंतर–संचालन योग्य बैंकिंग को सक्षम बनाती है, 35.36 लाख से बढ़कर 44.34 लाख हो गई, जो साल–दर–साल 25% की वृद्धि दर्शाती है।

पेंशनभोगियों और बुजुर्गों की सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस वर्ष 24.77 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से भी मजबूत हुई, जिससे उन्हें अपने लाभों तक पहुंचने का एक सहज और सम्मानजनक तरीका मिल गया।

सभी मानदंडों पर, आईपीपीबी की प्रगति उल्लेखनीय रही है, लेकिन जो चीज हमें सबसे अलग बनाती है, वह है हमारे द्वारा सक्षम किए गए समावेशन की गुणवत्ता। हमारे 77% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, आईपीपीबी जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए एक वास्तविक शक्ति बना हुआ है, जो डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक समता के बीच एक सेतु का निर्माण कर रहा है।

ये उपलब्धियाँ केवल हमारे समर्पित टीमों की कड़ी मेहनत, इंडिया पोस्ट के साथ हमारे स्थायी साझेदारी, और हमारे ग्राहकों के बढ़ते विश्वास के कारण ही संभव हो पाई हैं। आगे बढ़ते हुए, आईपीपीबी दृढ़ता से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि तकनीक और मानव नेटवर्क का उपयोग करके हर भारतीय, चाहे उसका भौगोलिक स्थान या पृष्ठभूमि कोई भी हो, को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।

हमें भारत सरकार के वित्तीय रूप से समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त समाज के दृष्टिकोण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर गर्व है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत में बैंकिंग के भविष्य को नया आकार देते रहेंगे–इसे और अधिक समावेशी, अधिक संबद्ध और अधिक मानवीय बनाते रहेंगे।

वंदिता कौल
सचिव (डाक) एवं अध्यक्ष
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

"यह वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और कृतज्ञता की अनुभूति हो रही है। एक ऐसे बैंक का नेतृत्व करना मेरे लिए गौरव की बात है, जो निरंतर नई ऊँचाइयों को छू रहा है और देशभर के लोगों के जीवन में सार्थक परिवर्तन ला रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की यात्रा उद्देश्य, प्रगति और गहरे सामाजिक प्रभाव की रही है।"

कुछ ही वर्षों में, आईपीपीबी ने विश्वास और समावेशिता की एक मजबूत नींव तैयार की है। हमारी वृद्धि हर नागरिक, खासकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को उनके द्वार तक पहुँचाने के मिशन से प्रेरित है। डिजिटल नवाचार और भारतीय डाक के अद्वितीय नेटवर्क के शक्तिशाली संयोजन ने हमें पहले से कहीं अधिक कुशलता से और अधिक लोगों को सेवा प्रदान करने में मदद की है।

यह वर्ष वास्तव में असाधारण रहा है। 31 मार्च 2024 तक हमारे कुल ग्राहकों की संख्या 8.82 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 11.67 करोड़ हो गई यह 32% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है, जो अब तक की हमारी सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। इनमें से 77% ग्राहक ग्रामीण भारत से हैं, जो अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

हमारे कासा जमा राशि में 67% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जो ₹11,552 करोड़ से बढ़कर ₹19,345 करोड़ हो गई। यह हमारे ग्राहकों के बढ़ते विश्वास और जुड़ाव को दर्शाता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेनदेन का मूल्य ₹33,856 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के ₹31,158 करोड़ से बढ़कर ₹33,856 करोड़ हो गया – पहले से ही उच्च मात्रा के बावजूद 9% की वृद्धि। हमारा कुल लेनदेन राजस्व ₹1,014 करोड़ रहा, जो हमारी स्थिर वित्तीय गति को और दर्शाता है।

आईपीपीबी की डिजिटल पहुँच में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ। हमारी मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड संख्या 3.01 करोड़ से बढ़कर 4.25 करोड़ हो गई, जो 41% की वृद्धि है इससे ग्राहकों को अधिक सुविधा और पहुंच प्राप्त हुई है। अब तक हम 2.34 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड जारी कर चुके हैं, जो ग्राहकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से सहज रूप से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं।

हमारे समावेशी दृष्टिकोण की एक विशेष झलक हमारे ग्राहकों की जनसांख्यिकी में मिलती है। मार्च 2025 तक, हमारे 48% खाता धारक महिलाएं हैं, और महिलाओं के 60% खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है। इसके अलावा, 96% खाते माइक्रो–एटीएम का उपयोग करके ग्राहकों के घर पर ही खोले गए, और इनमें से 65% खाते आधार–सक्षम हैं, जिससे सुरक्षित और अंतर–संचालनीय बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित होती हैं।

वर्ष के प्रमुख क्षणों में से एक था प्रयागराज महाकुंभ में आईपीपीबी की उपस्थिति, जहाँ हमने भारी भीड़ वाले क्षेत्रों में जमीनी बैंकिंग अभियान चलाए। इस दौरान हमने हजारों श्रद्धालुओं के लिए एईपीएस लेनदेन, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट, और खाते खोलने जैसी सेवाएं प्रदान कीं जिससे हमारे ब्रांड की छवि "भारत का सबसे सरल बैंक" के रूप में और भी मजबूत हुई।

हमारा डाकिया नेटवर्क–डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक – हमारे कार्यों का केंद्र बने हुए हैं। उनके अथक प्रयास सेवा प्रदान करने से कहीं आगे जाते हैं; वे जागरूकता पैदा करते हैं, ग्राहकों को शिक्षित करते हैं, और भारत के गाँवों और कस्बों में बैंक के विश्वसनीय मानवीय चेहरे के रूप में कार्य करते हैं। हमारे मोबाइल बैंकिंग ऐप, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं और सरलीकृत, समावेशी पेशकशों के माध्यम से, आईपीपीबी लगातार आम भारतीयों का पसंदीदा बैंक बनता जा रहा है। हमारा दृष्टिकोण उद्देश्यपूर्ण तकनीक को गहन सामुदायिक जुड़ाव के साथ जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि भारत की डिजिटल विकास गाथा में कोई भी पीछे न छूटे।

आगे बढ़ते हुए, मैं अपने बोर्ड, हितधारकों, साझेदारों और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे समर्पित कर्मचारियों और वफादार ग्राहकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका विश्वास और समर्थन हमारे मिशन को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा।

हम मिलकर भारत के लिए एक अधिक मजबूत, अधिक समावेशी वित्तीय भविष्य का निर्माण करते रहेंगे।

आर. विश्वेश्वरन
एमडी और सीईओ

निदेशक मंडल

श्रीमती वंदिता कौल
अध्यक्ष
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

श्री आर विश्वेश्वरन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

श्रीमती भूमिका वर्मा
नामित निदेशक

श्री श्रीकांत नामदेव
नामित निदेशक

श्रीमती राजुल भट्ट
नामित निदेशक

डॉ0 जतिन कुमार मोहंती
स्वतंत्र निदेशक

श्री वीणय गानू
स्वतंत्र निदेशक

श्री नवनीत कक्कड़
स्वतंत्र निदेशक

श्री कलियानन ए
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती जयश्री व्रजलाल दोशी
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव	:	श्रीमती प्रियंका भटनागर
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मेसर्स अंबानी एंड एसोसिएट्स
सचिवीय लेखा परीक्षक	:	वी.ए.पी. एंड एसोसिएट्स
मुख्य वित्तीय अधिकारी	:	श्री अनूप ई.एस.
पंजीकृत कार्यालय	:	स्पीड पोस्ट सेंटर, भाई वीर सिंह मार्ग, मार्केट रोड, नई दिल्ली-110001

आईपीपीबी पर एक नजर
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना 30 जनवरी 2017 को हुई थी और इसकी पहली पायलट शाखाएँ रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्थापित की गई थीं। इसे आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर 2018 को पूरे देश में लॉन्च किया गया, जो भारत के हर कोने में औपचारिक बैंकिंग लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और डिजिटल खाई को पाटने के अपने स्पष्ट लक्ष्य के साथ, आईपीपीबी सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कम नकदी वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईपीपीबी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे वे ग्राहकों और गैर–ग्राहकों दोनों के लिए सुलभ हो जाती हैं।

बैंकिंग को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए, डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं को सीधे लोगों के घरों तक पहुँचा रही है। अपनी स्थापना के बाद से, आईपीपीबी डिजिटल बैंकिंग में अग्रणी रहा है, और 1 केंद्रीय शाखा, 649 बैंकिंग आउटलेट और 1,64,237 एक्सेस पॉइंट्स के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

आज के डिजिटल युग में, आईपीपीबी आसान, किफायती और तकनीक–आधारित वित्तीय समाधानों के महत्व को समझता है। शहरी और ग्रामीण, ग्राहक सिर्फ एक क्लिक से आईपीपीबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप, व्हाट्सएप बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग के जरिए सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये सेवाएँ उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हैं जहाँ इंटरनेट की पहुँच सीमित है, और यह सुनिश्चित करती हैं कि बैंकिंग निर्बाध और सुलभ बनी रहे।

आईपीपीबी के उत्पाद पोर्टफोलियो में बचत खाते, बीमा सेवाएं और ऋण रेफरल सेवाएं शामिल हैं।

आधार सक्षम भुगतान सेवाओं (एईपीएस) के साथ, ग्राहक अपने आधार–लिंक्ड खातों और आधार–सक्षम उपकरणों के माध्यम से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं।

डोरस्टेप बैंकिंग में नकद जमा और निकासी, आधार सीडिंग, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) सेवाएं, आधार के लिए चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी), बिल भुगतान और कई अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं।

आईपीपीबी मर्चेंट सर्विसेज के जरिए छोटे व्यवसायों को भी सहायता प्रदान करता है, जिससे दुकानदारों को 'डिजिटल दुकानदार' बनने में मदद मिलती है। क्यूआर कोड–आधारित भुगतानों के जरिए, व्यापारी सीधे अपने बैंक खातों में धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास बैंक के समर्पण के बिना संभव नहीं होता। डाक सेवक और डाक कर्मचारी, जो जमीनी स्तर पर ग्राहकों को सेवाएं और वित्तीय शिक्षा प्रदान करते हैं।

11.67 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ, आईपीपीबी भारत भर में प्रत्येक नागरिक के लिए समावेशी, विश्वसनीय और जन–प्रथम बैंकिंग का प्रतीक बना हुआ है।

विजन और मिशन

विज़न	आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय बैंक का निर्माण
मिशन	बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच के लिए बाधाओं को दूर करके और लागत को कम करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना
मूल्य	• सुलभता • सामर्थ्य • बैंकिंग में आसानी • वित्तीय साक्षरता • डिजिटल इकोसिस्टम

उत्पादों और सेवाओं का व्यापक समूह

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का लक्ष्य देश का सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद, किफायती और ग्राहक–हितैषी बैंक बनना है। आईपीपीबी भारत के कोने–कोने में डिजिटल बैंकिंग पहुँचाने और लोगों के दरवाजे तक वित्तीय सेवाएँ आसानी से पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक शाखा जाने की जरूरत को खत्म करके, आईपीपीबी ने बैंकिंग के काम करने के तरीके को बदल दिया है। नकद निकासी, क्यूआर भुगतान, और आधार लिंकेज व पंजीकरण जैसी सेवाएँ अब बस एक टैप की दूरी पर हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, आईपीपीबी ने ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया है। आईपीपीबी की पेशकशें न केवल डाकघर ग्राहकों, बल्कि गैर–ग्राहकों, व्यापारियों, सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवा उपयोगकर्ताओं और सीधे आने वाले ग्राहकों की भी सेवा के लिए डिजाइन की गई हैं। सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में बचत और चालू खाते, धन हस्तांतरण सेवाएँ, वर्चुअल डेबिट कार्ड, पीओएसए लिंकेज, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), बीमा और ऋण रेफरल सेवाएँ, घर बैठे नकद जमा और निकासी, बिल भुगतान, आदि शामिल हैं। इन सेवाओं के माध्यम से, आईपीपीबी बैंकिंग को सभी के लिए सरल, अधिक समावेशी और अधिक सुविधाजनक बना रहा है।

बैंकिंग सेवाएँ

-बचत खाता
-चालू खाता
-निधि स्थानांतरण
-बिल भुगतान
-रूपे वर्चुअल
-डेबिट कार्ड
-भीम - यूपीआई
-डाकघरों में डिजिटल भुगतान
-स्वीप-इन/आउट सुविधा
-व्यापारिक सेवाएँ

सार्वभौमिक सेवाएँ

-प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
-डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
-आधार-मोबाइल नंबर अपडेट
- बाल आधार नामांकन
-आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)
-डाकपे यूपीआई पीएसपी ऐप
-नकद से बिल भुगतान
-पीएमजेजेबीवाई

धन प्रबंधन सेवाएँ

जीवन बीमा (टर्म, वार्षिकी और एंडोमेंट)
-सामान्य बीमा (मोटर, स्वास्थ्य, समूह दुर्घटना)
-म्यूचुअल फंड्स

डाक भुगतान सेवाएँ

- आईपीपीबी-पीओएसए लिंकेज
- डाकघर योजनाओं (पीएलआई/आरपीएलआई, एसएसए, पीपीएफ, आरडी और एलएआरडी) के लिए डिजिटल भुगतान

ऋण रेफरल सेवाएँ

- गृह ऋण
- वाहन ऋण
-व्यक्तिगत कर्ज़
-स्वर्ण ऋण
-केसीसी ऋण
-संपत्ति के विरुद्ध ऋण

ग्राहक खंड

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं वाले एक विस्तृत और विविध ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करता है। इन विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आईपीपीबी विभिन्न समूहों के लिए व्यक्तिगत सेवाएँ और समाधान प्रदान करता है।

ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बचत खाते खोल सकते हैं, जिनमें प्रीमियम, नियमित, बेसिक और डिजिटल बचत खाते शामिल हैं। जिन लोगों के पास पहले से ही डाकघर बचत खाता (पोसा) है, उनके लिए आईपीपीबी लिंकिंग सुविधा प्रदान करता है ताकि वे बिना किसी नुकसान के अपने मौजूदा खाते और आईपीपीबी की आधुनिक डिजिटल सेवाओं, दोनों का लाभ उठा सकें।

सेवानिवृत्त **वरिष्ठ नागरिकों** के लिए, आईपीपीबी उनके घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे बुजुर्गों का जीवन आसान और अधिक सुविधाजनक हो जाता है। अपने मोबाइल बैंकिंग और डोरस्टेप बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आईपीपीबी आधार सीडिंग और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) सेवाएँ भी प्रदान करता है। आधार को अपने बैंक खातों से जोड़कर, ग्राहक विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकते हैं और अधिक आसानी से लेनदेन कर सकते हैं। सीईएलसी सेवाएँ **माता–पिता** को घर बैठे ही पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का आधार नामांकन करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

छोटे व्यवसाय मालिक आईपीपीबी की मर्चेंट सेवाओं, जिन्हें डिजिटल दुकान भी कहा जाता है, का लाभ उठा सकते हैं, जो सरल क्यूआर–आधारित भुगतान समाधान प्रदान करती हैं जिससे उन्हें लेनदेन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलती है। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का लाभ मिलता है, जिससे उन्हें सरकारी सब्सिडी सीधे उनके आधार–लिंक्ड खातों में मिलती है, जिससे समय पर और पारदर्शी वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है।

दीन दयाल उपाध्याय के तहत **छात्रों** को सुचारू और विश्वसनीय छात्रवृत्ति वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। दयाल स्पर्श योजना, उन्हें आर्थिक तंगी की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। गृहिणियाँ आईपीपीबी की मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके गैस, बिजली, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज और बीमा प्रीमियम जैसे बिलों के भुगतान के लिए अपने घरेलू खर्चों का आसानी से प्रबंधन कर सकती हैं। एक–क्लिक लेनदेन दैनिक वित्तीय प्रबंधन को तनावमुक्त और सुरक्षित बनाता है।

धन हस्तांतरण के लिए, आईपीपीबी मोबाइल और डोरस्टेप बैंकिंग, दोनों के माध्यम से एनईएफटी, आईएमपीएस और घरेलू प्रेषण जैसी सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए कभी भी, कहीं भी धन भेजना आसान हो जाता है। **बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग** सेवाओं का लाभ उठाने वालों तक पहुँचने के लिए, आईपीपीबी आधार–सक्षम भुगतान सेवाएँ (एईपीएस) और घरेलू धन हस्तांतरण (डीएमटी) प्रदान करता है। एईपीएस एक माइक्रो एटीएम की तरह काम करता है, जिससे लोग केवल अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण का उपयोग करके धन निकाल या भेज सकते हैं।

ये सेवाएँ **शहरी प्रवासियों** के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो नियमित रूप से अपने परिवारों की मदद के लिए पैसे भेजते हैं। आईपीपीबी की सभी पेशकशें बैंकिंग को सरल, समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं चाहे वे मौजूदा ग्राहक हों या नए उपयोगकर्ता।

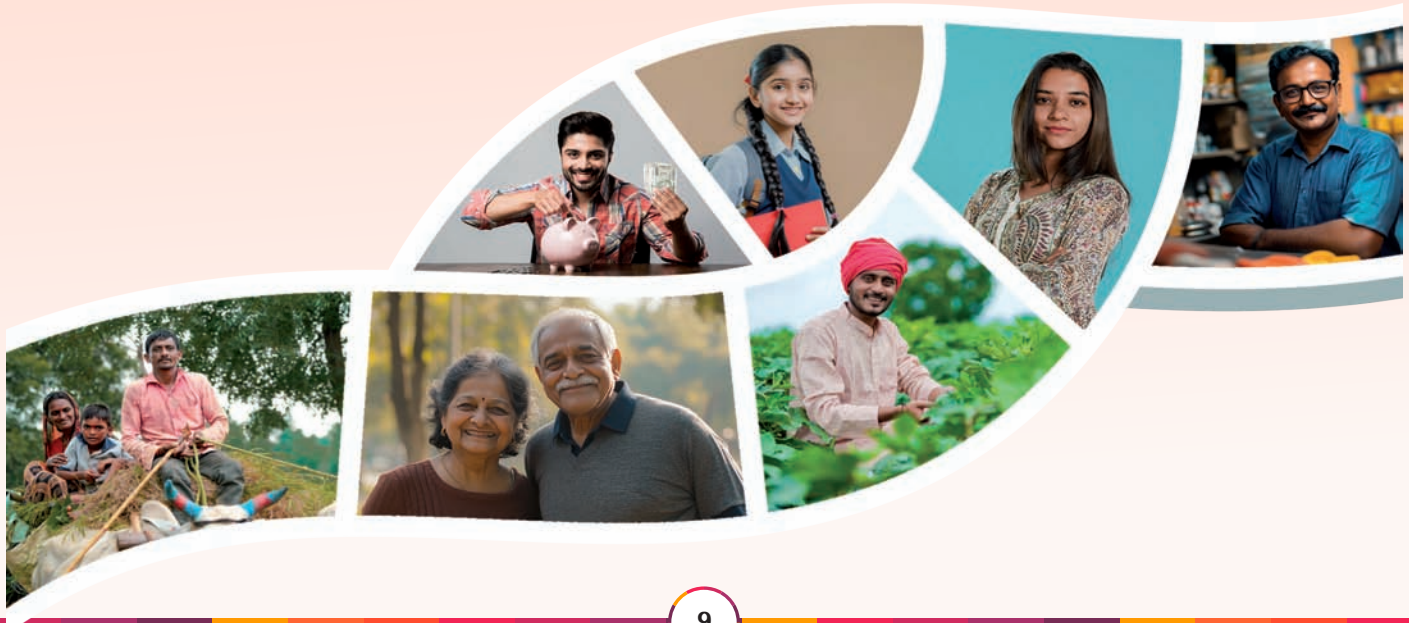

बढ़ते पदचिह्न

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) पारंपरिक सेवाओं को आधुनिक डिजिटल समाधानों के साथ सहजता से जोड़कर भारत में बैंकिंग में बदलाव ला रहा है। पूरे देश में अपनी उपस्थिति के साथ, आईपीपीबी वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 11.67 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की वित्तीय जरूरतों को भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए पूरा करता है।

भारतीय डाक के विश्वसनीय बुनियादी ढाँचे द्वारा समर्थित, आईपीपीबी एक मजबूत नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है जिसमें एक मुख्यालय, 649 बैंकिंग आउटलेट और 1,64,237 से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट शामिल हैं। यह व्यापक पहुँच हमें सबसे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

आईपीपीबी डिजिटल वित्त की उभरती दुनिया में अग्रणी बना हुआ है, तथा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बैंकिंग को सुलभ, समावेशी और सशक्त बना रहा है।

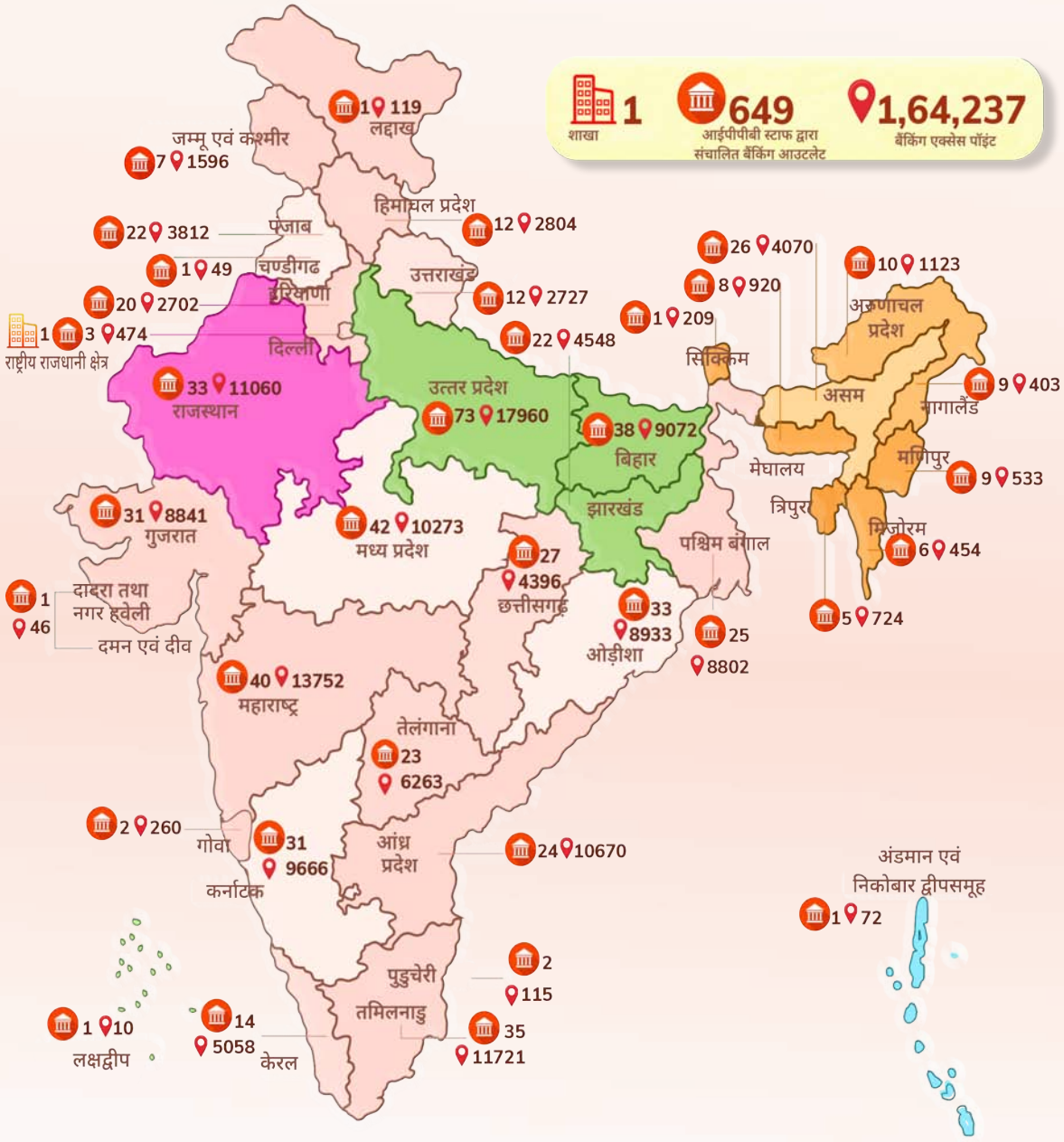

प्रमुख व्यावसायिक मुख्य अंश

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि % में
ग्राहकों की कुल संख्या (करोड़)	8.82	11.67	32%
कुल जमा राशि (₹ करोड़)	11,552	19,345	67%
डिजिटल वित्तीय लेनदेन (करोड़)	651,759	1,224,092	88%
डिजिटल वित्तीय लेनदेन (करोड़)	608	1,289	112%
एईपीएस लेनदेन (₹ करोड़)	31,158	33,856	9%
कुल डीबीटी लाभार्थी (करोड़)	3.04	5.12	70%
डाकघर योजनाओं (पीपीएफ/एसएसवाई/आरडी/लार्ड) के लिए डिजिटल भुगतान (₹ करोड़)	13,915	19,708	42%
मोबाइल ऐप डाउनलोड (करोड़)	3.01	4.32	41%
पीओएसए से जुड़े आईपीपीबी खाते (लाख)	35.36	44.34	25%

प्रमुख उपलब्धियाँ और सफलताएं

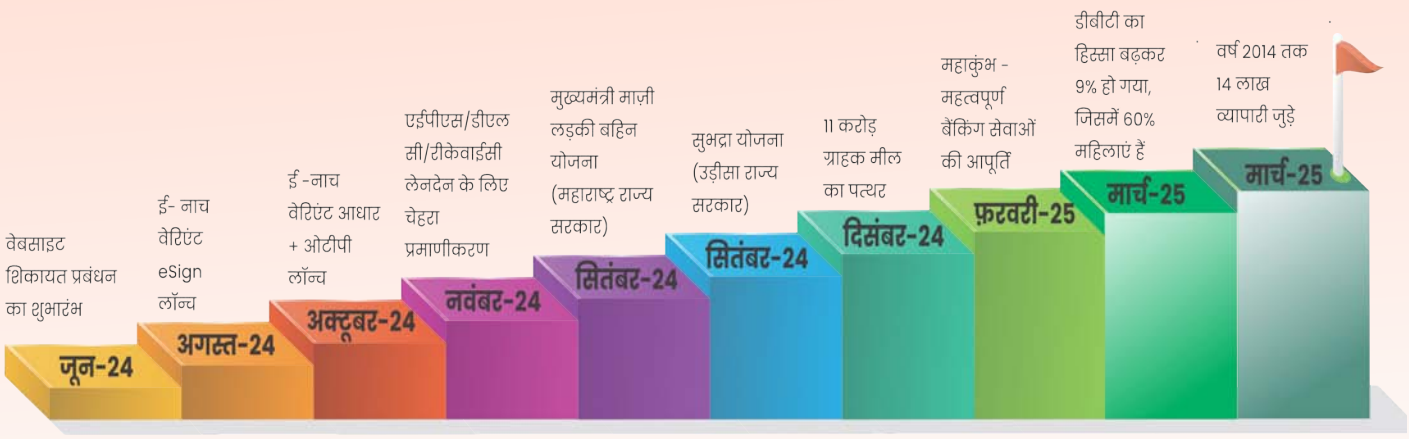

विकास और परिवर्तन के पदचिह्न

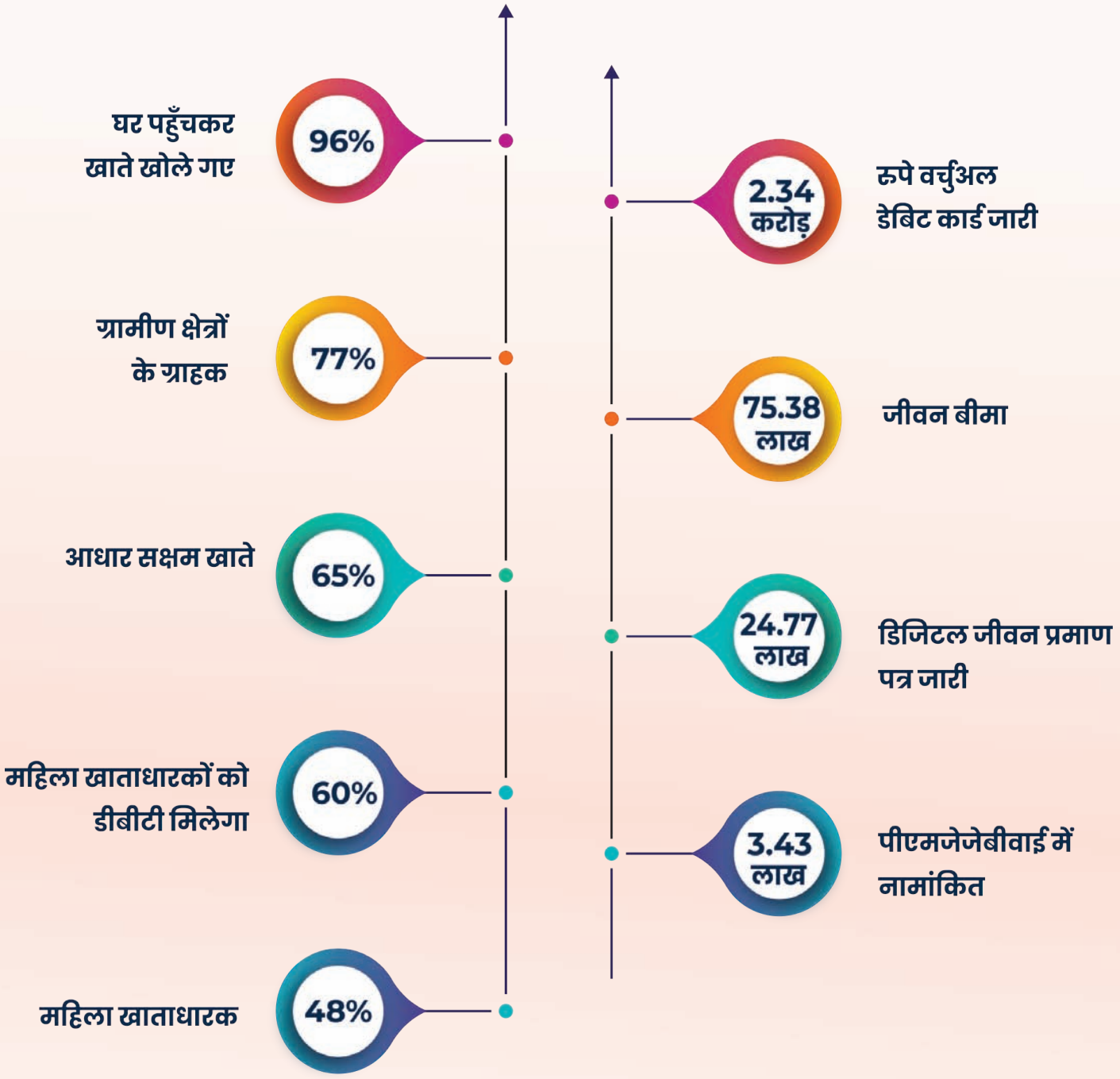

कार्यात्मक मुख्य विशेषताएं
ग्राहक सेवा
सूचना सुरक्षा
सूचना प्रौद्योगिकी
जोखिम प्रबंधन
मानव संसाधन
संचालन
वितरण
अनुपालन
विपणन
उत्पाद

विपणन

वित्तीय वर्ष 2024–25 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के लिए उसकी विपणन और जनसंपर्क पहलों के दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी वर्ष रहा। 'आपके द्वार पर बैंकिंग' के अपने मिशन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, आईपीपीबी के विपणन कार्य ने ग्राहकों के विश्वास को गहरा करने, विभिन्न क्षेत्रों में दृश्यता बढ़ाने और रणनीतिक, डेटा–संचालित एवं समावेशी अभियानों के माध्यम से व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।

तकनीक के साथ विश्वास और कहानी कहने की रणनीति को मिलाकर, आईपीपीबी के विपणन कार्य ने रणनीतिक ब्रांड पोजिशनिंग और एकीकृत विपणन प्रयासों का इस्तेमाल करके सभी ग्राहक–उन्मुख प्लेटफार्मों शहरी और ग्रामीण, ऑनलाइन और ऑफलाइन पर एकरूप और प्रासंगिक आख्यान सुनिश्चित किए। इससे न केवल ब्रांड आईपीपीबी की दृश्यता बढ़ी, बल्कि व्यापार में तेजी आई, हितधारकों का विश्वास गहरा हुआ और लाखों लोग औपचारिक वित्तीय सेवाओं के और करीब आए।

मुख्य विशेषताएं

ब्रांडिंग और आउटरीच

ब्रांड पहचान संवर्धनः नया लोगो डिजाइन – फॉन्ट उपयोग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अनुरूप, आईपीपीबी विपणन टीम ने एक नए आईपीपीबी लोगो के डिजाइन का नेतृत्व किया, जिसमें आधुनिक डिजाइन सौंदर्यशास्त्र को बैंक की समावेशिता और पहुंच की विरासत के साथ जोड़ा गया।

सरकारी योजनाओं का एकीकरणः ओडिशा सरकार की शुभद्रा योजना में आईपीपीबी को प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया गया, जिससे नागरिकों से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने के लिए आईपीपीबी खाते खोलने का आग्रह किया गया, जिससे इसकी दृश्यता और विश्वास बढ़ा। आईपीपीबी ने विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं के साथ अनुकूलित सह–ब्रांडेड वर्चुअल डेबिट कार्ड, क्यूआर कार्ड, आईबीसी साइनेज आदि के माध्यम से सहयोग किया।

प्रयागराज महा कुंभ में भागीदारीः क्षेत्रीय टीमों के सहयोग से, विभाग ने अधिक भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर एईपीएस सेवाएँ, खाता खोलने और आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक जमीनी अभियान चलाया। इस पहल ने तीर्थयात्रियों के लिए बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित की और आईपीपीबी के ''भारत का सबसे सरल बैंक'' के रूप में छवि को बढ़ावा दिया।

पेंशनभोगी जुड़ाव अभियानः डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा करने के लिए उन्नत चेहरा–प्रमाणन सुविधा को बढ़ावा देने हेतु पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ साझेदारी में एक लक्षित अभियान शुरू किया गया। #DLCCampaign3 के तहत वास्तविक क्षेत्र की तस्वीरों और एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँच का उपयोग करते हुए, इस पहल को जबरदस्त समर्थन और सेवा में वृद्धि मिली।

लक्षित विपणन के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा देनाः विपणन प्रयासों को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ निकटता से जोड़ा गया, जिससे एईपीएस , बिल भुगतान, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, सीईएलसी सेवाएं, प्रीमियम खाता , सामान्य बीमा, डाकघर सुकन्या समृद्धि योजना, मोबाइल–आधार सीडिंग, दो/चार पहिया वाहन बीमा, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, ऋण रेफरल सेवाएं, आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप आदि जैसे प्रमुख उत्पादों के शुभारंभ और प्रचार को समर्थन मिला।

बिक्री अभियानः पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कई बिक्री अभियान चलाए गए और विपणन विभाग ने इन अभियानों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसे एक खाता प्रतियेक शाखा , सीईएलसी के सिकंदर, पीटीएल सुविधा कार्यक्रम संपार्श्विक, डिजिटल ऋण चौंपियन, डीएलसी राष्ट्रव्यापी अभियान 3.0, लास्ट माइल ऋण लीग अभियान, महीने का एईपीएस कलाकार और ऋण रेफरल कार्यक्रम, सीईएलसी के सिकंदर, पीएम किसान संतृप्ति अभियान, महीने का एईपीएस कलाकार, रिवाइव का सुपर स्टार, खाता उन्नयन प्रतियोगिता, डिजिटल ऋण चौंपियन, पीओएसबी लिंकिंग और आधार–सीडिंग अभियान

प्रिंट विज्ञापन अभियानः 11 करोड़ ग्राहक उपलब्धि पर आधारित एक प्रिंट विज्ञापन अभियान मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में चलाया गया। आईपीपीबी ने 149 आईपीपीबी शाखाओं (बैंकिंग आउटलेट) के लगभग 23 लाख परिवारों तक पहुँच बनाई। अभियान अवधि के दौरान, इन स्थानों पर औसत अधिग्रहण में लगभग 20% की वृद्धि हुई, जबकि औसत लेनदेन की मात्रा में 8% की वृद्धि हुई।

डिजिटल विपणन और सोशल मीडिया विकास

क्षेत्रीय प्रासंगिकता और स्थानीय भाषा की विषय–वस्तु पर जोर देने के साथ, आईपीपीबी की डिजिटल उपस्थिति ने सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया:

प्लैटफॉर्म	मार्च 2024 तक	मार्च 2025 तक	% बढ़ोतरी
ट्विटर	92,791	**1,13,583**	22%
फेसबुक	67,632	**74,000**	9%
इंस्टाग्राम	91,313	**1,01,488**	11%
यूट्यूब	35,900	**46,174**	29%
लिंक्डइन	56,959	**64,529**	13%

वीडियो स्टोरीटेलिंग, वास्तविक समय की फील्ड स्टोरीज के माध्यम से जुड़ाव को और तेज किया गया, जिससे ब्रांड की रोजमर्रा के भारत से निकटता को बल मिला।

लीड जनरेशन और अभियान दक्षता

डिजिटल लीड कैप्चर: अभियानों और आईपीपीबी वेबसाइट में लीड फॉर्म के विपणन–आधारित एकीकरण के परिणामस्वरूप लगभग 19.3 लाख कार्रवाई योग्य लीड प्राप्त हुए, जिन्हें इंडिया पोस्ट फील्ड टीम के माध्यम से डोरस्टेप सेवा वितरण के लिए भेजा गया।

जन जागरूकता और प्रचार–प्रसार

- **मतदाता जागरूकता एवं नागरिक अभियान:** भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से विभाग ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, जिसमें ग्राहकों से अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने की अपील की गई।
- **आरबीआई और वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय अनुशासन और धोखाधड़ी से बचाव को बढ़ावा देने वाले अभियान प्रत्येक पखवाड़े सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए गए, जिससे आईपीपीबी की भूमिका एक जिम्मेदार बैंकिंग भागीदार के रूप में और अधिक सशक्त हुई।

उत्पाद

उत्पाद टीम द्वारा ग्राहक अनुभव में सुधार, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा, उत्पाद नवाचार और संचालन कुशलता को बढ़ावा देना, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्रमुख लक्ष्य रहे। इस अवधि में, कई उत्पाद संवर्धन, ग्राहक–केंद्रित विशेषताएँ, और अनुपालन अद्यतन लागू किए गए, जो समावेशी और सुरक्षित बैंकिंग की बैंक की मिशन को सशक्त बनाते हैं।

प्रमुख उत्पाद पहलकदमियाँ:

1. **धोखाधड़ी वाले डेबिट रोकने के लिए एसएमएस–आधारित खाता फ्रीज:** धोखाधड़ी के विरूद्ध तुरंत कार्रवाई करने में ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए, आईपीपीबी ने एसएमएस–आधारित खाता फ्रीज सुविधा शुरू की है। ग्राहक डेबिट लेनदेन को फ्रीज करने के लिए केवल 7738062873 पर "FREEZE <खाता संख्या>' एसएमएस भेज सकते हैं और ग्राहक को एक पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा। खाता फ्रीज हटाने के लिए, ग्राहकों को अपनी नजदीकी शाखा में जाना होगा या ग्राहक सेवा से संपर्क करना होगा।

2. **वेबसाइट के माध्यम से निर्बाध शिकायत निवारण:** ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को आसान बनाने के लिए, आईपीपीबी ने बैंक की वेबसाइट पर एक शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल एकीकृत किया है। ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल या खाता संख्या का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं और समाधान पर नजर रख सकते हैं। ग्राहक शिकायत संदर्भ संख्या का उपयोग करके वेबसाइट पर मोबाइल बैंकिंग, एमएटीएम , सीबीएस और आईवीआर जैसे अन्य माध्यमों से भी शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

3. **आवर्ती भुगतानों के लिए ई–एनएसीएच और एसीएच सुविधा की शुरुआत:** आईपीपीबी ने ग्राहकों की सहमति के आधार पर ईएमआई और आवर्ती बिल भुगतानों के लिए ई–साइन और आधार ओटीपी आधारित ई–एनएसीएच और एसीएच अनिवार्यता लागू की है। ये डिजिटल पहल ईएमआई, उपयोगिता बिल, निवेश और बीमा प्रीमियम जैसे आवर्ती खर्चों के लिए निर्धारित डेबिट को स्वचालित करके ग्राहक अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। ग्राहक अब देय तिथियों को याद रखने की परेशानी से मुक्त होकर अधिक मानसिक शांति और सुविधा का आनंद ले सकते हैं।

4. **अगली पीढ़ी का प्रमाणीकरण – चेहरे से प्रमाणीकरण:** यह पहल बैंकिंग को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाती है – खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन्हें अक्सर फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चेहरे से प्रमाणीकरण को सक्षम करके, आईपीपीबी ने सभी के लिए सहज और सम्मानजनक बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा शुरू की है।

5. **मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सुव्यवस्थित ऋण रेफरल सेवाएँ:** IPPB ऋण सेतु प्लेटफॉर्म को आईपीपीबी द्वारा ऋण/क्रेडिट लीड्स के प्रबंधन और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सह–निर्मित किया गया था। इस प्लेटफॉर्म ने आईपीपीबी के सहयोगी संगठनों के लिए कागज रहित, परेशानी मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से ऋण लीड्स उत्पन्न करना संभव बनाया है। यह प्लेटफॉर्म आईपीपीबी MATM डिवाइस पर ऋण के रूप में उपलब्ध है। सेतु ऐप और इंटरनेट पर एक वेब यात्रा के रूप में।

ग्राहक सेवा

आईपीपीबी ने भारत में वित्तीय सेवा उद्योग के डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाई है। बैंक समझता है कि आज के प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र में ग्राहक सेवा उत्कृष्टता एक प्रमुख अंतर पैदा करने वाला कारक है। बैंक अपने ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को निरंतर विकसित कर रहा है और आईपीपीबी बैंकिंग आउटलेट्स और ग्राहक कॉल सेंटर सेवा एजेंटों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन पहलों के माध्यम से, बैंक ग्राहक संतुष्टि और सेवा उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्ध ता को कायम रखते हुए एक सुचारू और झंझट रहित बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

संपर्क केंद्रः आईपीपीबी यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सुविधाएँ डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएँ। 24x7 संपर्क केंद्र में ग्राहकों से उनकी पसंदीदा भाषा में जुड़ने की क्षमता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, संपर्क केंद्र ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। इस संपर्क केंद्र ने वर्ष के दौरान लगभग 1.35 करोड़ ग्राहक कॉलों को संभाला है।

शिकायत निवारणः बैंक का ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, लगभग 95% शिकायतों का समाधान पूर्व–निर्धारित समय–सीमा के भीतर किया गया। बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक प्रदर्शन संकेतकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए समाधान की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। बैंकिंग आउटलेट्स के पूरे नेटवर्क में सेवा स्तरों की निगरानी सर्वेक्षणों, सेवा ऑडिट और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है।

बैंक एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनाए रखता है जिसके माध्यम से ग्राहक अपनी शिकायतें आगे बढ़ा सकते हैं। बोर्ड स्तर पर, बोर्ड की उप–समिति, जिसे बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के रूप में जाना जाता है, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और उनके अनुपालन के आकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। उप–समिति ग्राहकों की आवाज के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण भी करती है और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मानदंडों पर बैंक की तुलना अपने समकक्ष बैंकों से करती है।

सूचना सुरक्षा

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में सूचना सुरक्षा का मिशन एक सूचना सुरक्षा कार्यक्रम का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना है जो बैंक की प्रणालियों, सेवाओं और डेटा को अनधिकृत उपयोग, प्रकटीकरण, संशोधन, क्षति और हानि से सुरक्षित रखता है। सूचना सुरक्षा विभाग बैंक के विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होने और एक उपयुक्त सूचना सुरक्षा प्रशासन संरचना स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो नई सूचना सुरक्षा पहलों के लिए सहयोग और समर्थन को सक्षम बनाती है।

रक्षा की दूसरी पंक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, आईपीपीबी में तैनात सुरक्षा नियंत्रण का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर खतरों को रोकने और उनका जवाब देने, कमजोरियों को कम करने और विभिन्न सुरक्षा/साइबर घटनाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना है।

रक्षा की दूसरी पंक्तिः समर्पित टीमें सुरक्षा संरचना, 24X7 निगरानी, नीतियों के अनुपालन की देखरेख करती हैं, तथा व्यावसायिक पहलों की सुरक्षित सक्षमता का मार्गदर्शन करती हैं।

अनुपालनः आईपीपीबी नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से तृतीय–पक्ष मूल्यांकन, विनियामक निरीक्षण और साइबर अभ्यास से गुजरता है।

आईपीपीबी में, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की तिकड़ी बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना सुरक्षा ढाँचे के केंद्र में है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक साइबर सुरक्षा समाधानों को लागू करने में 'गहन सुरक्षा' दृष्टिकोण अपनाता है। यह दृष्टिकोण बैंक को एक बहु–स्तरीय सुरक्षा तंत्र का उपयोग करके अपने डेटा की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है, जिसमें उपकरणों और तकनीकों का संयोजन होता है जो एक–दूसरे के पूरक और संवर्धित होते हैं।

आईपीपीबी के संगठनात्मक ढाँचे में एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की भूमिका शामिल है, जिसे सुरक्षा वास्तुकला/बुनियादी ढांचे की निगरानी और सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए बनाया गया है।

सूचना सुरक्षा कार्य CISO कार्यालय		
परिचालन सुरक्षा (निवारक नियंत्रण)	**नीतियां और दिशानिर्देश (शासन नियंत्रण)**	**निगरानी और नियंत्रण (जासूसी नियंत्रण)**
• परिधि और नेटवर्क रक्षा • विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच प्रबंधन • एंडपॉइंट सिस्टम और सर्वर सुरक्षा • वीएपीटी – आईटी सिस्टम • और मोबाइल एप्लिकेशन	• सुरक्षा नीतियां और दिशानिर्देश • शासन और निरीक्षण • आईटी अधिसंरचना में रक्षा की दूसरी पंक्ति • आईटी के लिए सुरक्षित सक्षमकर्ता एवं व्यावसायिक कार्य	• सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) – घटनाओं की निगरानी • साइबर खतरों के विरुद्ध खुफिया जानकारी (थ्रेट इंटेलिजेंस) • सुरक्षा जागरूकता और व्यवहारिक अभ्यास

सुरक्षा जागरूकता और संस्कृति

यह स्वीकार करते हुए कि साइबर सुरक्षा के लिए मानवीय जागरूकता महत्वपूर्ण है, आईपीपीबी ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

कर्मचारी जागरूकता पहलः	**ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमः**
• इंटरैक्टिव फिशिंग सिमुलेशन अभियान • लक्षित ई–लर्निंग मॉड्यूल और इंटरैक्टिव वेबिनार • सुरक्षा प्रश्नोत्तरी और जागरूकता संदेश	• एसएमएस और ईमेल के माध्यम से जागरूकता सलाह • वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सुरक्षा संबंधी सुझाव प्रकाशित किए गए

इन पहलों में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया, साझा जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और व्यापक ग्राहक आधार में विश्वास निर्माण करने तथा उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित लेनदेन करने में सशक्त बनाने में मदद की गई।

आईपीपीबी उभरते खतरों, नियामक अपेक्षाओं और डिजिटल नवाचार के अनुरूप अपनी साइबर सुरक्षा रणनीति को लगातार विकसित कर रहा है। हमारा लक्ष्य दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करना, हितधारकों का विश्वास बढ़ाना और विश्वास को केंद्र में रखते हुए संगठन के विकास में सहयोग करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण करता है, ताकि भारत भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में, निर्बाध, सुरक्षित और समावेशी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। बैंक लगातार अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ कर रहा है, ताकि उच्चतम अपटाइम और बेहतर प्रदर्शन प्राप्त किया जा सके, जिससे बदलती ग्राहक आवश्यकताओं और नियामक आवश्यकताओं का समर्थन किया जा सके। बैंक आगामी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार रहने के लिए लगातार अगली पीढ़ी की अवसंरचना और समाधानों में निवेश कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा उठाए गए कुछ अग्रणी कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

डेटासेंटर माइग्रेशन

बैंक एक अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटर सुविधा के लिए रणनीतिक स्थानांतरण कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसका बुनियादी ढांचा प्रत्याशित विकास पथ और उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ मजबूती से संरेखित हो।

बैंक ने अपने डिजास्टर रिकवरी (डीआर) डेटासेंटर को नए टियर–IV डेटासेंटर में स्थानांतरित करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तथा आने वाले दिनों में प्राथमिक डेटासेंटर के लिए भी इसी तरह की योजना बनाई गई है।

निजी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन और नए स्टोरेज समाधान का कार्यान्वयन

बैंक ने अपने पुराने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को हाइपर–कन्वर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HCI) का लाभ उठाते हुए, एक निजी क्लाउड परिवेश में आधुनिक बनाया है, जिससे मांग वाले कार्यभार के लिए ऑन–डिमांड कंप्यूटिंग प्रदान करने की सुविधा मिलती है। कार्यभार स्थानांतरण इस नए प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से किया गया है। चूँकि डेटा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नया ईंधन है, इसलिए बैंक ने उन्नत क्षमता और प्रदर्शन के साथ एक नए युग के स्टोरेज समाधान को चुना है, जिससे तेज एप्लिकेशन प्रतिक्रिया समय और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होता है।

यह परिवर्तन आईटी परिचालनों को सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाता है, अधिक मापनीयता प्रदान करता है, तथा बैंक को बाजार की मांगों के अनुरूप शीघ्रता से अनुकूलन करने तथा नए उत्पादों को अधिक कुशलता से लांच करने में सक्षम बनाता है।

सुरक्षा और नेटवर्क उन्नयन

सुरक्षा बनाए रखने, अनुपालन सुनिश्चित करने और संचालन की दक्षता को अनुकूलित करने के लिए, बैंक की सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए कई स्तर की विभाजन की व्यवस्था की गई है। इसमें वीएलएएन विभाजन और बैकएंड सॉफ्टवेयर के नियमित उन्नयन शामिल हैं।

नेटवर्क कनेक्टिविटी का उन्नयन तेज, सुरक्षित संचार और बढ़ी हुई थ्रूपुट को संभालने के लिए किया गया है, ताकि भविष्य में अनुमानित कार्यभार को समायोजित किया जा सके।

आवेदन घटकों को नियमित रूप से नवीनतम संस्करण में अपडेट करना ग्राहकों को एक बग–फ्री और सुरक्षित एप्लिकेशन वातावरण प्रदान करता है, ताकि वे अपने बैंकिंग गतिविधियों को आसानी से और सुरक्षित तरीके से कर सकें।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने बैंक की समग्र जोखिम क्षमता और सहनशीलता के स्तर के अनुरूप जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी और प्रभावी ढंग से उन्हें कम करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और रणनीतियों द्वारा समर्थित एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमुख जोखिम–संबंधी नीतियों में ट्रेजरी निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यवसाय निरंतरता नीति, आईसीएएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति शामिल हैं।

प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, बैंक एक बहु–स्तरीय जोखिम शासन ढांचे का पालन करता है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और बोर्ड, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और अन्य आंतरिक समितियों को समय–समय पर रिपोर्टिंग शामिल है।

संचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

बैंक ने संचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति और सहायक ढांचा स्थापित किया है, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- लॉस डेटा प्रबंधन (LDM) संचालनात्मक जोखिम घटनाओं की व्यवस्थित पहचान, रिपोर्टिंग, लेखांकन, और समापन के लिए।
- प्रोडक्ट और परिवर्तन अनुमोदन ढांचा नए या संशोधित उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम का आकलन करने के लिए।
- जोखिम और नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (RCSA) जोखिमों और नियंत्रणों का समय–समय पर मूल्यांकन करने के लिए।
- प्रमुख जोखिम संकेतक (KRIs) उभरते हुए संचालनात्मक जोखिम रुझानों की निगरानी के लिए।

थीमैटिक/आवधिक जोखिम समीक्षाएं उत्पादों/प्रक्रियाओं/आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत की जाती हैं, ताकि संचालनात्मक जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उपयुक्त शमन उपायों की सिफारिश की जा सके। जोखिम से संबंधित अद्यतन एवं कोई भी महत्वपूर्ण जोखिम मुद्दे समय–समय पर बोर्ड, आरएमसीबी, आंतरिक समितियों और संबंधित आंतरिक हितधारकों को अग्रेषित किए जाते हैं।

बैंक उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान भी करता है, जिनके संपर्क में वह आता है। इन जोखिमों का समग्र मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें बैंक की वार्षिक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का हिस्सा बनाकर दस्तावेजीकृत किया जाता है। आईसीएएपी में प्रत्येक पहचाने गए जोखिम के प्रबंधन के प्रति बैंक के दृष्टिकोण का विवरण शामिल होता है, साथ ही प्रासंगिक जोखिम शमन उपायों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी किया जाता है।

बाजार जोखिम और परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक ने बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और कोषागार निवेश नीति को अपनाया है, जो पेमेंट्स बैंक के लिए नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इस पर निगरानी कार्यकारी स्तर की समितियों द्वारा की जाती है, जिनमें निवेश समिति और एएलसीओ(एसेट लायबिलिटी कमेटी) शामिल हैं, जो दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का समर्थन करती हैं।

ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम की निगरानी स्थापित सीमाओं और संवेदनशीलता मापदंडों के माध्यम से की जाती है। नियमित निगरानी में बाजार स्थितियों, फंडिंग पैटर्न, प्रतिपक्ष जोखिम और जोखिम पैरामीटर्स शामिल होते हैं। तरलता जोखिम (Liquidity Risk) का आकलन स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स और स्टॉक रेशियो के माध्यम से किया जाता है, जबकि ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्ट्स के द्वारा किया जाता है।

इन नीतियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि वे परिवर्तित होते वित्तीय और नियामक परिवेश के अनुरूप बनी रहें।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

बैंक उच्च नैतिक मानकों और प्रभावी धोखाधड़ी रोकथाम के प्रति प्रतिबद्ध है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें धोखाधड़ी की पहचान, जांच, रिपोर्टिंग, जिम्मेदारी का मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई शामिल है।

1. साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक गृह मंत्रालय (MHA) के तहत भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) का उपयोग कर रहा है, ताकि साइबर अपराध मामलों का समन्वित रूप से निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एक इन–हाउस धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (FRMS) विकसित की है, जो संदिग्ध लेनदेन की निगरानी करती है और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करती है।
2. बैंक एनपीसीआई, दूरसंचार विभाग, और अन्य विभागोंध्एजेंसियों द्वारा साझा की गई धोखाधड़ी संबंधी चेतावनियों और विश्लेषणों का भी उपयोग करता है, जो आईपीपीबी के लेनदेन पैटर्न के अनुरूप जोखिम पहचान और रोकथामात्मक कार्रवाई में सहायक हैं।
3. रोकथाम संबंधी जागरूकता एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है। इसके तहत समय–समय पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन श्रृंखला, विभिन्न परामर्श और फ्लैश संदेश कर्मचारियों व एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं, जिससे संगठन के भीतर एक सक्रिय और जागरूक जोखिम संस्कृति को सशक्त किया जा सके।
4. इसके अतिरिक्त, ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई–स्टेटमेंट्स में फ्रॉड एडवाइजरी और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क किया जाता है, जिससे यह संदेश मजबूत होता है कि रोकथाम ही पहली रक्षा पंक्ति है।

मानव संसाधन

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का मानव संसाधन विभाग, कर्मचारियों की क्षमताओं को मजबूत करने, जुड़ाव बढ़ाने और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों का नेतृत्व करता रहा है। पिछला वित्तीय वर्ष कई रणनीतिक उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें प्रोजेक्ट ऊर्जा और 12वें द्विपक्षीय समझौते का कार्यान्वयन हमारे मानव संसाधन और शिक्षण एवं विकास एजेंडे में सबसे आगे रहा।

1. **प्रोजेक्ट ऊर्जा का शुभारंभ – कौशल विकास के माध्यम से क्षमता का विकास**

   एक ऐतिहासिक पहल, प्रोजेक्ट ऊर्जा (नौकरी में उन्नति के लिए कौशल उन्नयन और कायाकल्प), बैंक के पहले संरचित कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। यह कर्मचारी कौशल विकास कार्यक्रम एक गतिशील और उच्च–प्रभावी शिक्षण अनुभव है जिसे विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

   ऊर्जा की मुख्य बातें

   - प्रतिष्ठित संस्थानों में ऑफलाइन कैम्पस कार्यक्रमों के रूप में आयोजित
   - जूनियर और मध्य प्रबंधन के लिए लक्षित पुनश्चर्या प्रशिक्षण
   - कौशल और योग्यता विकास पर जोर दिया गया
   - निगमित कर्मचारी मनोमेट्रिक विश्लेषण
   - एक मजबूत प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) के आधार पर डिजाइन किया गया
   - 383 अधिकारियों (स्केल I, II, III) ने ऊर्जा के अंतर्गत सफलतापूर्वक अपस्किलिंग पूरी की।

2. **कर्मचारी कल्याण और जागरूकता**

   - 12वें द्विपक्षीय समझौते का कार्यान्वयन
   - नियमित बैंक अधिकारियों के लिए जेएआईआईबी/सीएआईआईबी वेतन वृद्धि और व्यावसायिक योग्यता वेतन (पीक्यूपी) का कार्यान्वयन
   - बैंक द्वारा देखभाल और चिंता के प्रतीक के रूप में गर्भवती महिला अधिकारियों के लिए पोषण नीति की शुरुआत।
   - यूनियन एसोसिएशन की मान्यता: औपचारिक जुड़ाव तंत्र के माध्यम से कर्मचारी संबंधों को मजबूत करना।

3. **क्षमता निर्माण और अनुपालन प्रशिक्षण**

   - पॉश जागरूकता: सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया।
   - एएमएल/केवाईसी और एसएफएमएस प्रशिक्षण: धन शोधन विरोधी प्रथाओं, वित्तीय संदेश प्रणालियों और विनियामक अनुपालन के बारे में कर्मचारियों की समझ को मजबूत किया गया।
   - श्री सुनील कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में खरीद एवं सतर्कता जागरूकता सत्र, विभागों में अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना।
   - 55 स्केल IV अधिकारियों को एक समर्पित साइबर सुरक्षा कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया, जो डेटा सुरक्षा और डिजिटल लचीलेपन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
   - 29 अधिकारियों को डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण में प्रशिक्षित किया गया
   - पूछताछ एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रशिक्षण: आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए 16 कर्मचारियों को आवश्यक कौशल से सुसज्जित किया गया।

4. **प्रदर्शन और प्रक्रिया आधुनिकीकरण**

   - पीएमएस 2023–24 को ग्रेइटएचआर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया, जिसमें उन्नत उपयोगकर्ता इंटरफेस और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं।
   - ऑनलाइन एचआर पृथक्करण पोर्टल: अधिक पारदर्शिता और आसानी के लिए कर्मचारी त्यागपत्र प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

आगे की ओर देखते हुए

हम सतत सीखने, लचीलापन और सशक्तिकरण की संस्कृति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में हमारा ध्यान नेतृत्व क्षमताओं को मजबूत करने और डिजिटल कौशल को बढ़ाने पर होगा। इसके साथ ही, हम एक ऐसा सहायक और देखभालपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेंगे, जहाँ हर कर्मचारी को मूल्यवान महसूस हो।

संचालन

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने अपने संगठनात्मक ढांचे में रणनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत करके अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, बैंक ने एक समर्पित शाखा संचालन विभाग की स्थापना की है।

यह पुनर्गठन क्षेत्रीय टीम के लिए शाखा–स्तरीय कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस नए विभाग का निर्माण आईपीपीबी के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है, जो अंतिम छोर तक, विशेष रूप से डाकघर–आधारित बैंकिंग आउटलेट्स के अपने व्यापक नेटवर्क में, निर्बाध, सुरक्षित और कुशल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है।

शाखा संचालन विभाग को शाखाओं और बैंकिंग आउटलेट्स के दैनिक कामकाज की देखरेख और उसे सुदृढ़ बनाने का स्पष्ट रूप से परिभाषित दायित्व सौंपा गया है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैंरू

1. **प्रक्रिया नियंत्रण को मजबूत करना**

   यह सुनिश्चित करना कि शाखा स्तर पर अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं एसओपी के अनुसार मानकीकृत हों।

2. **जोखिम नियंत्रण और शासन**

   फ्रंट–एंड बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े परिचालन जोखिमों को कम करना। इसमें शाखा लेनदेन की गहन निगरानी और नियामक दिशानिर्देशों का पालन शामिल है।

3. **एप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण**

   प्रमुख शाखा–संबंधी अनुप्रयोगों के लिए मजबूत और सुरक्षित पहुँच तंत्र लागू करना। यह सुनिश्चित करके कि केवल अधिकृत कर्मियों के पास ही आवश्यक सिस्टम अनुमतियाँ हों, विभाग का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना और सिस्टम की अखंडता में सुधार करना है।

4. **तकनीकी और सिस्टम समर्थन**

   बैंकिंग आउटलेट्स के सामने आने वाली किसी भी तकनीकी या सिस्टम संबंधी चुनौतियों के लिए त्वरित, संपूर्ण सहायता प्रदान करना। इसमें सिस्टम डाउनटाइम और लेनदेन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आईटी और विक्रेता टीमों के साथ समन्वय शामिल है।

   यह संगठनात्मक परिवर्तन आईपीपीबी की परिचालन उत्कृष्टता की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। शाखा सहायता कार्यों को एक एकल केंद्रित इकाई में केंद्रीकृत करके, बैंक का लक्ष्य हैः

   - शाखाओं में समस्या समाधान के लिए लगने वाले समय को कम करना
   - अनुपालन और निगरानी तंत्र में सुधार
   - सुव्यवस्थित सेवाओं के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि
   - दिन–प्रतिदिन के बैंकिंग कार्यों में लचीलापन बनाएं

वितरण

1. **इंटर्नशिप कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2024–25):** आईपीपीबी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया, जो वित्तीय क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी और पेशेवर कौशल निर्माण के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष के दौरान कुल 2,324 इंटर्न्स को शामिल किया गया, जो 2,000 इंटर्न्स के राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक था। सभी 23 सर्कलों की 212 शाखाओं ने इसमें भाग लिया, जिनमें से 119 शाखाओं में पाँच या अधिक प्रशिक्षुओं ने भाग लिया, जो मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करने के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

   इस कार्यक्रम ने न केवल बैंकिंग कार्यों का अनुभव प्रदान किया, बल्कि इंटर्न्स को समय प्रबंधन, ग्राहक जुड़ाव, बिक्री तकनीक, डाक विभाग (डीओपी) के समकक्षों के साथ समन्वय और पुनः–केवाईसी प्रक्रियाओं की समझ सहित प्रमुख व्यावसायिक दक्षताएँ विकसित करने का अवसर भी दिया। कई लोगों ने अपनी इंटर्नशिप को एक मूल्यवान और समृद्ध अनुभव बताया जिसने उन्हें वित्तीय सेवा उद्योग में भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार किया।

2. **एसओटीआई से श्योर–एमडीएम में एमडीएम सेवाओं का सफल स्थानांतरण:**

   अपेक्षित समय से पहले ही लगभग 2.0 लाख मोबाइल डिवाइसों को एसओटीआई से श्योर–एमडीएम में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी सेवा व्यवधान के बैंक राजस्व की बचत हुई, जिससे व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित हुई।

3. **प्रोत्साहन 2.0 की शुरूआत:** प्रोत्साहन भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, बैंक उत्पादों और सेवाओं के समूह को तीन समूहों में विभाजित किया गया।

   समूह 1 – इसमें मुख्य रूप से बैंक के उत्पाद जैसे खाता खोलना, बीबीपीएस, एईपीएस, पीएमजेजेबीवाई, सीईएलसी मोबाइल और डीएलसी शामिल हैं।

   समूह 2 – समझने में आसानी के लिए इसमें जीवन बीमा, सामान्य बीमा और ऋण रेफरल शामिल हैं।

   समूह 3 – वास्तविक प्राप्ति पर सीईएलसी बाल नामांकन।

   प्रोत्साहन 2.0 के अंतर्गत एकरूपता हेतु प्रत्येक समूह के लिए एक निश्चित तिथि के अनुसार प्रोत्साहन जारी किए जा रहे हैं।

4. **वित्तीय साक्षरता शिविरों का अद्यतन:** आईपीपीबी ने पूरे भारत में लगभग 3,800 वित्तीय साक्षरता शिविर (एफएलसी) आयोजित किए, जिनमें 2,200 से अधिक शिविर नाबार्ड के सहयोग से और 1,550 आईईपीएफए (एमसीए) के सहयोग से आयोजित किए गए।

5. **शिक्षण एवं विकास पहल:**

क. **वितरण डाइजेस्ट की शुरुआत:** कर्मचारियों और क्षेत्र में कार्यरत उपयोगकर्ताओं के बीच पारदर्शिता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, वितरण डाइजेस्ट को रोल–आउट किया गया। इसका उद्देश्य हमारे डाकिए/ग्रामीन डाक सेवकों/आईबीसी को दैनिक गतिविधियों, प्रक्रिया अपडेट्स और बैंकिंग उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

ख. **सीईएलसी प्रमाणन:** यूआईडीएआई ने बाल आधार नामांकन और मोबाइल नंबर अद्यतन सेवाएँ प्रदान करने के लिए आईपीपीबी के अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। 2024–25 के दौरान, 28,767 अंतिम उपयोगकर्ताओं ने बाल नामांकन के लिए आधार के विशिष्ट मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के प्रबंधन हेतु अपना सीईएलसी प्रमाणन या पुनः प्रमाणन पूरा कर लिया है।

ग. **डाक विभाग के अंतिम उपयोगकर्ताओं और आईबीसी का आंतरिक प्रशिक्षण और प्रमाणन:** वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 51,253 अंतिम उपयोगकर्ताओं और आईबीसी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया। यह व्यापक प्रशिक्षण डाक विभाग (डीओपी) के अंतिम उपयोगकर्ताओं और व्यक्तिगत बैंकिंग संवाददाताओं (आईबीसी) को अंतिम छोर तक आईपीपीबी सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित करता है।

6. **डिवाइस अनुबंध प्रबंधन:**

   अंतिम छोर तक निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 1.4 लाख मोबाइल डिवाइस और 3 लाख बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर खरीदे हैं। ये डिवाइस हमारे डाकियों/ग्रामीण डाक सेवाको को सशक्त बनाते हैं, जो देश भर में विश्वसनीय डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करेंगे। आईपीपीबी ने इन उपकरणों के रखरखाव के लिए विक्रेताओं के साथ विशिष्ट अनुबंध किए हैं, ताकि समय पर सर्विसिंग और जमीनी स्तर पर निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जा सके। यह न केवल अंतिम छोर तक एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग इंटरफेस प्रदान करने, बल्कि इसके निरंतर और विश्वसनीय प्रदर्शन को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है ।

अनुपालन

बैंक का अनुपालन कार्य दूसरी रक्षा पंक्ति है, जो बैंकिंग व्यवसाय को संचालित करने वाले विभिन्न विधायी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह समय–समय पर जारी किए गए अन्य विनियामक दिशा–निर्देशों, मानकों और संहिताओं, तथा बैंक की आंतरिक नीतियों और निष्पक्ष आचरण संहिता के अनुपालन को भी सुनिश्चित करता है।

अनुपालन से संबंधित कानून, नियम और मानक केवल वैधानिक बाध्यताओं तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि ये ईमानदारी और नैतिक आचरण के व्यापक मानकों को भी अपनाते हैं।

अनुपालन दृष्टिकोणः संचालन, जोखिम और अनुपालन (जीआरसी)

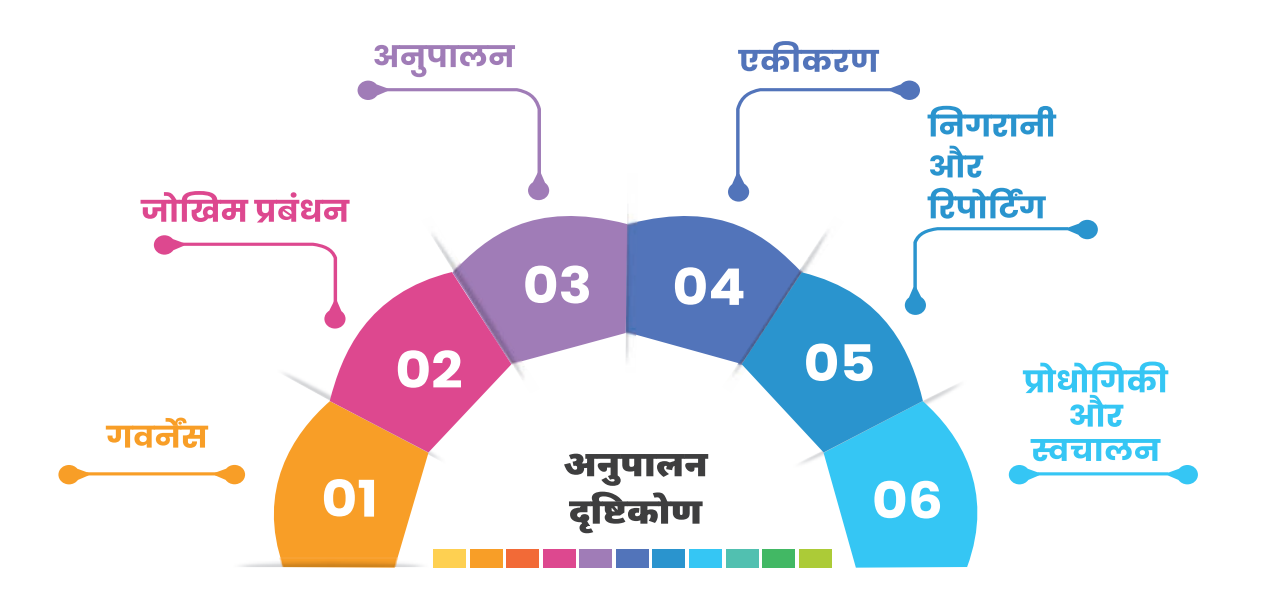

अनुपालन कार्यक्रम : हमारा अनुपालन कार्यक्रम तीन स्तंभों रोकथाम, पहचान और सुधार पर आधारित है। प्रभावी अनुपालन कार्यक्रमों को सर्वोत्तम रूप से एक मजबूत अनुपालन संस्कृति में क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसका अनुपालन कार्यक्रमों में एक विशेष स्थान है।

पुरस्कार और मान्यता

डिजिटल बैंक ऑफ द ईयरः

आईबीएस 2024 आईपीपीबी को जून 2024 में आयोजित इंडिया बैंकिंग समिट कार्यक्रम के दौरान 'डिजिटल बैंक ऑफ द ईयर' और 'डिजिटल पेमेंट बैंक ऑफ द ईयर' पुरस्कारों से सम्मानित किया गया ।

मार्टेक एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024:

क्वांटिक द्वारा संचालित आईपीपीबी ने 13 जून 2024 को 'सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण केंद्रित विपणन अभियान' श्रेणी के लिए मार्टेक एक्सीलेंस अवार्ड्स में भाग लिया और पुरस्कार जीता।

20वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, प्रदर्शनी और प्रशस्ति पत्रः

आईबीए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने 24 जनवरी 2025 को आयोजित भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के 20वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, प्रदर्शनी और प्रशस्ति पत्र में 'सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई अपनाने' श्रेणी के तहत विशेष उल्लेख अर्जित किया। यह मान्यता देश भर में ग्राहकों को सहज, समावेशी और तकनीक–सक्षम बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए आईपीपीबी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को अपनाने पर केंद्रित है।

बीएफएसआई और फिनटेक समिट 2025:

डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को 21 फरवरी को आयोजित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बीएफएसआई और फिनटेक समिट 2025 में 'भारत के अग्रणी भुगतान बैंक' का प्रतिष्ठित खिताब दिया गया। यह पुरस्कार नवाचार, सुगमता और समावेशी विकास के माध्यम से बैंकिंग को नए सिरे से परिभाषित करने में आईपीपीबी की भूमिका को रेखांकित करता है। प्रौद्योगिकी और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर, बैंक नागरिकों को सशक्त बनाने और पूरे देश में सार्थक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का कार्य जारी रखे हुए है।

प्रमुख मीडिया कवरेज

URL-https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/centre-to-set-up-100-branches-of-india-post-payments-bank-in-north-east/articleshow/111949996.cms

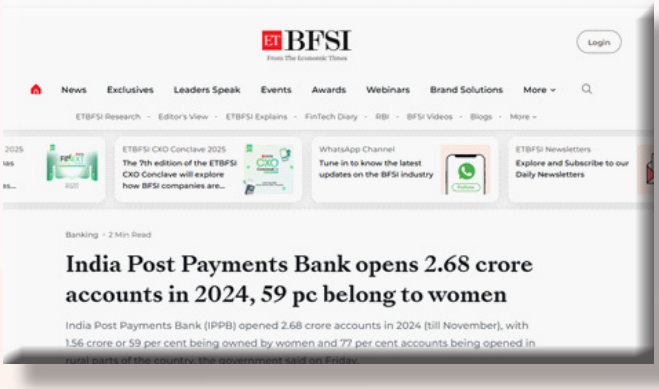

https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/banking/india-post-payments-bank-opens-2-68-crore-accounts-in-2024-59-pc-belong-to-women/116499135

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2026658

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152040&ModuleId=3

Government of India
Press Information Bureau

International Year of Cooperatives 2025

Ministry of Communications

Azadi Ka Amrit Mahotsav

India Post Payments Bank celebrates 7th Foundation Day: Reinforcing commitment to financial inclusion

Posted On: 01 SEP 2024 2:40PM by PIB Delhi

India Post Payments Bank (IPPB), a key player in driving financial inclusion across the country, proudly marks its 7th Foundation Day (IPPB Day) today. Since its nation-wide roll-out in 2018 by Prime Minister Shri Narendra Modi, the IPPB has been at the forefront of transforming India's financial landscape by providing accessible, affordable and trusted digital banking services to underserved and unbanked families at their doorstep.

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2050593

Government of India
Press Information Bureau

International Year of Cooperatives 2025

Ministry of Communications

Azadi Ka Amrit Mahotsav

India Post Payments Bank

Posted On: 27 NOV 2024 3:23PM by PIB Delhi

There is only one payments bank, i.e., India Post Payments Bank (IPPB), set up under Department of Posts. The bank has 650 branches and over 1.63 lakh access points through the post office network.

IPPB is offering a range of services and products such as savings and current accounts, Virtual Debit Card, Domestic Money Transfer services, bill and utility payments, insurance services for IPPB customers, Post Office Savings Account (POSA) linkage with IPPB accounts, online payment for Post Office Savings schemes, Digital Life Certificate (DLC), Aadhaar Enabled Payment System (AePS), mobile number update in Aadhaar for any citizen and Child Enrolment services for any child of 0-5 years old.

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2077894

THE ECONOMIC TIMES | Industry

English Edition | Today's ePaper

Avail Free Trial of ETPrime

Home | ETPrime | Markets | Market Data | AI Masterclass | News | Industry | SME | Politics | Wealth | MF | Tech | AI | Careers | Opinion | NRI | Panache

Auto | Banking/Finance | Cons. Products | Energy | Renewables | Indl Goods/Svs | Healthcare/Biotech | Services | Media/Entertainment | More

Business News › Industry › Banking/Finance › Insure › India Post Payments Bank and PNB MetLife partner to expand life insurance access nation wide

India Post Payments Bank and PNB MetLife partner to expand life insurance access nation wide

ANI | Last Updated: Jan 30, 2025, 01:47:00 PM IST

https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/insure/india-post-payments-bank-and-pnb-metlife-partner-to-expand-life-insurance-access-nation-wide/articleshow/117729050.cms?from=mdr

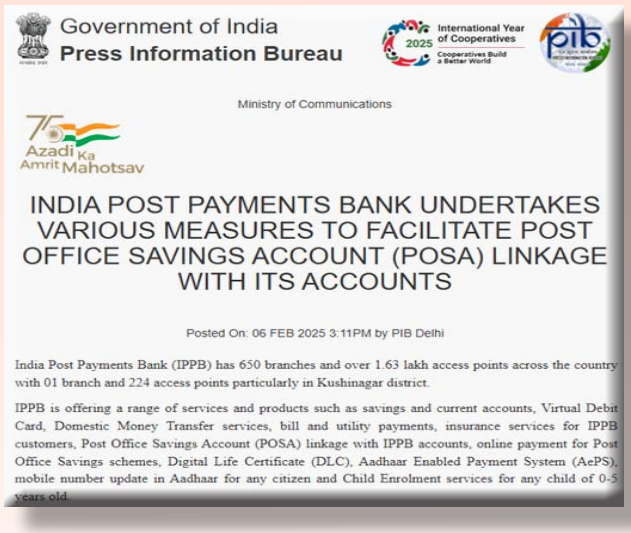

Government of India
Press Information Bureau

International Year of Cooperatives 2025

Ministry of Communications

Azadi Ka Amrit Mahotsav

INDIA POST PAYMENTS BANK UNDERTAKES VARIOUS MEASURES TO FACILITATE POST OFFICE SAVINGS ACCOUNT (POSA) LINKAGE WITH ITS ACCOUNTS

Posted On: 06 FEB 2025 3:11PM by PIB Delhi

India Post Payments Bank (IPPB) has 650 branches and over 1.63 lakh access points across the country with 01 branch and 224 access points particularly in Kushinagar district.

IPPB is offering a range of services and products such as savings and current accounts, Virtual Debit Card, Domestic Money Transfer services, bill and utility payments, insurance services for IPPB customers, Post Office Savings Account (POSA) linkage with IPPB accounts, online payment for Post Office Savings schemes, Digital Life Certificate (DLC), Aadhaar Enabled Payment System (AePS), mobile number update in Aadhaar for any citizen and Child Enrolment services for any child of 0-5 years old.

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2100235

Government of India
Press Information Bureau

International Year of Cooperatives 2025

Ministry of Communications

Azadi Ka Amrit Mahotsav

India Post Payments Bank Empowers Devotees at Mahakumbh 2025 with Seamless Banking Services

IPPB playing a pivotal role in providing digital banking services to all pilgrims at Mahakumbh 2025

IPPB has established service counters, mobile banking units, and customer assistance kiosks at 5 key locations throughout Mahakumbh

Posted On: 14 FEB 2025 4:04PM by PIB Delhi

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2103221#:~:text=India%20Post%20Payments%20Bank%20(IPPB,from%20all%20walks%20of%20life.

IN COMPLIANCE WITH RBI GUIDELINES

India Post Bank is Gearing up to Go Public in a Year

Atmadip Ray

Kolkata: The Centre has set the ball rolling for divesting its stake in the India Post Payments Bank (IPPB), which must go public by the end of March 2026 to adhere to the licensing requirements laid down by the banking regulator.

IPPB was set up under the Department of Post, with 100% equity owned by the government. The department has now begun discussing how much equity would the Centre divest in the payments bank, people aware of the matter said.

Going public would also be a part of IPPB's preparation for its aspiration to upgrade itself into a small finance bank, for which it would need a licence from the Reserve Bank of India (RBI).

"According to the RBI's licensing guidelines, payments banks need to go public within three years of achieving a net worth of ₹300 crore. To adhere to this norm, we need to go public by March 2026," said R Viswesvaran, Managing Director, India Post Payments Bank.

"We have written to the government seeking direction on this matter," he said.

Diversified ownership and listing is mandatory for every payments bank — including the ones promoted by two major telcos Airtel and Jio — within three years of reaching the net worth threshold of ₹300 crore.

Fino Payments Banks is the only entity in this space which is listed at present and has already applied for a small finance bank licence.

Payments banks are a vehicle to deepen financial inclusion as they open savings accounts and provide remittance facilities to migrant workers, low-income households, small businesses, and other unorganised sector entities with limited access to established banking channels.

But their operations are restricted in the sense that they cannot raise public money more than ₹2 lakh, and they are also not allowed to lend.

Besides opening savings and current accounts for customers, IPPB facilitates money transfers and government's direct benefit transfers. It also facilitates access to credit for its customers as a third party product through a referral business.

IPPB's listing is also to prepare the bank for upgradation to a small finance bank

It has one branch and 650 banking outlets while every postman and gramseva dak sevak works as its business correspondent.

"We have achieved our primary mandate. By March 2026, we will reach a critical mass by opening 130-140 million savings accounts. Now, our aspiration is to seek a small finance bank licence so that we can widen our product bouquet," Viswesvaran said.

The bank has opened 112 million accounts so far. Out of these, 26.8 million accounts were opened in 2024 alone, with 59% belonging to women. About three-fourth of these accounts are in rural India.

इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र' मुद्रण तिथि– 07 मार्च 2025

'Full-scale launch of DakPay by mid-FY26'

R VISWESVARAN, managing director and chief executive officer (MD & CEO) of India Post Payments Bank, says transition to small finance bank will help margins but operational cost for small ticket loans are very high. He spoke to **Manojit Saha** in an exclusive interview. Edited excerpts:

India Post Payments Bank has completed operations of more than six years. What are the key milestones achieved?

The bank started operations in 2018, but before that, in 2016, it was envisioned that it would be a bank which takes care of financial inclusion, primarily. Because the Prime Minister then saw that there is a Department of Post (DoP) with a wide network of post offices, more than 165,000 all over India, and having more than 250,000 GDSes, or Gram Dak Sevaks. Can they be able to give doorstep service? Can we provide banking service for the unbanked? That was the vision. So, the vision was to be a digital bank, take care of the digital aspects completely, use the physical network of the DoP, do a complete financial inclusion, making payments available, and give them direct benefit transfer (DBT). Also, the vision was to include the most excluded, the women of rural centres. And be self-sustainable and profitable, and should not be a drain on the government.

Originally, it was thought that the bank would be profitable in the seventh year. The bank has been profitable from the fourth year itself.

How many accounts are opened every day?

We open more than 60,000-70,000 accounts every day. 79 per cent of the transactions are happening in rural centres; 44 per cent accounts are held by rural women. DBT is another big success for us. Today we are having an 8 per cent market share in DBT.

In schemes like PM-Kisan Samman Nidhi, we have a 12 per cent market share. And in PM-Kisan, 59 per cent of the beneficiaries are women, rural women. Today we have 112 million customers.

You said you do 28 million transactions every day. What was the figure two years ago?

We have almost doubled the volume in one year. The growth is nearly 70-80 per cent year-on-year (Y-o-Y). In terms of customer growth, we had 88 million customers last March, and today we have 112 million. We open about 60,000-70,000, sometimes even 80,000, accounts a day.

So, going ahead, say one year down the line, where do you see this 28 million number?

According to our projections, this number can go up to six crore in the next two-three years. In the peak time, we are able to do more than 4,500 transactions per second. So, that is the capability of the system, which is also being enhanced for the higher transaction volume envisaged.

The Union Budget said that India Post will be transformed into a large public logistic organisation. And India Post Payments Bank, alongside 2.5 lakh Dak Sevaks, will act as a catalyst for the rural economy. So, what will be your role here?

See, the logistics part is completely India Post's game. We are going to act as a catalyst for the rural centres. Number one is a combination of cash pickup, KMI pickup, and DBT. Number two is insurance. Number three is credit under assisted digital service. So, by this bouquet of services, we will be playing as a catalyst for the rural economy. This is our domain.

Do you see transitioning into a small finance bank? What are the advantages?

What we are doing is we are taking deposits — current account and savings account deposits. As much as 75 per cent of the deposits are invested in government securities. And 25 per cent we deposit in other scheduled commercial banks. The deposit base is ₹18,000 crore. There is a feeling that the margin available to operate is thin. And the number of available opportunities for us is very limited.

Lending will help margins to expand. However, there is an operating cost there. The cost of lending, especially small ticket, is much higher. The cost of servicing is also very high. Yes, of course, lending will help the margins. But it is not an easy game. This is also subject to regulatory approvals.

Third-party payments apps have cornered the majority of digital payment market share. What is your game plan there?

Yes, actually we are also having a similar app known as DakPay. It has launched already, but we are in the testing phase. We have made it available only on Android phones. We expect a full-scale launch somewhere in the middle of the next financial year (FY26). Maybe by August.

Q&A

R VISWESVARAN
MD & CEO, India Post Payments Bank

बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्ररू मुद्रण तिथि– 08 मार्च 2025 समाचार पत्र

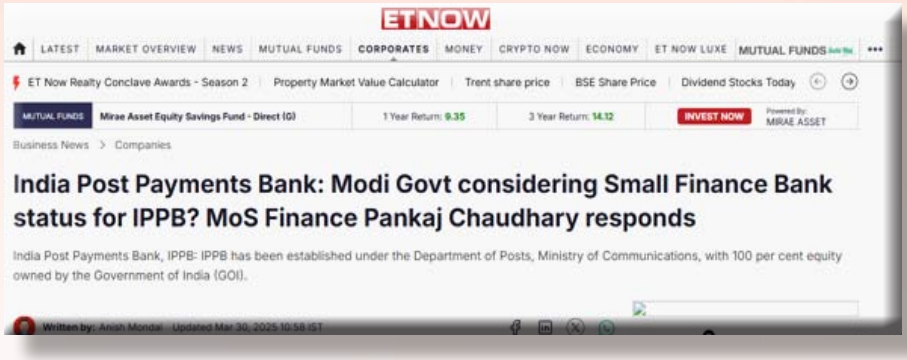

ETNOW

LATEST | MARKET OVERVIEW | NEWS | MUTUAL FUNDS | CORPORATES | MONEY | CRYPTO NOW | ECONOMY | ET NOW LUXE | MUTUAL FUNDS

ET Now Realty Conclave Awards - Season 2 | Property Market Value Calculator | Trent share price | BSE Share Price | Dividend Stocks Today

MUTUAL FUNDS | Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct (G) | 1 Year Return: 9.35 | 3 Year Return: 14.12 | INVEST NOW | Powered by: MIRAE ASSET

Business News > Companies

India Post Payments Bank: Modi Govt considering Small Finance Bank status for IPPB? MoS Finance Pankaj Chaudhary responds

India Post Payments Bank, IPPB: IPPB has been established under the Department of Posts, Ministry of Communications, with 100 per cent equity owned by the Government of India (GOI).

Written by: Anish Mondal Updated Mar 30, 2025 10:58 IST

https://www.etnownews.com/companies/india-post-payment-bank-modi-govt-considering-small-finance-bank-status-for-ippb-mos-finance-pankaj-chaudhary-responds-article-151316193

प्रमुख स्पर्धाएँ

1. महाकुंभ 2024

महाकुंभ मेला 2025 की आध्यात्मिक भव्यता के दौरान, प्रयागराज में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने लाखों श्रद्धालुओं तक आवश्यक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एईपीएस लेनदेन, खाता खोलना, व्यापारी ऑनबोर्डिंग और सीईएलसी जैसी सेवाएं मेले के क्षेत्र में और उसके आस–पास स्थित पांच प्रमुख डाक घरों पर आसानी से उपलब्ध कराई गईं।

अपने पहुंच और जुड़ाव को गहरा करने के लिए, आईपीपीबी ने एक व्यापक ब्रांडिंग और मार्केटिंग अभियान शुरू किया जिसमें संगम के पानी पर नौकाओं पर ब्रांडिंग, शहर के प्रमुख चौराहों पर डिजिटल एलईडी स्क्रीन, और तीर्थयात्रियों के लिए कस्टम–ब्रांडेड फोटो जैकेट शामिल थे। इसके अलावा, एलईडी टीवी, फ्लायर, पेन और कीचेन जैसे मर्चेंडाइज, और विंडचीटर जैकेट ने भी जमीन स्तर पर आईपीपीबी की दृश्यता को और बढ़ाया।

इन पहलों ने सुनिश्चित किया कि आईपीपीबी केवल देखा ही नहीं गया, बल्कि इसे अनुभव भी किया गया जहां परंपरा और तकनीक का सुंदर मिश्रण था, और "हर घर का डिजिटल बैंक" बनने के अपने मिशन को दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगम के बीच भी मजबूती से स्थापित किया।

Digital LED Display:

Boat Branding:

Photography:

Merchant Onboarding:

Keychain and Pen:

2. आईपीपीबी दिवस

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने अपने स्थापना दिवस का जश्न बड़े गर्व के साथ मनाया, जिसमें 10 करोड़ ग्राहक जुड़े–जो इसके तेज विकास और अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस अवसर पर आईपीपीबी के नए लोगो का अनावरण भी हुआ, जो हर घर का डिजिटल बैंक के रूप में इसकी उभरती पहचान का प्रतीक है।

डाक सचिव सुश्री वंदिता कौल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और अपने अनूठे डाक विभाग –आईपीपीबी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने की आईपीपीबी की यात्रा का जश्न मनाया, जो अब अपने प्रभाव और व्यापकता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है।

3. भारत बैंकिंग शिखर सम्मेलन 2024

आईपीपीबी सीएसएमओ श्री गुरशरण बंसल ने 7 जून 2024 को आयोजित इंडिया बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स 2024 में **'बैंकिंग में संवादात्मक एआईः अपने डिजिटल बैंकिंग को बदलें'** विषय पर एक विशेषज्ञ पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। उन्होंने 6 जून 2024 को आयोजित इंडिया बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स 2024 में **'डिजिटल ग्राहक ऑनबोर्डिंग और केवाईसीः क्रेडिट और अनुभव को बदलना'** विषय के लिए एक मॉडरेटर के रूप में भी काम किया।

4. ईटी बीएफएसआई सीएक्सओ कॉन्क्लेव

ईटीबीएफएसआई सीएक्सओ कॉन्क्लेव पैनल सत्रः भारत के आर्थिक भविष्य को सशक्त बनानाः डिजिटल अर्थव्यवस्था को भुनाना, के दौरान इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के एमडी और सीईओ आर. विश्वेश्वरन ने बैंक की उपलब्धियों और भविष्य के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आईपीपीबी का गठन भारत के सबसे दूरदराज के हिस्सों तक पहुंचने वाले व्यापक डाक नेटवर्क का पूरा लाभ उठाने के लिए किया गया था। उन्होंने साझा किया कि बैंक हर दिन 1 लाख से अधिक खाते खोलता है और केवल छह वर्षों के भीतर 10 करोड़ खातों को पार कर गया है। प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन के साथ, आईपीपीबी ने दूरदराज के इलाकों सहित कई राज्यों में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि डाक कर्मचारियों (डाकिया) के लिए एक संरचित जागरूकता तंत्र और सहायता प्रणाली प्रश्नों को तुरंत संबोधित करने के लिए मौजूद है।

(Ref : https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/banking/bfsi-must-grow-20x-for-india-to-achieve-developed-nation-status-by-2047/113447777)

5. एनपीसीआई सिनर्जी पहलः

आर. विश्वेश्वरन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 'भारत के आर्थिक भविष्य को सशक्त बनानाः डिजिटल अर्थव्यवस्था को भुनाना' विषय पर पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उच्च–स्तरीय पैनल चर्चाएँ हुईं। 'वित्तीय सेवाओं में सहयोगात्मक मॉडल' नामक पैनल चर्चा में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और एनपीसीआई के बीच साझेदारी विकास को गति दे सकती है और नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। फिनो पेमेंट्स बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने इस चर्चा में भाग लिया और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने और भारत में अंतिम व्यक्ति तक ऋण पहुँच बढ़ाने के लिए नवीन उत्पादों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की।

वैधानिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा मेंज
सदस्यगण,

आपके निदेशकगण यह 9वीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें कंपनी (IPPB) के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की समीक्षा सम्मिलित है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (पिछले वर्ष की तुलना सहित) निम्न प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
कुल जमा	19,345.23	11,552.19
कुल परिसंपत्तिध्देयताएँ	22,907.27	13,662.76
कुल आय	2,148.12	1,265.29
कुल व्यय	2,014.26	1,231.05
वर्ष के लिए निवल लाभ/निवल हानि	133.85	34.23
निवल सम्पत्ति	1,384.12	959.57
भारत सरकार की शेयरधारिता (%)	100.00	100.00
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (%)	49.24	54.86
टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	48.85	54.64
प्रति शेयर आय – मूल/डाइल्यूटेड (रु. में)	0.60	0.18

प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं और अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कंपनी ने ₹2148.12 करोड़ की कुल आय अर्जित की तथा कुल व्यय ₹2014.26 करोड़ रहा। वर्ष का शुद्ध लाभ ₹133.85 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष का शुद्ध लाभ ₹34.23 करोड़ था।

सार्वजनिक जमा

कंपनी एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 एवं 74 तथा कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) और (VI) के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण लागू नहीं होते।

लाभांश

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

निदेशक मंडल यह आश्वासन देता है कि वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखे लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;
- अपनाई गई लेखा नीतियाँ निरंतरता के साथ लागू की गई हैं और कंपनी की स्थिति एवं लाभ का सच्चा व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करती हैं;

- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
- लेखे सतत व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- लागू विधिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु पर्याप्त प्रणाली लागू है और प्रभावी रूप से संचालित हो रही है।

वैधानिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मेसर्स अंबानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन – 016923N) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी ऑफ इंडिया) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु स्व–व्याख्यात्मक हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और परिशिष्ट रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली को कंपनी का सचिवीय लेखा–परीक्षण (सीसीए) करने के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा–परीक्षण की रिपोर्ट और प्रबंधन का उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक समय–समय पर अधिसूचित सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करता है ।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को निदेशक मंडल द्वारा 19 जनवरी, 2017 को अनुमोदित किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक को वित्त वर्ष 2024–25 में सीएसआर पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021–22, वित्त वर्ष 2022–23 और वित्त वर्ष 2023–24) का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक है।

निदेशक मंडल

बैंक का निदेशक मंडल व्यापक आधार वाला है और इसका संविधान कंपनी अधिनियम 2013 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित है। बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है और साथ ही बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्रित शासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

निर्देशकों के बीच आपसी संबंध

आपके बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या या दो निदेशकों (जो भी अधिक हो) से होगा, बशर्ते कि कम से कम एक निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो।

मार्च 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल की स्थितिः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अधिभोग की अवधि प्रभावी
1	वंदिता कौल	अध्यक्ष एवं निदेशक	01/06/2024
2	राजुल भट्ट	नामित निर्देशक	24/07/2024
3	आर विश्वेश्वरन	एमडी एवं सीईओ	27/03/2024
4	भूमिका वर्मा	नामित निर्देशक	27/03/2025
5	डॉ. जतिन कुमार मोहंती	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
6	जयश्री व्रजलाल दोशी	स्वतंत्र निदेशक	28/09/2022
7	कलियानन ए.	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
8	वीणय गनू	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
9	नवनीत कक्कड़	स्वतंत्र निदेशक	11/09/2022
10	श्रीकांत नामदेव	नामित निर्देशक	18/01/2023

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान / अंतिम वार्षिक आम बैठक की तारीख से रिपोर्टाधीन तिथि तक निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गयाः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि से अधिवास की अवधि
1	वंदिता कौल	निदेशक एवं अध्यक्ष	01/06/2024
2	राजुल भट्ट	नामित निर्देशक	24/07/2024
3	भूमिका वर्मा	नामित निर्देशक	27/03/2025

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान / अंतिम वार्षिक आम बैठक की तारीख से अब तक निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/ केएमपी नहीं रहेः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	इस्तीफे देने की तिथि
1	विनीत पांडे	निदेशक एवं अध्यक्ष	09/06/2021	30/05/2024
2	पवन कुमार सिंह	नामित निर्देशक	15/12/2021	12/7/2024
3	संजय प्रसाद	नामित निर्देशक	05/12/2018	27/03/2025

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को केएमपी के रूप में नामित किया गया था:

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	प्रभावी तिथि से अधिवास की अवधि
1	आर विश्वेश्वरन	एमडी एवं सीईओ	27/03/2024
2	अनूप ईएस	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01/04/2022
3	प्रियंका भटनागर	कंपनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड बैठकें

वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की ग्यारह (11) बार बैठक हुई: –

67वीं बोर्ड बैठक 17 मई, 2024 को आयोजित	68वीं बोर्ड बैठक 26 जून, 2024 को आयोजित	69वीं बोर्ड बैठक 24 जुलाई, 2024 को आयोजित	70वीं बोर्ड बैठक 12 अगस्त, 2024 को आयोजित	71वीं बोर्ड बैठक 11 सितंबर, 2024 को आयोजित	72वीं बोर्ड बैठक 23 सितंबर, 2024 को आयोजित
73वीं बोर्ड बैठक 24 अक्टूबर, 2024 को आयोजित	74वीं बोर्ड बैठक 28 नवंबर, 2024 को आयोजित	75वीं बोर्ड बैठक 09 जनवरी, 2025 को आयोजित	76वीं बोर्ड बैठक 11 फरवरी, 2025 को आयोजित	77वीं बोर्ड बैठक 27 मार्च, 2025 को आयोजित	

बोर्ड बैठक में निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या– 11)
विनीत पांडे	01 में से 01 (इस्तीफा देने की तिथि 30/05/2024)
संजय प्रसाद	11 में से 01 (इस्तीफा देने की तिथि 27/03/2025)
आर. विश्वेश्वरन	11 में से 10
पवन कुमार सिंह	02 में से 02 (इस्तीफा देने की तिथि 12/07/2024)
श्रीकांत नामदेव	11 में से 08
नवनीत कक्कड़	11 में से 11
कलियानन ए.	11 में से 11
वीने गनू	11 में से 11
जयश्री व्रजलाल दोशी	1 1 में से 11
डॉ. जतिन कुमार मोहंती	11 में से 11
वंदिता कौल	10 में से 10 (नियुक्ति तिथि 01/06/2024)
राजुल भट्ट	09 में से 09 (नियुक्ति तिथि 24/07/2024)
भूमिका वर्मा	01 में से 01 (नियुक्ति तिथि 27/03/2025)

बोर्ड की समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करने के लिए निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न उप–समितियों का गठन किया है। ये महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नलिखित हैं:

1) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
2) बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
4) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
5) बोर्ड की मानव संसाधन संचालन समिति (जिसे पहले भर्ती सलाहकार समिति के नाम से जाना जाता था)
6) बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति
7) बोर्ड की विपणन एवं व्यावसायिक कार्यनीति समिति
8) धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति (जिसे पहले 10 मिलियन (1 करोड़) रुपये और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति के रूप में जाना जाता था)

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक श्री नवनीत कक्कड़ अध्यक्ष हैं। लेखा परीक्षा समिति, बैंक के लेखांकन, लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और अखंडता की निगरानी और कानूनी एवं अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बोर्ड के दायित्व में सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कंपनी की लेखा और वित्तीय प्रक्रिया की निगरानी करना और बैंक के तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय लेखों की समीक्षा करना है। वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह (06) बैठकें आयोजित की गईं।

39वीं लेखा परीक्षा समिति 22 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई	40 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 25 जून, 2024 को आयोजित	41 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 26 जून, 2024 को आयोजित की गई	42 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 09 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई
43 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 23 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गई	44 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 19 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई		

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए सिफारिशें;
2. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
3. वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;
4. कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन की स्वीकृति अथवा उसमें किसी भी प्रकार के बाद के संशोधन की स्वीकृतियाँ;
5. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
6. जहां भी आवश्यक समझा जाए, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
9. बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारी।

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति के रूप में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायत दर्ज कराने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना है और कर्मचारियों को यह आश्वासन देना है कि उन्हें उत्पीड़न से बचाया जाएगा और उनके द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई किसी भी व्हिसल ब्लोइंग के लिए उनकी सुरक्षा की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को किसी समस्या को नजरअंदाज करने या उसे बाहरी रूप से निपटाने के बजाय संगठन के भीतर गंभीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम बनाना है।

कंपनी पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के सर्वोच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सतर्कता तंत्र का उपयोग करके सद्भावनापूर्वक कोई भी चिंता व्यक्त करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं। यदि व्हिसल ब्लोअर चाहे तो कंपनी उसकी पहचान सुरक्षित रखती है। हालाँकि, शिकायत की जाँच के लिए व्हिसल ब्लोअर को किसी भी अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही में उपस्थित होना आवश्यक है। यह तंत्र एक विस्तृत शिकायत और जाँच प्रक्रिया प्रदान करता है।

यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो कर्मचारी सीधे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक तक सीधी पहुँच के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघनों की सूचना देने वालों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति में श्री वीणय सहित छह सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक, श्री गनू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है जिसका उद्देश्य जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन बनाए रखना है। इसमें कंपनी के व्यवसाय में जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन शामिल है। नीति के अनुसार, निरंतर आधार पर निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। समिति की समग्र जिम्मेदारी बैंक के संपूर्ण जोखिम का प्रबंधन करना, बाजार और परिचालन जोखिमों सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन, विभिन्न जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना और बैंक की साइबर सुरक्षा की समीक्षा करना है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति का विधिवत कार्यान्वयन किया है। वर्ष 2024–25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गईं।

21 वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 18 मई, 2024 को आयोजित की गई	22 वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 14 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई	23 वीं जोखिम प्रबंधान समिति की बैठक 23 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गई	24 वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 19 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार 28 जून, 2017 को कंपनी की नामांकन पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समिति में सुश्री जयश्री व्रजलाल दोशी, स्वतंत्र निदेशक के अध्यक्ष के रूप में पांच सदस्य हैं। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'फिट और उचित मानदंड' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित परिश्रम करने समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की 30.08.2019 की व्यापक अधिसूचना ने आरबीआई मास्टर निर्देश दिनांक 02.08.2019 द्वारा निर्दिष्ट संरचना के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति दोनों के कार्यों को करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया।

11 वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 27 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई

ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए 28 जून, 2017 को कंपनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था। समिति में पाँच सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक डॉ. जतिन कुमार मोहंती अध्यक्ष और प्रमुख ग्राहक सेवा अधिकारी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की दो (02) बैठकें आयोजित की गईं।

12वीं ग्राहक सेवा समिति 08 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई	13 वीं ग्राहक सेवा समिति की बैठक 28 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई

मानव संसाधन संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति के नाम से जानी जाती थी)

मानव संसाधन संचालन कंपनी की समिति का गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया था। समिति में तीन सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक सुश्री जयश्री व्रजलाल दोशी अध्यक्ष हैं और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2024–25 के दौरान पाँच (05) मानव संसाधन संचालन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

29वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 18 मई, 2024 को आयोजित की गई	30वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 25 जून, 2024 को आयोजित की गई	31वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 09 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई	32वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 10 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई
33वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 26 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई			

आईटी कार्यनीति समिति

बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति (पूर्व में आईटी संचालन समिति) का गठन 5 दिसंबर, 2018 को किया गया था। इस समिति में छह सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक श्री कलियानन ए. अध्यक्ष हैं । मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति के व्यापक कार्य निम्नलिखित हैं:

1. आईटी रणनीति और नीति को मंजूरी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू कर दी है।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीपीबी प्रौद्योगिकी संगठन संरचना व्यवसाय मॉडल के अनुरूप है, प्रतिभा सोर्सिंग पर समर्थन और दिशा–निर्देश प्रदान करना।
3. सर्वोत्तम अभ्यास प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन पर केंद्रित प्रणाली वास्तुकला के निर्माण में प्रबंधन का मार्गदर्शन करना।
4. निम्नलिखित व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर प्रौद्योगिकी में निवेश को मंजूरी देना, ताकि जोखिम और लाभ के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके तथा साथ ही नई प्रौद्योगिकी विकल्पों और लागत संबंधी विचारों को ध्यान में रखा जा सके:
   - क. नई राजस्व लाइनें
   - ख. ग्राहक अनुभव में सुधार
   - ग. नियामक अनुपालन
   - घ. प्रक्रिया दक्षता का निर्माण

वर्ष 2024–25 के दौरान, छह (06) आईटी कार्यनीति समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

23वीं आईटी कार्यनीति समिति की बैठक 23 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई	24वीं आईटी कार्यनीति समिति की बैठक 25 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई	25वीं आईटी कार्यनीति समिति की बैठक 08 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई	26वीं आईटी कार्यनीति समिति की बैठक 27 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई	27वीं आईटी कार्यनीति समिति की बैठक 09 जनवरी, 2025 को आयोजित की गई
28वीं आईटी कार्यनीति समिति की बैठक 20 फरवरी, 2025 को आयोजित की गई				

विपणन एवं व्यावसायिक कार्यनीति समिति

विपणन एवं व्यावसायिक कार्यनीति समिति का गठन 23 फरवरी, 2023 को किया गया। समिति में पाँच सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक डॉ. जतिन कुमार मोहंती अध्यक्ष हैं। विपणन एवं व्यावसायिक कार्यनीति समिति की एक बैठक वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित की गई थी।

तीसरी मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी समिति की बैठक 27 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति [पूर्व में निगरानी के लिए विशेष समिति के रूप में जानी जाती थी] 10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति

10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति का गठन 25 नवंबर, 2023 को किया गया था। समिति में श्री वीणय के साथ पांच सदस्य हैं । स्वतंत्र निदेशक श्री गनू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए दूसरी विशेष समिति की बैठक 18 मई, 2024 को आयोजित की गई।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और बोर्ड की राय में वे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारी पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत सूचना

आईपीपीबी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और संबंधित नियम इस पर लागू नहीं होंगे। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। आईपीपीबी के कंपनी सचिव, केएमपी का वेतन, नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के तहत बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में वक्तव्य

आईपीपीबी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) और संबंधित नियमों के प्रावधान भारत

सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के राजपत्र अधिसूचना के मद्देनजर लागू नहीं होंगे।

संबंधित पक्ष लेनदेन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई संबंधित पक्ष अनुबंध, व्यवस्था या लेनदेन नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का फॉर्म एओसी 2 में कोई खुलासा नहीं किया गया है।

होल्डिंग और सहायक कंपनी

इसमें कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की अधिकृत और भुगतान की गई शेयर पूंजी में परिवर्तन

(I) अधिकृत पूंजीः 10 रूपये प्रति शेयर के 2,35,50,00,000 इक्विटी शेयर।

(II) प्रदत्त पूंजीः 10 रूपये प्रति शेयर के 2,35,50,00,000 इक्विटी शेयर।

इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू

कंपनी ने शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयरधारक, डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू जारी किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत दिए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए, आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रक्रिया बताई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने और अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील दायर करने के अधिकार के तहत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए पूरे संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप, आईपीपीबी की वेबसाइट पर विभिन्न श्रेणियों की सूचनाओं का सक्रिय प्रकटीकरण किया गया है ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का सहारा लेने की न्यूनतम आवश्यकता पड़े।

राजभाषा

आपकी कंपनी राजभाषा (राजभाषा हिंदी) के प्रसार और संवर्धन के लिए सतत प्रयास करती है। भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियम/आदेशों के अनुसरण में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में से एक, अर्थात कंपनी में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन, दैनिक सरकारी पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें लिखित रूप में सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया। कंपनी की वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के अंतर्गत सूचना

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता और तत्परता तथा कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है, जिसमें इसकी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ और विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन शामिल है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है।

निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है। आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किए हैं ।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंधन और कर्मचारियों/स्टाफ के बीच संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहे। कंपनी के कर्मचारियों के विकास के लिए कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण और उत्पादकता सुधार जैसी मानव संसाधन पहलों पर विशेष ध्यान दिया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती है। किसी भी प्रकार का भेदभाव और/या उत्पीड़न। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न–विरोधी नीति अपनाई है। यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आती हैं। वर्ष 2024–25 के दौरान:

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या– 02
2. 31 मार्च 2025 तक निपटाए गए मामलों की संख्या – 02
3. 31 मार्च 2025 तक लंबित मामलों की संख्या– शून्य

आपके निदेशकगण ने आगे बताया कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तीन मामले दर्ज किए गए।

धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य नहीं हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा धोखाधड़ी के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई।

सचिवीय मानक

निदेशकों ने बताया कि कंपनी पर लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

लागत लेखापरीक्षा के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के तहत दिए गए प्रावधान, वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय/व्यय

अनुलग्नक – क

पावती

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सचिवीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के बहुमूल्य योगदान, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड को विश्वास है कि कर्मचारियों के निरंतर और समर्पित प्रयासों से, आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना करने और बेहतर प्रदर्शन हासिल करने में सक्षम होगी।

निदेशक मंडल की ओर से

ह०/–
वंदिता कौल
अध्यक्ष
डीआईएन– 07854527
जी 501, सीजीआरसी,
डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली

ह०/–
आर. विश्वेश्वरन
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन –10514859
एम–6, द्वितीय तल,
ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,
नई दिल्ली

स्थानः दिल्ली
तारीखः 02.12.2025

अनुलग्नक – क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा 3 के उपखंड (एम) और कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार

(क) ऊर्जा संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	कंपनी की नीति है कि कार्यालय समय के बाद उन क्षेत्रों में बिजली बंद कर दी जाती है जहाँ कर्मचारी दिन भर के लिए चले जाते हैं। कंपनी ऊर्जा संरक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग का तापमान भी बनाए रखती है। कंपनी अपनी ऊर्जा खपत और दक्षता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	कंपनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है
ऊर्जा पर पूंजी निवेश पर बातचीत	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय–समय पर निवेश पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास: शून्य

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ: शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): लागू नहीं

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा

(ख) आयात का वर्ष

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से आत्मसात कर ली गई है

(घ) यदि पूर्णतः समाहित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र जहां समाहित नहीं हुआ है, तथा उसके कारण; और

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

प्रयुक्त विदेशी मुद्रा: शून्य रूपये

अर्जित विदेशी मुद्रा: शून्य रूपये

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और तत्संबंधी समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवेचनात्मक सूचना सहित एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत बैंकिंग कंपनियों के लिए यथापेक्षित स्वरूप में 31 मार्च, 2025 को बैंक के मामलों की स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा उसके नकदी प्रवाह को लेकर अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और ये कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं.

2. अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, उस संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने उस मामले को कैसे संबोधित किया, इसका विवरण दिया गया है:

	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आईटी प्रणालियाँ और नियंत्रण प्आईटी नियंत्रण फ्रेमवर्क को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि बैंक का व्यवसाय आईटी वातावरण पर अत्यधिक निर्भर है, क्योंकि बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं बैंकिंग, ट्रेजरी और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में अंतराल के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी जा सकती है। बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक की प्रणालियों और डेटा की अखंडता की सुरक्षा की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं क्योंकि हाल के दिनों में साइबर सुरक्षा एक बड़ा जोखिम बन गई है। इसलिए, आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ–साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व को देखते हुए, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में पहचाना है।	बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में: हमने बैंक की मौजूदा आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए, ऑडिट प्रक्रियाओं और नमूना जाँचों की योजना बनाई, डिजाइन किया और उन्हें क्रियान्वित किया। हमने बैंक के आईटी परिवेश की समझ हासिल की, जिसमें विभिन्न प्रणालियों का एकीकरण भी शामिल था ताकि उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें यह परीक्षण भी शामिल था कि प्रणालियों तक पहुँच के अनुरोधों की समीक्षा की गई और उन्हें अधिकृत किया गया। हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए प्रणालियों में परिवर्तन के अनुरोधों का निरीक्षण किया। इसके अलावा, हमने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एक बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 26.03.2025 को प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। जहाँ कमियाँ पाई गईं, हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा या वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ अपनाईं।
2.	बैंक की बैंकिंग व्यावसायिक गतिविधियाँ, बैंक की ओर से, डाक विभाग (डीओपी) द्वारा व्यावसायिक पत्राचार (बीसी) के रूप में संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के बैंकिंग व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव हेतु तृतीय पक्षों को आउटसोर्स किया गया है।	
	हमने अपनी लेखापरीक्षा में इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसमें शामिल लेन–देन की मात्रा और भौतिकता, वित्तीय विवरणों में शेष राशि और जोखिम शामिल थे। बैंकिंग व्यवसाय, अर्थात् ग्राहकों के बचत/चालू बैंक खाते खोलना, नकद जमा, नकद भुगतान/हस्तांतरण आदि, बैंक की ओर से डाक विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। बैंकिंग व्यवसाय सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को भी कार्यान्वित, संचालित और रखरखाव हेतु आउटसोर्स किया गया है। (संलग्न वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की नोट संख्या 33.1 देखें)।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दोनों संस्थाओं की सामान्य सेवाएं डीओपी (जीडीएस/बीसी) के मानवशक्ति के एक ही सेट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, हालांकि, दोनों संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलग–अलग हैं, हमने बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित लेनदेन और सीबीएस में किए गए लेखांकन प्रविष्टियों के संबंध में दैनिक/आवधिक निपटान के लिए बैंक के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) द्वारा तैयार उत्पादवार रिपोर्ट/रिकॉर्ड पर हमारे द्वारा किए गए परीक्षण जांच के आधार पर भरोसा किया है।

3.	संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली एकीकरण और उसके रखरखाव के लिए दिए गए अनुबंध की समाप्ति के विरुद्ध विक्रेता द्वारा मुकदमा दायरः	
	मुकदमेबाजी में विक्रेता द्वारा दावा की गई राशि के कारण, हमने इस मामले को अपनी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना। एक सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के माध्यम से 'समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म' के कार्यान्वयन का अनुबंध, विक्रेता और बैंक के बीच हस्ताक्षरित एमएसए और एसएलए की शर्तों के अनुसार सेवाओं के विलंब और/या गैर–निष्पादन के कारण, पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। विक्रेता का ₹424.36 करोड़ का दावा मध्यस्थता के अधीन है, और ₹254.23 करोड़ का खुलासा 'अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ' के अंतर्गत किया गया है। (संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 34 देखें)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विक्रेता ने अनुबंध में निर्धारित समय–सीमा का पालन नहीं किया और दोष–रहित सेवाएँ प्रदान करने में भी विफल रहा। परिणामस्वरूप, इस देरी और दोष–रहित प्रदर्शन में कमी के लिए ठेकेदार पर जुर्माना/परिसमाप्त क्षतिपूर्ति लगाई गई/वसूली गई। परिणामस्वरूप, बैंक ने दिनांक 10.07.2023 को समाप्ति नोटिस जारी करके अनुबंध समाप्त कर दिया। विक्रेता ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 9 फरवरी 2024 के अपने आदेश द्वारा मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से मध्यस्थता के लिए भेज दिया। मामला वर्तमान में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। ठेकेदार द्वारा जारी किए गए लगभग ₹163.47 करोड़ के बिलों पर बैंक ने विवाद किया है और उन्हें रोक लिया है। बैंक ने विक्रेता पर ₹62.27 करोड़ का जुर्माना लगाया है और 31 मार्च 2023 तक ₹101.20 करोड़ (जुर्माने के बाद) का प्रावधान किया है। इसके अलावा, विक्रेता द्वारा जमा की गई ₹68.93 करोड़ की परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) को बैंक ने सितंबर 2023 में लागू कर दिया है। मुकदमे का परिणाम आने तक इस राशि को 'विविध खाते' में दर्ज किया गया है। मुकदमे में विक्रेता द्वारा दावा की गई कुल राशि ₹424.36 करोड़ है। बैंक ने 'अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ के अंतर्गत ₹254.23 करोड़ की राशि का खुलासा किया है, जो ऊपर उल्लिखित खातों में पहले से मौजूद देयताओं को समायोजित करने के बाद विक्रेता द्वारा दावा की गई राशि है।

4. ध्यानाकृष्ट मामलेः

हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

i. वास्तविक उपयोगी/लाइसेंस प्राप्त जीवन के बजाय अनुमानित जीवन पर विचार करते हुए सॉफ्टवेयर के मूल्यह्रास की नीति के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की नोट संख्या 6.3।

ii. संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 31.3 के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्तमान में चल रहा है। इस सतत प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के संभावित बट्टे खाते में डालने हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

iii. बैंक और डाक विभाग के बीच किए गए लेन–देन को संबंधित पक्ष लेन–देन के रूप में प्रकट न करने के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 33, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 18 के पैरा 9 के अनुसार ऐसे प्रकटीकरण के लिए छूट की दृष्टि से, क्योंकि दोनों संस्थाएं भारत सरकार के एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन हैं।

4 नवंबर, 2022 को डाक विभाग और बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के पैरा 3.13 में कहा गया है कि 'भारतीय रिजर्व

बैंक की लाइसेंस शर्तों के अनुसार डेटा को मिलाए बिना, डाक विभाग और आईपीपीबी के बीच निर्बाध संचालन के लिए पर्याप्त रिंगफेंसिंग और फायरवॉल के साथ हर समय एक दूरी बनाए रखना होगा'। बैंक और डाक विभाग का प्रबंधन मुद्दों के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

iv. जैसा कि संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 33.3 में बताया गया है, डाक विभाग (डीओपी) से वसूली योग्य बकाया राशि, डाक विभाग की ओर से बैंक द्वारा किए गए भुगतानों से संबंधित है। वर्ष के दौरान, एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के लिए 39.91 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

बैंक द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल के विरुद्ध इंफोसिस द्वारा बैंक को स्वामित्व हस्तांतरण के आधार पर 999 एटीएम के पूंजीकरण के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 33.4, तथापि, ऐसे एटीएम से संबंधित आय और व्यय का बैंक द्वारा लेखा नहीं किया जा रहा है।

v. विवादित देनदारियों के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 34, जिसमें से 101.20 करोड़ रुपये की देनदारी और 254.23 करोड़ रुपये की आकस्मिक देनदारी दर्शाई गई है। ठेकेदार द्वारा दी गई 68.93 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को भी लागू किया गया है और अन्य देनदारियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत दर्शाया गया है। एसआई/ठेकेदार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी और न्यायालय ने 9 फरवरी 2024 के अपने निर्देश के तहत मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया था। मामला अभी भी लंबित है।

vi. जैसा कि संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 38 में बताया गया है, डाकघर बचत खाते (POSA) न रखने वाले ग्राहकों के संबंधित बचत/चालू खातों से 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक राशि को विनियोजित कर लंबी अवधि के लिए 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत रखा गया है। ग्राहकों के खातों में मूल्य तिथि के आधार पर ब्याज जमा किया जा रहा है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5. अन्य सूचना

बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई भी रूप या आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी अधिकारियों को बताना होगा।

6. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

क. बैंक का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 7 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

ख. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां

लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन बैंक को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

ग. निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

7. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां।

क. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

ख. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

ग. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

घ. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

ङ. शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय

विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

8. अन्य मामले:

i. इन वित्तीय विवरणों में अखिल भारतीय स्तर पर स्थित 1 शाखा और 649 बैंकिंग आउटलेट्स के आंकड़े/सूचनाएं शामिल हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है और केवल बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई उनके आंकड़ों से संबंधित सूचना/स्पष्टीकरण पर ही निर्भर रहे हैं।

ii. मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के आधार पर डेटा/प्रारंभिक डेटा शामिल था, जिसका लेखा–जोखा मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उनकी असंशोधित रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 के माध्यम से किया गया था, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जिन पर हमने इन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए भरोसा किया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में वित्तीय विवरण और हमारी रिपोर्ट पर हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं किया गया है।

9. अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

i. तुलनपत्र और लाभ–हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के साथ कंपनी (नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के अनुसार तैयार किया गया है।

ii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार, उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषप्रद पाया है;

   ख. बैंक के जो लेन–देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं;

   ग. चूंकि बैंक के प्रमुख परिचालन स्वचालित हैं तथा प्रमुख अनुप्रयोग कोर बैंकिंग प्रणाली से एकीकृत हैं, इसलिए लेखापरीक्षा केंद्रीय स्तर पर की जाती है, क्योंकि लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड और आंकड़े इसमें उपलब्ध हैं।

iii. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित किया गया है; धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग, कि क्या बैंक द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है और क्या पूर्वोक्त धारा के अनुसार कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है, लागू नहीं है।

iv. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप–निर्देशों पर विचार किया है। हम अपनी रिपोर्ट संलग्न 'अनुलग्नक 'क' में दे रहे हैं।

v. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

   ख. हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;

   ग. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 7 के साथ पढ़ें, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;

ङ. निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए आधार पर, 31 मार्च 2025 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है;

च. हमने 31 मार्च, 2025 तक बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और 'अनुलग्नक ख' के रूप में संलग्न हमारी रिपोर्ट के साथ संयुक्त है। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक अपनी वित्तीय स्थिति पर वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के तहत लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है;

ii. बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

iii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') भी शामिल हैं, कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशित (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक को किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पक्ष') शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि बैंक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी कोई सुविधा प्रदान करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप–खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

छ. बैंक ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए बैंक पर लागू नहीं होता है।

ज. बैंक ने अपने खाता–बही को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करने) की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन.: 016923N
ह०/–
(सीए हितेश अंबानी)
नामित भागीदार
एम.नं: 506267
यूडीआईएन: 25506267BMJBPU5145
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2025

30 जुलाई, 2025

निदेशक मंडल
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
स्पीड पोस्ट सेंटर, गोल मार्केट
नई दिल्ली

विषयः वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 20 जून, 2025 को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर 20 जून, 2025 को अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की थी। आईपीपीबी के वार्षिक लेखा के पूरक लेखा परीक्षा के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार, हम वित्त वर्ष 2024–25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित संशोधनों को शामिल करने हेतु यह परिशिष्ट जारी कर रहे हैं:

"1. अभिमत" के अंतर्गत पहले पैराग्राफ को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक को तुलनपत्र, वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

''जोर देने योग्य मामलें'' पैराग्राफ के बिंदु संख्या 4(vi) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

संलग्न वित्तीय विवरणों के अनुसूची 18 के नोट संख्या 37 में उल्लिखित है कि डाकघर बचत खाते (पीओएसए) न रखने वाले ग्राहकों के संबंधित बचत/चालू खातों से 2 लाख रुपये से अधिक की राशि को लंबी अवधि तक 'अन्य देयताओं' के अन्तर्गत जमा किया गया है। ग्राहकों के खातों में ब्याज वैल्यू डेट के आधार पर जमा किया जा रहा है।

यह परिशिष्ट वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को प्रभावित नहीं करता है। इस परिशिष्ट को हमारी मूल रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

भवदीय,

कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह०/–
सीए हितेश अंबानी
(नामित भागीदार)
सदस्यता संख्या 506267
दिनांकः 30,07,2025
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक 'क'

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर बैंक के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के C&AG द्वारा जारी निर्देशों / उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों / उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन.: 016923N

ह०/–
(सीए हितेश अंबानी)
नामित भागीदार
एम.नं: 506267

यूडीआईएन: 25506267BMJBPU5145

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2025

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2024–2025 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट

1. **कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति–पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।**

   बैंक सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से कोई निवेश नहीं करता है। ग्रेच्युटी का भुगतान इस उद्देश्य के लिए गठित एक ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। बैंक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर राशि ट्रस्ट को हस्तांतरित करता है। फिर ट्रस्ट इन निधियों से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से वार्षिकियाँ खरीदता है। अवकाश नकदीकरण का भुगतान सीधे बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाता है।

   बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने के लिए उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष निवेश करता है। निवेशों का मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) दिशानिर्देश लागू नहीं होते क्योंकि RBI ने दिनांक 22/03/2019 की अधिसूचना संख्या DBR-BP-BC-IA-29/21-07-001/2018-19 के तहत भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।

2. **क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?**

   जी हाँ, बैंक ने उन सभी भौतिक जोखिमों की पहचान कर ली है जिनसे वह प्रभावित है। इन जोखिमों का बैंक की वार्षिक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के तहत व्यापक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण किया जाता है। आईसीएएपी में प्रत्येक पहचाने गए जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के दृष्टिकोण का विवरण, साथ ही प्रासंगिक जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर विचार करने के बाद वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन शामिल है।

   इसके अतिरिक्त, बैंक के पास एक प्रमुख जोखिम संकेतक ढांचा भी है जो परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है जो बैंक को संभावित जोखिम को पहले से जानने और नियंत्रण/शमन रणनीति तैयार करने में सक्षम बनाता है।

   व्यापक जोखिम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियों का एक समूह तैयार और अपनाया है, जैसे कि परिचालन जोखिम, एएलएम नीति, तनाव परीक्षण नीति, आईसीएएपी नीति, निवेश नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, प्रतिपक्ष सीमा ढांचा आदि, जो प्रमुख भौतिक जोखिमों को कवर करते हैं। ये नीतियाँ लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं।

3. **क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, तथा सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सर्ट–इन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहाँ भी लागू हो? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।**

   कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है , जहां भी लागू हो।

4. **क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा–जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा–जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।**

वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाध्उपयोग किया गया था या नहीं, यह प्रश्न लागू नहीं होता है।

परिचालन के प्रारंभिक वर्षों में प्राप्त ₹400 करोड़ के अनुदान सहायता का, लागू नियमों और शर्तों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 तक पूर्ण उपयोग किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के निर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक अनुदान के अप्रयुक्त भाग पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹36.97 करोड़, लाभ–हानि खाते से अनुदान खाते में स्थानांतरित कर दिए गए और भारत की संचित निधि में जमा करने हेतु डाक विभाग को भेज दिए गए। इसमें कोई विचलन नहीं देखा गया।

5. **क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन–देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।**

हां, बैंक के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है।

कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन.: 016923N

ह०/–
(सीए हितेश अंबानी)
नामित भागीदार
एम.नं.: 506267

यूडीआईएनः 25506267BMJBPU5145

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.06.2025

अनुलग्नक 'ख'

अनुलग्नक में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों को दी गई स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने उस तिथि तक बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ('आईएफसीओएफआर') की भी लेखापरीक्षा की है।

2. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां:**

   बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

3. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी:**

   हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर बैंक के आईएफसीओएफआर पर राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखा परीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए हैं, आईएफसीओएफआर के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट')। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या पर्याप्त आईएफसीओएफआर स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

   हमारे लेखा परीक्षा में आईएफसीओएफआर की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। आईएफसीओएफआर के हमारे लेखा परीक्षा में आईएफसीओएफआर की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षार के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

   हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य बैंक के आईएफसीओएफआर पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:**

   बैंक का आईएफसीओएफआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। बैंक के आईएफसीओएफआर में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत

अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

5. **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ:**

आईएफसीओएफआर की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए आईएफसीओएफआर के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण आईएफसीओएफआर अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

6. **राय:**

हमारी राय में, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे।

कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन.: 016923N

ह०/–
(सीए हितेश अंबानी)
नामित भागीदार
एम.नं.: 506267

यूडीआईएन: 25506267BMJBPU5145
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.06.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2025 तक तुलनपत्र

(₹ 000 में)

पूंजी और देयताएं	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजी	1	23550000	21050000
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-8159693	-9277856
जमा	3	193452366	115521920
उधार	4	9610000	-
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	10620097	9333564
	कुल	**229072770**	**136627628**
परिसम्पत्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी	6	11156047	7265033
और शेष			
मांग और अल्प सूचना पर बैंकों	7	43385566	29949675
के पास शेष राशि			
निवेश	8	165367934	88394493
अग्रिम	9	-	-
अचल परिसंपत्तियां	10	3172512	3692152
अन्य परिसंपत्तियां	11	5990711	7326275
	कुल	**229072770**	**136627628**
आकस्मिक देयताएं	12	2681700	642974
वसूली के लिए प्राप्त बिल	-	-	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	18		

(अनुसूची 1 से 18 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं)

ह०/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/–
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/–
(राजुल भट्ट)
निदेशक
(डीआईएन 10712466)

ह०/–
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/–
एमडी व सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/–
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष (डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट – एफआरएन 016923N

ह०/–
(हितेश अंबानी)
नामित भागीदार (सदस्यता सं 506267)

दिनांक: 20.06.2025
स्थान: नई दिल्ली

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(₹ 000 में)

	अनुसूची	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
I. आय			
अर्जित ब्याज	**13**	11228473	6075759
अन्य आय	**14**	10252756	6577150
कुल		21481229	12652909
II. व्यय			
व्ययित ब्याज	**15**	3666713	1697360
परिचालन व्यय	**16**	15130364	10036823
प्रावधानित और आकस्मिकताएँ		1345593	576348
कुल		20142670	12310531
वर्ष के लिए निवल लाभ/निवल हानि		**1338559**	**342378**
लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि (अग्रेषित)		**-9457449**	**-9699673**
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**-8118890**	**-9357295**
विनियोग			
आरक्षित निधि में स्थानांतरण (निवल):			
वैधानिक रिजर्व		334640	85595
अनुदान खाता – पूंजी रिजर्व		369710	
निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व		73750	14559
अन्य रिजर्व		.	.
विशेष रिजर्व		.	.
शेष राशि को तुलनपत्र में स्थानांतरित किया गया		-8896990	-9457449
कुल		**-8118890**	**–9357295**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**17**		
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	**18**		

(अनुसूची 1 से 18 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं)

ह०/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/–
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/–
(राजुल भट्ट)
निदेशक
(डीआईएन 10712466)

ह०/–
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/–
एमडी व सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/–
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष (डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट – एफआरएन 016923N

ह०/–
(हितेश अंबानी)
नामित भागीदार (सदस्यता सं 506267)

दिनांक: 20.06.2025
स्थान: नई दिल्ली

नकदी प्रवाह विवरण

(₹ 000 में)

विवरण		वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2023–24
क. परिचालन से नकदी प्रवाह			
i) कर के बाद निवल लाभ		1338559	342378
जोड़ें: कर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)		957735	283987
कर देने से पूर्व लाभ	i)	2296294	626365
ii) समायोजन:			
जोड़े: अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास		1659040	914672
घटाएँ: प्रोद्भूत ब्याज (शुद्ध)		2206673	1099291
जोड़ें: अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ		387858	292361
जोड़ें: एएफएस रिजर्व में वृद्धि		149314	-
घटाएँ: अप्रयुक्त अनुदान पर दिया गया ब्याज		369710	-
कुल समायोजन	ii)	-380171	107742
परिचालन परिसंपत्तियों एवं देताओं में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(i)+(ii)	1916123	734107
iii) परिचालन परिसंपत्तियों एंव देताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन			
निवेश (निवल) में कमी / (वृद्धि)		-76973441	-42402647
अन्य परिसंपत्तियों (निवल) में कमी / (वृद्धि)		2670058	-2163557
अग्रिम राशि में कमी / (वृद्धि)		-	98
जमा (निवल) में (कमी) / वृद्धि		77930446	52598335
उधार (निवल) में (कमी) / वृद्धि		9610000	-
अन्य देयताओं (निवल) में (कमी) / वृद्धि		852347	4687349
परिचालन परिसंपत्तियों एवं देताओं में निवल परिवर्तन के लिए कुल समायोजन	(iii)	14089410	12719578
परिचालन से प्रयुक्त नकदी प्रवाह	(i)+(ii)+(iii)	16005533	13453685
घटाएँ: प्रत्यक्ष कर का भुगतान (रिफंड के बाद निवल)		39228	-
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	A	15966305	13453685
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अचल संपत्तियों की खरीद		-1139400	-4010377
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	B	-1139400	-4010377
ग. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह			
शेयर पूंजी जारी करना		2500000	2500000
शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति			
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी	C	2500000	2500000
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क)(ख)(ग)	**D**	**17326905**	**11943308**

वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य				
आरबीआई के पास नकदी और शेष	7265033		6262034	
बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना पर धन राशि	29949675		19009366	
		37214708		25271400
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य				
आरबीआई के पास नकदी और शेष	11156047		7265033	
बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना पर धन राशि	43385566		29949675	
		54541613		37214708
		17326905		**11943308**

(अनुसूची 1 से 18 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं)

ह०/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/–
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/–
(राजुल भट्ट)
निदेशक
(डीआईएन 10712466)

ह०/–
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/–
एमडी व सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/–
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष (डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट – एफआरएन 016923N

दिनांक: 20.06.2025
स्थान: नई दिल्ली

ह०/–
(हितेश अंबानी)
नामित भागीदार (सदस्यता सं 506267)

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची 1 – पूंजी

(₹ 000 में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अधिकृत पूंजी 10 रुपये प्रति शेयर के 235,50,00,000 इक्विटी शेयर	23550000	23550000
निर्गत एवं अभिदत्त 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 235,50,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 210,50,00,000 इक्विटी शेयर)	23550000	21050000
प्रदत्त पूंजी 10 रुपये प्रति शेयर के 235,50,00,0000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 210,50,00,000 इक्विटी शेयर)	23550000	21050000
कुल	**23550000**	**21050000**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष (₹ 000 में)

	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
I. सांविधिक आरक्षित				
अथशेष	141551		55956	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	334640		85595	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		476191		141551
II. पूंजी आरक्षित				
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		-		-
ख. अन्य (अनुदान खाता)				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	369710		-	
वर्ष के दौरान कटौती (उपयोग)	369710		-	
		-		-
III. राजस्व और अन्य आरक्षित				
क. निवेश अस्थिरता आरक्षित				
अथशेष	38042		23483	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	73750		14559	
घटाएं: लाभ और हानि खाते में स्थानांतरण	-		-	
		111792		38042
ख. अन्य आरक्षित				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	149314		-	
		149314		
ग. विदेशी मुद्र उतार–चढ़ाव आरक्षित				
अथशेष	-		-	
जमा: वर्ष के दौरान अतिरिक्त (निवल)	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाला गया (निवल)	-		-	
		-		-
IV. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-		
		-		-

V. विशेष आरक्षित				
अथशेष	-	-		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-		
वर्ष के दौरान कटौती		-	-	
		-		-
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष		-8896990		-9457449
I से VI का कुल		**-8159693**		**-9277856**

अनुसूची 3 – जमा राशियां

	31.03.2025 तक		**31.03.2024 तक**	
क. I. मांग जमा				
(i) बैंकों से	-			-
(ii) अन्यों से	224927		208495	
		224927		208495
II. बचत बैंक जमा		193227439		115313425
III. सावधि जमा				
(i) बैंकों से	-			-
(ii) अन्यों से	-			-
	-			-
I, II, III का कुल		**193452366**		**115521920**
ख. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशि		193452366		115521920
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशि		-		-
i, ii का कुल		**193452366**		**115521920**

अनुसूची 4 – उधार

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय आरक्षित बैंक	9610000	-
(ii) अन्य बैंक	-	-
(iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
II. भारत के बाहर उधार	-	-
I, II का कुल	9610000	-
उपरोक्त I और II में शामिल सुरक्षित उधार	-	-

अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. देय बिल	-	-
II. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III. उपार्जित ब्याज	46328	-
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	10573769	9333564
I से IV तक का कुल	**10620097**	**9333564**

अनुसूची 6 – भारतीय आरक्षित बैंक के पास नकदी और शेष

I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)		-		-
II. भारतीय आरक्षित बैंक के पास शेष राशि				
(i) चालू खाते में	7406047		6505033	
(ii) अन्य खातों में	3750000		760000	
I, II का कुल		**11156047**		**7265033**
I, II का कुल		**11156047**		**7265033**

अनुसूची 7– मांग और अल्प सूचना पर बैंकों और धनराशि के साथ संतुलन

	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
I. भारत में				
(i) बैंकों के पास शेष:				
(क) चालू खातों में	23066		12375	
(ख) अन्य जमा खातों में	43362500		29937300	
		43385566		29949675
(ii) कॉल और अल्प सूचना पर धनराशि:				
(क) बैंकों के साथ	-		-	
(ख) अन्य संस्थाओं के साथ	-		-	
		-		-
कुल (i और ii)		43385566		29949675
II. भारत के बाहर				
(i) चालू खातों में	-		-	
(ii) अन्य जमा खातों में	-		-	
(iii) कॉल एवं अल्प सूचना पर धनराशि	-		-	
कुल (i, ii और iii)		-		-
कुल योग (I और II)		**43385566**		**29949675**

अनुसूची 8 – निवेश

I. भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	165367934	88394493
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	-	-
(iv) डिबेंचर और बांड	-	-
(v) सहायक कंपनियोंध्संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-
(vi) अन्य	-	-
(म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक पत्र आदि)		
I का कुल योग	165367934	88394493
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	-	-
(ii) विदेश में सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
कुल II	-	-
(I), (II) का कुल योग	**165367934**	**88394493**

अनुसूची 9 – अग्रिम

(₹ 000 में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
क. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	-	-
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और	-	-
मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	-	-
iii) सावधि ऋण (कर्मचारी)	-	-
कुल		-
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित		
(बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम सहित)	-	-
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	-	-
iii) असुरक्षित	-	-
कुल		
ग. (I) भारत में अग्रिम	-	-
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	-	-
कुल		
ग. (II). भारत के बाहर अग्रिम	-	-

i) बैंकों से देय		
ii) दूसरों से देय	-	-
(क) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	-	-
(ख) सावधि ऋण		-
(ग) अन्य	-	-
कुल	-	-
ग (I) और ग (II) का कुल योग		

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां (₹ 000 में)

	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
I. परिसर (भूमि सहित)				
–पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	-	-		
–वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-		
घटाएं: तिथि तक मूल्यह्रास		-	-	
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और जूड़नार सहित)				
– पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	4821706		1481382	
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	249397		3344895	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	11986		4575	
घटाएं: आज तक मूल्यह्रास	3079377		1743573	
		1979740		**3078129**
III. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
– पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	2454453		1785099	
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	505608		669358	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
घटाएं : आज तक मूल्यह्रास	2159399		1840434	
		800662		**614023**
IV. पूंजीगत कार्य प्रगति पर				
– पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	-		-	
– वर्ष के दौरान परिवर्धन	392110		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	392110	-	-
I, II और III का कुल योग		**3172512**		**3692152**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
II. उपार्जित ब्याज	2507803	1157752
III. अग्रिम भुगतान किया गया कर /	226251	174693
कर कटौती स्रोत पर (प्रावधानों का शुद्ध)		
IV. स्टेशनरी और टिकटें	-	-
V. गैर बैंकिंग आस्तियों का दावों की संतुष्टि के लिए अधिग्रहण किया गया	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	636610	1524345
VII. प्रतिभूति जमाराशियां	172654	104493
VIII. डाक विभाग की पूंजी प्रतिबद्धता	3773	39327
IX. आईटी 2.0 के तहत डाक विभाग से देय	1088427	952221
X. विक्रेताओं और एनपीसीआई से देय	3132	2815
XI. अन्य	1352061	3370629
I से XI तक का कुल	**5990711**	**7326275**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी के रूप में नहीं माना गया	2542293	623291
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों के कारण देयता	-	-
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन और	-	-
अन्य दायित्व		
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देयता है		
i) विवादग्रस्त कर देयताएं	136907	17183
ii) अन्य	2500	2500
I से VI तक का कुल	**2681700**	**642974**

अनुसूची 13 – उपार्जित ब्याज और लाभांश

(₹ 000 में)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
I. अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट	.	3
II. निवेश पर आय	8548998	4418319
III. भारतीय आरक्षित बैंक के पास शेष राशि पर ब्याज भारत एवं अन्य अंतर–बैंक निधियाँ	2678291	1657437
IV. अन्य		
I से IV तक का कुल	1184	.
I से IV तक का कुल	**11228473**	**6075759**

अनुसूची 14 – अन्य आय

	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
I. कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज		10138728		6535713
II. निवेश की बिक्री पर लाभ	74119		19286	
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि	369		4727	
		73750		14559
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ		-	-	
घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-		
IV. भूमि की बिक्री पर लाभ,	-	-		
भवन और अन्य आस्तियां				
घटाएं : भूमि की बिक्री पर हानि,	-	-		
भवन और अन्य आस्तियां	-	-		
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ	-	-		
घटाएं : एक्सचेंज लेनदेन पर हानि	4	-		
	-	-4	-	
VI. विदेश में/भारत में सहायक कंपनियों/	-	-		
कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से उपार्जित आय				
VII. भर्ती संबंधित आय		26533		8059
VIII. पृथक्करण पर कर्मचारियों से वसूली		425		863
IX. विविध आय		13324		17956
I से IX तक का कुल		**10252756**		**6577150**

अनुसूची 15 – ब्याज व्यय

(₹ 000 में)

	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
I. जमाराशियों पर ब्याज	2762714	1561327
II. भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज/ अंतर–बैंक उधार	903999	136033
III. अन्य	-	-
I, II, III का योग	**3666713**	**1697360**

अनुसूची 16 – परिचालन व्यय

	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	3912516	3727573
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	10683	9217
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	104264	81179
IV. विज्ञापन और प्रचार	11612	12972
V. अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	1659040	914672
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	13872	13193
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय	1404	1164
VIII. कानूनी शुल्क	4523	496
IX. डाक, तार, टेलीफोन, आदि	1066289	649922
X. मरम्मत और रखरखाव	41813	62120
XI. बीमा	197572	126209
XII. व्यावसायिक शुल्क	42873	27828
XIII. जीएसटी व्यय	765552	212633
XIV. एसआई लागत	1098215	791015
XV. भर्ती व्यय	16206	22354
XVI. प्रशिक्षण व्यय	20917	25275
XVII. आउटसोर्सिंग व्यय	350747	157011
XVIII. यात्रा और परिवहन	88221	95132
XIX. डाक विभाग को दिया गया कमीशन/बीसी को प्रोत्साहन	2970313	1471008
XX. भुगतान किए गए लेन–देन शुल्क	2642291	1559719
XXI. अन्य व्यय	111441	76131
I से XXI तक का कुल कुल	**15130364**	**10036823**

अनुसूची 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि एवं संचालन की प्रकृति

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधीन की गई थी, जिसमें भारत सरकार की 100% इक्विटी हिस्सेदारी है। आईपीपीबी का मुख्य उद्देश्य भारत के आम नागरिक के लिए सबसे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय बैंक बनना है, जिससे बिना बैंकिंग सेवा के लोगों के लिए बाधाएँ हटाई जा सकें और अर्ध–बैंकिंग वर्ग की अवसर लागत को कम किया जा सके। इस प्रकार, एक प्रचलित नकद आधारित अर्थव्यवस्था में नकदरहित लेन–देन को बढ़ावा देना भी बैंक का लक्ष्य है।

बैंक का पंजीकरण 17 अगस्त 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया गया था। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत 20 जनवरी 2017 को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ। आईपीपीबी को 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया। इसके बाद, आईपीपीबी ने देशभर में अपनी पहुँच का विस्तार करते हुए एक शाखा और 649 बैंकिंग आउटलेट्स के नेटवर्क के माध्यम से अपनी सेवाएँ प्रारंभ कीं।

बैंक ग्रामीण, निर्धन, वंचित तथा सेवावंचित वर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में लगा हुआ है। बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में चालू एवं बचत खाता, प्रेषण, व्यवसाय संवाददाता, डोरस्टेप बैंकिंग, नागरिक केंद्रित सेवाएँ, मोबाइल बैंकिंग, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, बिल भुगतान, तथा तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण सम्मिलित हैं।

चूंकि पेमेंट्स बैंक किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकता, केवल अपने कर्मचारियों को छोड़कर, अतः अग्रिमों से संबंधित सभी प्रकटीकरण लागू नहीं होते।

बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचना संख्या DBR-NBD-(PB&IPPB)-No-9980/16-13-215/2018-19 दिनांक 27 मई 2019 द्वारा शामिल किया गया है, जिसे भारत के राजपत्र (भाग III – खंड 4) में दिनांक 22 जून से 28 जून 2019 के बीच प्रकाशित किया गया।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में 'हजारों में (₹ '000)' प्रस्तुत किया गया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

2. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, चालू व्यवसाय अवधारणा का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताएँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियामक मानदंड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जारी अधिसूचित लेखा मानक, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुच्छेद 7 के साथ पठित, भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान प्रथाओं के अनुसार शामिल हैं। वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखा नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को परिसंपत्तियों और दायित्वों (जिसमें संभावित दायित्व भी सम्मिलित हैं) की रिपोर्ट की गई राशियों, तथा संबंधित लेखांकन अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय के संबंध में कुछ अनुमान और धारणाएँ लगानी पड़ती हैं। ये अनुमान वित्तीय विवरणों की तिथि पर आधारित होते हैं। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं।

लेखांकन अनुमानों में किया गया कोई भी संशोधन भावी आधार पर मान्यता प्राप्त करता है।

4. राजस्व मान्यता

राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है तथा जब प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

4.1 ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। रियायती लिखत पर ब्याज आय को लिखत की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

4.2 कमीशन आय एवं सेवा शुल्क सेवाओं के प्रावधान के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त है।

4.3 अन्य सभी आय का लेखा वसूली के आधार पर किया जाता है

4.4 ब्याज और परिचालन व्यय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

4.5 'आंतरिक/कार्यालय खातों के खोलने और संचालन पर नीति' के अनुसार पुरानी प्राप्तियों के लिए प्रावधान किया गया है, जो समय–समय पर संशोधित 'आंतरिक/कार्यालय खातों के संचालन' पर आरबीआई परिपत्र के अनुरूप है।

4.6 दंडात्मक क्षतिपूर्ति का लेखांकन निम्नानुसार किया जाता है:

क) यदि अनुबंध/समझौते पूंजीगत/अस्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, तो वसूल की गई राशि को अन्य आय के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

ख) यदि अनुबंध/समझौते राजस्व प्रकृति के हैं, तो वसूल की गई राशि को कुल व्यय में समायोजित किया जाता है।

5. निवेश

5.1 वर्गीकरण

निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी निवेशों को अधिग्रहण से पहले या उसके समय परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप–श्रेणी होगी। निवेशों को छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है: (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉन्ड, (ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश (च) बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए अन्य निवेश।

5.2 वर्गीकरण का आधार

जिन प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित किया जाता है, उन्हें एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) मानदंड को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को केवल एचटीएम या एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

जो प्रतिभूतियां एचटीएम और एएफएस में शामिल में शामिल किए जाने के योग्य नहीं होतीं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, ट्रेडिंग के लिए रखी गई (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उप–श्रेणी होगी और एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियां एचएफटी के विनिर्देशों को पूरा करेंगी।

बैंक प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री से संबंधित लेनदेन को लेखांकन के लिए 'निपटान तिथि' के आधार पर दर्ज करता है, सिवाय इक्विटी शेयरों के, जहाँ 'व्यापार तिथि' के आधार पर लेखांकन किया जाता है।

5.3 अधिग्रहण लागत

प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स आदि को राजस्व व्यय के रूप में तत्काल मान्यता दी जाती है और इसे लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है। इन्हें अधिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता।

क. सरकारी प्रतिभूतियों एवं स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में विक्रेता को भुगतान की गई अपूर्ण अवधि की ब्याज राशि को अधिग्रहण लागत में पूंजीकृत नहीं किया जाता, बल्कि उसे लाभ एवं हानि खाते के अंतर्गत व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

ख. सभी श्रेणियों की प्रतिभूतियों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत विधि के आधार पर किया जाता है।

5.4 मूल्यांकन

एएफएस और एफवीटीपीएल श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन आरबीआई/एफबीआईएल दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रूप से किया जाता है । ट्रेजरी बिल, डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होने के कारण, वहन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम का परिशोधन उपकरण के शेष जीवनकाल में किया जाएगा। परिशोधित राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत अनुसूची 8 – निवेश में एक प्रति प्रविष्टि के साथ दर्शाई जाती है।

एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनकी अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और उन्हें बाजार मूल्य पर चिह्नित नहीं किया जाता है। एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाता है। एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी उप–श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा, यदि अधिक बार नहीं। इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया हो, अन्यथा नवीनतम उपलब्ध बैलेंस शीट के आधार पर शेयरों के ब्रेकअप मूल्य पर।

एएफएस के अंतर्गत धारित सभी निष्पादित निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानि को समेकित किया जाता है। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ–हानि खाते में डाले बिना, अनुसूची 2 – आरक्षित निधि और अधिशेष के 'एएफएस आरक्षित निधि' में सीधे जमा या डेबिट किया जाता है। एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाला शुद्ध लाभ या हानि सीधे लाभ–हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा।

रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन क्रमशः उधार और उधार लेनदेन के रूप में दर्शाए जाते हैं। रेपो लेनदेन पर उधार लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

5.5 निवेश का निपटान

एचटीएम – एचटीएम में निवेशों की बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को 'अनुसूची 14 – अन्य आय' के 'मद II – निवेशों की बिक्री पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। एचटीएम में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को लाभ और हानि खाते से नीचे 'पूंजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करों और सांविधिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर शुद्ध की जाएगी।

एएफएस – एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14 – अन्य आय के अंतर्गत 'मद II – निवेश की बिक्री पर लाभ' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

6 अचल संपत्तियां

लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक परिसंपत्ति पर किए गए पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं। परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय/व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे ऐसी परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभ या उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

6.1 स्थायी परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर दर्शाया गया है, जहां भी लागू हो।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अचल संपत्ति अनुसूची में अमूर्त संपत्ति (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के अंतर्गत रखा जाता है।

6.3 मूल्यह्रास

मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन (जैसा कि तालिका में उल्लिखित है) पर सीधी रेखा के आधार पर लगाया जा रहा है, जिससे 1 रुपये का अवशिष्ट मूल्य रह जाता है।

क. आईपीपीबी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

संपत्ति	अनुमानित उपयोगी जीवन अनुसूची II के तहत निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 के
स्वामित्व वाले परिसर	60 वर्ष
कंप्यूटर (मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक उपकरण और सॉफ्टवेयर सहित*)	3 वर्ष
सर्वर, राउटर, नेटवर्क और संबंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीनें ('एटीएम')	15 वर्ष
विद्युत उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

* सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास लाइसेंस की अवधि के बजाय उपरोक्त अनुमानित जीवन के अनुसार किया जा रहा है

ख. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान के मामले में, मूल्यह्रास वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग किए गए दिनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

ग. 5,000/– रुपये तक की लागत वाली परिसंपत्तियों का क्रय वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, सिवाय बैंक संवाददाता द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के।

घ. सरकारी अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास कर दिया जाता है, जिससे शेष मूल्य 1 रुपये रह जाता है।

ङ. पुनर्मूल्यांकित/क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले में, संशोधित परिसंपत्ति मूल्यों के संदर्भ में परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

7 कर्मचारी लाभ

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) में विभिन्न वेतनमानों पर कार्यरत अधिकारियों का वेतन बैंक के सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। पारिश्रमिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली वेतन संरचना के अनुरूप होता है।

आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी बैंक की प्रतिनियुक्ति नीति और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के पास अपने मूल संगठन में वेतन और आईपीपीबी वेतन में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है।

एमडी और सीईओ, जिन्हें भौतिक जोखिम लेने वाला माना जाता है, को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में सातवें वेतन आयोग के अनुसार निश्चित वेतन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिवर्तनीय वेतन शामिल है। यह वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार है और आरबीआई द्वारा अनुमोदित है।

नियमित कर्मचारियों को समूह चिकित्सा बीमा, समूह सावधि बीमा और समूह दुर्घटना बीमा योजनाओं में कवर किया जाता है।

टर्मिनल लाभ

i) भविष्य निधिः 30.09.2018 तक सेवा में शामिल हुए सभी पात्र कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं। भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें कर्मचारी और बैंक दोनों एक पूर्व–निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। भविष्य निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। यह अंशदान ईपीएफओ को भेजा जाता है।

ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस): 01.10.2018 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए बैंक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करता है, जिसे 11.11.2020 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका व्यय लाभ–हानि खाते में जमा किया जाता है और इस खाते में निधि में अंशदान के अलावा बैंक की कोई और देनदारी नहीं है।

iii) ग्रेच्युटी: बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर होती है, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है। निहितीकरण सेवा के पाँच वर्ष पूरे होने पर होता है।

iv) विशेषाधिकार अवकाश पर अनुपस्थिति के लिए क्षतिपूर्ति बैंक के कर्मचारी अवकाश नियमों के अनुसार विशेषाधिकार अवकाश के कारण क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के हकदार हैं। बैंक, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, बैलेंस शीट की तिथि पर संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की दीर्घकालिक अपेक्षित लागत का आकलन करता है।

8 आय पर कर

आयकर व्यय, बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखा मानक 22 – आयकर लेखांकन के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में हुए परिवर्तन शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान चालू वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव और आगे ले जाने वाली हानियों को ध्यान में रखकर की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का मापन कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है जो बैलेंस शीट की तिथि पर लागू या मूल रूप से लागू हो चुके हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ–हानि खाते में दर्ज किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के इस निर्णय के आधार पर किया जाता है कि उनकी प्राप्ति यथोचित/लगभग निश्चित मानी जाती है या नहीं।

9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस 29, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां' के अनुरूप, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का संभावित बहिर्वाह हो, दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा, और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

10 सरकारी अनुदानों का लेखा–जोखा

अधिदेश के अनुसार, सरकार द्वारा यह अनुदान इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा एटीएम/माइक्रो–एटीएम/पीओएस के प्रावधान के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और नकदी निकासी सुविधाएँ प्रदान करने, ग्रामीण डाकघरों के क्षमता निर्माण, ग्रामीण डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन हेतु उभरती प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए स्वीकृत किया गया है। बोर्ड ने 17 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार अनुदान के उपयोग हेतु व्यापक दिशानिर्देशों और प्रतिमानों को अनुमोदित किया है। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि माना गया है और पूँजी भंडार में जमा किया गया है। इस प्रकार, बैंक सरकारी अनुदानों पर AS–12 के अनुसार पूँजी दृष्टिकोण पद्धति अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

11 परिसंपत्तियों की हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण आवश्यक हो, तो परिसंपत्तियों की वहन राशि की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है।

मूल्यह्रास के बाद, परिसंपत्ति की संशोधित अग्रणीत राशि पर उसके शेष उपयोगी जीवन काल के दौरान मूल्यह्रास लगाया जाता है। मूल्यह्रास हानि को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है जब परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उस अग्रणीत राशि से अधिक न हो जो उस स्थिति में निर्धारित की जाती यदि पहले कोई मूल्यह्रास हानि नहीं पहचानी गई होती।

12 परिचालन लीज

ऐसे पट्टे जहाँ पट्टाकर्ता पट्टे की अवधि के दौरान स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए पट्टा भुगतान को पट्टे की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अनुसूची 18

खातों के लिए नोट्स

1. नियामक पूंजी

क. नियामक पूंजी की संरचना

(₹ 000 में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i.	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी*	13841243	9595734
ii.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / अन्य टियर 1 पूंजी	-	-
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	13841243	9595734
iv.	टियर 2 पूंजी	111792	38042
v.	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	13953035	9633776
vi	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	28336097	17561850
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि	48.85	54.64
viii.	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	48.85	54.64
ix.	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.39	0.22
x.	पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	49.24	54.86
xi.	उपलब्ध साधन का अनुपात	15.44	13.01
xii.	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	2500000	4500000
xiv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: शाश्वत गैर–संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) सतत ऋण साधन (पीडीआई)	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
xv.	जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से: ऋण पूंजी उपकरण: वरीयता शेयर पूंजी उपकरण: (सतत संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस) / मोचनीय गैर–संचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचनीय संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस))	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

* अनुदान, आस्थगित कर परिसंपत्तियां और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कटौती के बाद।

नोट: आरबीआई के दिशानिर्देश नोट डीओआर ओआरजी आरईसी 21 / 14.10.001 / 2024–25 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन लचीलापन पर दिशानिर्देश नोट' पर, पेमेंट्स बैंक को वर्तमान में परिचालन जोखिम के लिए एक अलग नियामक पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की गणना विनियामक रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार की जाएगी अर्थात बेसल 1 मानदंडों (आरसीए 1) के अनुसार पूंजी पर्याप्तता पर वापसी जिसमें ट्रेडिंग

बुक – बाजार जोखिम और बैंकिंग बुक – क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार शामिल है। इस प्रकार, ऊपर सूचित जोखिम भारित परिसम्पत्तियों और सीआरएआर बासेल–I दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

ख. आरक्षित निधि से निकासी

वित्त वर्ष 2024–25 और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रिजर्व से कोई राशि नहीं निकाली गई

ग. आरक्षित निधियों का विनियोजन

- सांवधिक आरक्षित निधि – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, भारत में निगमित सभी बैंकिंग कंपनियों को लाभ और हानि खाते में बताए गए प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष से तथा किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले एक रिजर्व फंड बनाना होगा तथा ऐसे लाभ के कम से कम 25% के बराबर राशि हस्तांतरित करनी होगी। तदनुसार, बैंक ने चालू वर्ष के निवल लाभ (पिछले वर्ष ₹8.56 करोड़) में से ₹33.46 करोड़ की राशि हस्तांतरित की है।
- निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व (IFR) – भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल, 2018 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102 / 21.04.048 / 2017–18 के माध्यम से बैंकों को वित्त वर्ष 2018–19 से निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाने की सलाह दी थी। तदनुसार, वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ या अनिवार्य विनियोगों को घटाकर वर्ष के निवल लाभ में से जो भी कम हो, उसे निरंतर आधार पर आईएफआर में तब तक स्थानांतरित किया जाएगा जब तक कि आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो जाए। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आईएफआर में ₹7.38 करोड़ की राशि स्थानांतरित की है (पिछले वर्षः ₹1.46 करोड़)। 31 मार्च, 2025 तक, आईएफआर एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के तहत निवेश के समापन शेष का 0.07% (पिछले वर्ष 0.04%) है।

ग. एएफएस रिजर्व

आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 पर दिनांक 12 सितंबर 2023 के मास्टर निर्देश DOR-MRG-36/21.04.141 / 2023–24 के माध्यम से बैंकों के निवेश ढाँचे को संशोधित किया है। 1 अप्रैल 2024 को, बैंक ने इन निर्देशों के अध्याय III में दिए गए निर्देशों के अनुसार, अपने निवेश पोर्टफोलियो का पुनर्वर्गीकरण किया है और संशोधित ढाँचे को अपनाया है। परिवर्तन संबंधी संशोधित ढाँचे की शर्तों के अनुसार, बैंक ने अपने निवेश पोर्टफोलियो का पुनर्वर्गीकरण किया है और ₹0.11 करोड़ की राशि एएफएस रिजर्व में स्थानांतरित की है।

संशोधित ढाँचे के अनुसार, एएफएस के अंतर्गत धारित सभी निष्पादित निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानि को समेकित किया जाता है। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को लाभ–हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना, अनुसूची 2 – आरक्षित निधि और अधिशेष के 'एएफएस रिजर्व' में सीधे जमा या डेबिट किया जाता है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने इन दिशानिर्देशों के आधार पर एएफएस रिजर्व में ₹14.93 करोड़ की राशि जमा की है (संक्रमण के दौरान हस्तांतरित ₹0.11 करोड़ सहित)।

2. निवेश

क. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31 मार्च 2025 तक

(₹ 000 में)

विवरण	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयरों	डिबेंचर और बॉन्ड	सहायक कंपनियां औरध्या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां औरध्या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
कुल	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
घटाएँ: गैर–निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान (एनपीआई)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	165367934	.	.	.	.	.	165367934	.	.	.	.	**165367934**
घटाएँ: मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	165367934	.	.	.	.	.	165367934	.	.	.	.	**165367934**
व्यापार हेतु रखा गया												
कुल	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
घटाएँ: मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
कुल निवेश												
घटाएँ: गैर–निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
घटाएँ: मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	**165367934**	.	.	.	.	.	**165367934**	.	.	.	.	**165367934**

31 मार्च 2024 तक

(₹ 000 में)

विवरण	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयरों	डिबेंचर और बॉन्ड	सहायक कंपनियां औरध्या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां औरध्या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित												
कुल	100983	.	.	.	.	.	100983	.	.	.	.	**100983**
घटाएँः गैर–निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान (एनपीआई)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	100983	.	.	.	.	.	100983	.	.	.	.	**100983**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	87793815	.	.	.	.	.	87793815	.	.	.	.	**87793815**
घटाएँः मूल्यह्रास और एनपीआई हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	87793815	.	.	.	.	.	87793815	.	.	.	.	**87793815**
व्यापार हेतु धारित												
कुल	499695	.	.	.	.	.	499695	.	.	.	.	**499695**
घटाएँः मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	499695	.	.	.	.	.	499695	.	.	.	.	**499695**
कुल निवेश	88394493	.	.	.	.	.	88394493	.	.	.	.	**88394493**
घटाएँः गैर–निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
घटाएँः मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
निवल	**88394493**	.	.	.	.	.	**88394493**	.	.	.	.	**88394493**

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक | India Post Payments Bank

ख. मूल्यह्रास और निवेश में उतार–चढ़ाव कोष में हुए बदलाव

(₹ 000 में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
i)	**निवेश पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**		
क.	अथ शेष	शून्य	शून्य
ख.	जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	शून्य	शून्य
ग.	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापस लिखना	शून्य	शून्य
घ.	अंत शेष	शून्य	शून्य
ii)	**निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व की गतिविधि**		
क.	अथशेष	38042	23483
ख.	जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	73750	14559
ग.	घटाएँ: निकासी	शून्य	शून्य
घ.	अंत शेष	111792	38042
iii)	आईएफआर में समापन शेष, एएफएस और एचएफटी/चालू श्रेणी में निवेश के समापन शेष का प्रतिशत रूप में।	0.07%	0.04%

ग. एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री और स्थानांतरण

आरबीआई मास्टर निर्देश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के संक्रमण और निरसन प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक ने 1 अप्रैल, 2024 को संशोधित ढांचे के एएफएस श्रेणी में पिछले ढांचे के तहत अपनी संपूर्ण एचटीएम होल्डिंग्स को फिर से वर्गीकृत किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, संशोधित वहन मूल्य और पिछले वहन मूल्य के बीच ₹ 0.11 करोड़ का अंतर एएफएस रिजर्व में समायोजित किया गया था।

घ. गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर–निष्पादित गैर–एसएलआर निवेश

31 मार्च 2025 तक बैंक के पास कोई भी गैर–निष्पादित गैर–एसएलआर निवेश नहीं हैय इसलिए, इस खंड के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। (31 मार्च 2024 तक बैंक के पास कोई भी गैर–निष्पादित गैर–एसएलआर निवेश नहीं था)।

क्रम संख्या	विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
क.	अथ शेष	शून्य	शून्य
ख.	1 अप्रैल से अब तक वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	शून्य	शून्य
ग.	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	शून्य	शून्य
घ.	अंत शेष	शून्य	शून्य
ङ.	कुल प्रावधान	शून्य	शून्य

गैर–एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(₹ 000 में)

क्रमांक	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	शनिवेश ग्रेड से नीचेश प्रतिभूतियों की सीमा	श्अनरेटेडश की सीमा प्रतिभूति	श्असूचीबद्धश की सीमा प्रतिभूति
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	वित्तीय संस्थाओं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	बैंकों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	निजी कॉर्पोरेट्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	शून्य				
	कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

ङ. सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

वित्त वर्ष 2024–25

(₹ 000 में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च, 2025 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वित्त वर्ष 2023–24

(₹ 000 में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च, 2024 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

च. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(वित्त वर्ष 2024–25)

(₹ 000 में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2025 तक बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	.	.	34595248	33995629	14071698	13906012	9566610	9663866
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	.	.	6970960	6880433	170992	168486	.	.
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.

(वित्त वर्ष 2023–24)

(₹ 000 में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2025 तक बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	.	.	8401531	8060979	2067387	1994677	.	.
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	.	.	12683745	11915228	402349	396557	.	.
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	.	.	.	.	.	.	.	.

3. संजात

क. अग्रिम दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

ख. एक्सचेंज–ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

ग. डेरिवेटिव्स में जोखिम पर प्रकटीकरण

घ. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

बैंक ने डेरिवेटिव्स में कोई लेनदेन नहीं किया है, इसलिए इस खंड में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है। पिछले वर्ष भी इस खंड के अंतर्गत कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

4. परिसंपत्ति की गुणवत्ता

क. अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण।

ख. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

ग. विदेशी परिसंपत्तियां, एनपीए और राजस्व

घ. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

ङ. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

च. ऋण जोखिमों के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

छ. धोखाधड़ी वाले खाते

ज. कोविड–19 से संबंधित तनाव हेतु समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

बैंक 'पेमेंट्स बैंक' की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, गैर–निष्पादित अग्रिम, पुनर्गठन, विचलन और धोखाधड़ी खातों सहित परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

5. निवेश जोखिम

एक्सपोजर प्रकटीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं

क. रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश

ख. पूंजी बाजार में निवेश

ग. जोखिम श्रेणी–वार देश जोखिम

घ. असुरक्षित अग्रिम

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोजर

च. अंतर–समूह जोखिम

छ. असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

यह बैंक 'पेमेंट्स बैंक' की श्रेणी में आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।

6. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरणः

क. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ धारा 47।(1)(ब) के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर ₹26.70 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। (आरबीआई ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया था)।

ख. एनपीसीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹ 0.35 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 0.58 लाख)

ग. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल बाउंसिंग हेतु) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

घ. रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं होती।

7. स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रासः

प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों के लिए कुल मूल्यह्रास का विवरण

(₹ 000 में)

परिसंपत्तियों का वर्ग	31.03.2025	31.03.2024
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	318969	92180
अन्य अचल परिसंपत्तियाँ	1340071	822492
कुल	**1659040**	**914672**

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास लाइसेंस की अवधि की परवाह किए बिना 3 वर्ष की अवधि में किया जा रहा है

8. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

क. परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता पैटर्न

परिपक्वता पैटर्न	जमा	अग्रिम	निवेश	उधारी	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
अगले दिन	2956755	शून्य	शून्य	शून्य	8553	8553
	1706743				8346	8346
2–7 दिन	9064616	शून्य	4998	9610000	शून्य	शून्य
	4832321		3725892	शून्य		
8–14 दिन	10359615	शून्य	749928	शून्य	शून्य	शून्य
	5519401		748657			
15–30 दिन	12333909	शून्य	5141295	शून्य	शून्य	शून्य
	6457552		3469751			
31 दिन से 2 महीने तक	13421231	शून्य	26790210	शून्य	शून्य	शून्य
	4958477		7629030			
2 महीने से 3 महीने तक	14483982	शून्य	2385916	शून्य	शून्य	शून्य
	5050728		4761219			
3 महीने से 6 महीने तक	शून्य	शून्य	41494342	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य		38023317			

परिपक्वता पैटर्न	जमा	अग्रिम	निवेश	उधारी	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
6 महीने से 1 वर्ष तक	शून्य	शून्य	72578040 29411493	शून्य	शून्य	शून्य
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	130832258 86996698	शून्य	6040845 621411	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	शून्य	शून्य	1891737 3723	शून्य	शून्य	शून्य
5 वर्षों से अधिक	शून्य	शून्य	8290623 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	193452366 115521920	शून्य	165367934 88394493	9610000 शून्य	8553 8346	8553 8346

नीचे दिए गए सेल में दिए गए आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के हैं।

टिप्पणी:

- जमा: परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, 31 मार्च 2025 तक चालू/बचत जमा के निकासी पैटर्न को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- निवेश / अग्रिम / उधार: इन्हें संबंधित अवशिष्ट परिपक्वता पैटर्न के अनुसार उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

ख. लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर)

लिक्विडिटी मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, जो आरबीआई/2019–20/217/डीओआर.बीपी.बीसी. संख्या 65/21.04.098/2019–20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात के बारे में प्रकटीकरण पेमेंट्स बैंक पर लागू नहीं है।

ग. निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर)

लिक्विडिटी मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (एनएसएफआर) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र, आरबीआई/2020–21/95/डीओआर संख्या एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020–21 दिनांक 5 फरवरी 2021 के अनुसार, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो से संबंधित प्रकटीकरण भुगतान बैंकों पर लागू नहीं होता है।

9 (क) अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन – लेखांकन मानक 5

वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण पूर्व–अवधि आय/व्यय मदें नहीं थीं। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, निम्नलिखित को छोड़कर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है:

1 अप्रैल 2024 से बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश संख्या RBI/DOR/2023&24/104 DOR-MRG-36/21-04-141/2023-24, दिनांक 12 सितंबर 2023, 2023 को अपनाया। आरबीआई परिपत्र के पैरा 43 के संदर्भ में प्रभाव का खुलासा खातों के नोट्स के बिंदु 1 (डी) – एएफएस रिजर्व' के तहत किया गया है।

(ख) विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव – लेखांकन मानक 11

बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के अंतर्गत मेसर्स कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेट (रिया मनी फाइनेंशियल सर्विसेज) और मेसर्स वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इनकॉर्पोरेट यूएसए के साथ समझौते किए हैं। बैंक को अमेरिकी डॉलर में संपार्श्विक जमा प्राप्त हुए हैं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	राशि ($)
मेसर्स कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज सॉल्यूशंस इंकोर्पोरेट (रिया मनी फाइनेंशियल सर्विसेज)	50018.91
मेसर्स वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंकोर्पोरेट यूएसए	50049.13
कुल	100068,04

यह संपार्श्विक जमा भारतीय स्टेट बैंक के पास रखा जाता है और इसे 'बैंकों में चालू जमा' के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। संबंधित देयता को 'अन्य देयताएँ – अन्य' के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है।

एफईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित आईएनआर मूल्य नीचे दिया गया है

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
एमटीएसएस के तहत संपार्श्विक जमा	8553	8346

10. सरकारी अनुदान उपयोग – लेखांकन मानक 12

बैंक को वित्त वर्ष 2024–25 और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हुई है। 31.03.2025 और 31.03.2024 तक अनुदान सहायता की कोई अप्रयुक्त राशि नहीं थी।

बैंक को परिचालन के प्रारंभिक वर्षों में ₹400 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसका वित्त वर्ष 2021–22 तक पूर्णतः उपयोग कर लिया गया।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार, बैंक ने लाभ–हानि खाते से अनुदान खाते में ₹36.97 करोड़ की राशि स्थानांतरित कर दी है, जो वित्त वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के लिए अनुदान के अप्रयुक्त भाग पर अर्जित ब्याज है। यह राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि में आगे प्रेषण हेतु डाक विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है।

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
अनुदान सहायता का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	शून्य	शून्य
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	शून्य	शून्य
अनुदान सहायता का समापन शेष (क)	शून्य	शून्य

अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज का आरंभिक शेष	शून्य	शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	369710	शून्य
घटाएं: डाक विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया ब्याज	369710	शून्य
अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज का समापन शेष (ख)	शून्य	शून्य

बैलेंस शीट (क) + (ख) की अनुसूची 2 के अनुसार समापन शेष	शून्य	शून्य

11. कर्मचारी लाभ – लेखांकन मानक 15

क. ग्रेच्युटी:

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन (वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 6.79 करोड़ रुपये) के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम से 10.67 करोड़ रुपये की वार्षिकियां खरीदीं।

31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए ₹10.62 करोड़ का प्रावधान किया (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹10.67 करोड़)। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लाभ–हानि खाते में ₹10.88 करोड़ के कुल व्यय (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹17.46 करोड़) दर्ज किए गए।

ख. अवकाश नकदीकरण:

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण हेतु ₹56.68 करोड़ का प्रावधान किया। यह राशि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लाभ–हानि खाते में जमा की गई। (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹18.81 करोड़)।

संक्षेप पद का विभिन्न परिभाषित फायदे मान्यता प्राप्त में लाभ और नुकसान खाता और संतुलन चादर, साथ में साथ वित्त पोषित स्थिति, जैसा है अंतर्गत:

क. बीमांकिक मान्यताओं

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं हैं:

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
छूट की दर	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%
मुआवजे के स्तर में वृद्धि की दर	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	7.23%	6.78%	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत भावी सेवा (वर्षों में)	23.11	24.10	23.11	24.10

ख. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ 000's)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	529252	400090	594605	470736
देयता स्थानांतरण इन / (आउट)	.	.	.	.
ब्याज लागत	38265	30087	42990	35399
पिछली सेवा लागत	.	.	.	.
वर्तमान सेवा लागत	33649	34479	140960	105854
कटौती लागत / (क्रेडिट)	.	.	.	.
निपटान लागत / (क्रेडिट)	.	.	.	.
भुगतान किए गए लाभ	(7172)	(9692)	(63501)	(64238)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	77963	74288	382817	46854
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	671957	529252	1097871	594605

ग. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

(₹ 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	500612	413160	.	.
परिसंपत्ति स्थानांतरण इन/आउट	.	.	.	.
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	36194	28012	.	.
नियोक्ताओं का योगदान	106703	64993	63501	64238
भुगतान किया गया लाभ	(7172)	(9692)	(63501)	(64238)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	7509	4139	.	.
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	643846	500612	.	.

घ. लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

(₹ 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
वर्तमान सेवा लागत	33649	34479	140960	105854
पिछली सेवा लागत	.	.	.	.
ब्याज लागत	38265	30087	42990	35399
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(36194)	(28012)	.	.
कटौती लागत / (क्रेडिट)	.	.	.	.
निपटान लागत / (क्रेडिट)	.	.	.	.
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	70454	70149	382817	46855
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	106174	106703	566767	188108

ङ. तुलपत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	671957	529252	1097871	594605
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	643846	500612	.	.
वित्तपोषित स्थिति	(28111)	(28640)	(1097871)	(594605)
अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	.	.	.	.
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति / (देयता)	(28111)	(28640)	(1097871)	(594605)

12. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण – लेखांकन मानक 18

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	5640	5505
एमडी और सीईओ को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	6940	7921
मुख्य वित्त अधिकारी को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	4607	3760
कंपनी सचिव को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	2613	2064

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 10.13 के साथ अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य–नियंत्रित उद्यमों को अपने वित्तीय विवरणों में अन्य राज्य–नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्ष संबंधों और लेनदेन का खुलासा करने से छूट प्राप्त है। तदनुसार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) और डाक विभाग (डीओपी) के बीच लेनदेन, जो दोनों राज्य–नियंत्रित संस्थाएँ हैं, को एएस–18 की संबंधित पक्ष प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तहत खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, पारदर्शिता के हित में और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, प्रमुख लेनदेन और डाक विभाग के साथ ऐसे लेनदेन की प्रकृति को नीचे बिंदु 33 के तहत अलग से प्रकट किया गया है।

13. खंड रिपोर्टिंग – लेखांकन मानक 17

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 17 – खंड रिपोर्टिंग और आरबीआई परिपत्र संदर्भ डीबीओडी. संख्या बीपी.बीसी.81/21.04.018/2006–07 दिनांक 18 अप्रैल 2007 के साथ पठित डीबीआर.बीपी.बीसी. संख्या 23/21.04.018/2015–16 दिनांक 01 जुलाई 2015 और उसके संशोधनों के अनुसार, व्यवसाय खंड, जिसमें प्राथमिक खंड शामिल है:

- राजकोषीय संचालन
- खुदरा बैंकिंग परिचालन

आय, व्यय, परिसंपत्तियां और देनदारियों को या तो विशेष रूप से अलग–अलग खंडों में चिन्हित किया गया है या उचित आधार पर खंडों को आवंटित किया गया है या उन्हें असंबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भौगोलिक खंडों को द्वितीयक खंड माना जाता है। बैंक का व्यवसाय भारत के बाहर नहीं फैला है, और भारत के बाहर इसकी कोई संपत्ति या भारत के बाहर से होने वाली आय नहीं है। तदनुसार, बैंक ने किसी भी भौगोलिक खंड की सूचना नहीं दी है।

भाग क : व्यावसायिक खंडे

(₹ 000 में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
i.	खंड राजस्व		
	क) राजकोष	2344396	1090203
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	19136833	11562706
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	कुल	21481229	12652909

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष समाप्त 31.03.2025	वर्ष समाप्त 31.03.2024
ii.	खंड परिणाम		
	क) राजकोष	292940	81086
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	2391212	837640
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	कुल	2684152	918726
iii.	अनावंटित व्यय	शून्य	शून्य
iv.	परिचालन लाभ	2684152	918726
v.	प्रावधान	1345593	576348
vi.	असाधारण मद (पूर्व अवधि व्यय)	शून्य	शून्य
vii.	शुद्ध लाभ	1338559	342378
अन्य सूचनाः			
viii.	खंड परिसंपत्तियाँ		
	क) राजकोष	24034443	16821705
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	205038327	119805923
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उप–योग	229072770	136627628
	ङ) असंबद्ध संपत्तियां	शून्य	शून्य
	कुल संपत्ति	229072770	136627628
ix.	खंड देयताएं		
	क) राजकोष	25000307	11772144
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	204072463	124855484
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उप–योग	229072770	136627628
	ई) अनावंटित देयताएं	शून्य	शून्य
	कुल देनदारियों	229072770	136627628

भाग खः भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक केवल भारत में ही कार्य करता है, इसलिए भौगोलिक क्षेत्र की सूचना देना आवश्यक नहीं है।

14. पट्टों के लिए लेखांकन – लेखांकन मानक 19

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बैंक द्वारा रद्दीकरणीय परिचालन पट्टे के अंतर्गत भुगतान की गई कुल राशि ₹0.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.15 करोड़) है। बैंक ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान कोई भी रद्दीकरणीय परिचालन पट्टा या वित्तीय पट्टा व्यवस्था नहीं की है।

15. प्रति शेयर आय – लेखांकन मानक 20

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
क.	ईपीएस – बेसिक/डाइल्यूटेड (₹)	0.60	0.18
ख.	अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ/(हानि) (कर के उपरांत) (₹ 000)	1338559	342378
ग.	शेयर का नाममात्र मूल्य	₹10 प्रत्येक	₹10 प्रत्येक
घ.	हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2225547945	1932671233

16. आय पर करों का लेखांकन – लेखांकन मानक 22

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता दी है।

वित्त वर्ष 2018–19 और वित्त वर्ष 2019–20 में स्वीकृत संचित हानियों पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की गई और वर्ष के लाभ को समायोजित करने के बाद उन्हें यथावत बनाए रखने का रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। तदनुसार, 31.03.2025 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का 'कैरी फॉरवर्ड लॉस' घटक वित्त वर्ष 2018–19 और वित्त वर्ष 2019–20 में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से वित्त वर्ष 2022–23, 2023–24 और 2024–25 के लाभ को घटाया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
कैरी फॉरवर्ड लॉस	119704	1240120
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	314083	171718
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	202823	112507
कुल	636610	1524345
आस्थगित कर देयताएँ	.	.
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**636610**	**1524345**

17. समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन – लेखांकन मानक 23

बैंक की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

18. परिसंपत्तियों की क्षति – लेखांकन मानक 28

बैंक के प्रबंधन की राय में, 31 मार्च 2025 तक परिसंपत्तियों की हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखांकन मानक 28 'परिसंपत्तियों की हानि' लागू होती है।

19. बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों और लागू न किए गए निर्णयों की स्थिति का खुलासा

क्रम संख्या		विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1293	822
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	35982	37825
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	36258	37354
	3.1	बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	6064	3329
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1017	1293
बैंक को ओबीओ से प्राप्त विचारणीय शिकायतें				
5		बैंक को ओबीओ से प्राप्त सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या	613	303
	5.1	इनमें से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 है।	610	274
	5.2	बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 है	3	29
	5.3	बैंक के विरुद्ध बीओ द्वारा निर्णय पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 है।	शून्य	शून्य
6		निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित न किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों को छोड़कर)	शून्य	शून्य

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के मुख्य आधार

शिकायतों का आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 5 है।
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (2024–25)					
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग /इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	240	14675	293.01%	63	0
टैरिफ अनुसूची और सेवा शुल्क	784	1871	–64.13%	7	0

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन	183	11.277	–57.19%	853	104
एसएमएस अलर्ट	19	2667	158.93%	28	0
अन्य	67	5492	423.05%	66	0
कुल	1,293	35982	–4.87%	1017	104
पिछला वर्ष (2023–24)					
इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	220	3734	–36.04%	240	0
टैरिफ अनुसूची और सेवा शुल्क	3	5216	496.11%	784	0
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन	584	26795	273.76%	183	0
एसएमएस अलर्ट	5	1030	–46.80%	19	0
अन्य	10	1050	9.15%	67	48
कुल	**822**	**37825**	**125.42%**	**1293**	**48**

20. "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
एनपीए के लिए प्रावधान (शुद्ध)	शून्य	शून्य
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
आयकर के लिए प्रावधान	70000	शून्य
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	887735	283987
धोखाधड़ी के प्रति प्रावधान	(11220)	23500
डीओपी आईटी 2.0 के लिए प्रावधान	399078	268861
कुल	**1345593**	**576348**

21. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेन्द्रण:

क. जमा का संकेन्द्रण:

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	9184	9232
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	0.0047%	0.0080%

ख.)	अग्रिमों का संकेन्द्रण	यह बैंक 'पेमेंट्स बैंक' की श्रेणी में आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, अग्रिमों/जोखिमों/एनपीए के संकेंद्रण और प्रावधान कवरेज अनुपात से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।
ग.)	एक्सपोजर की सांद्रता	
घ.)	एनपीए का संकेन्द्रण	

22. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरण

ऐसी कोई भी जमा राशि नहीं है जो परिपक्व हो गई हो और 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया हो। इसलिए, वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीइएएफ) में कोई भी राशि हस्तांतरित करने योग्य नहीं थी।

23. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

क. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं अधिदेश से संबंधित जानकारी।

बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इस समिति में बैंकिंग, वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव रखने वाले स्वतंत्र और गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं।

एनआरसी के अधिदेश में शामिल हैं:

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और अन्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान करना, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करनाय
- वरिष्ठ प्रबंधन, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन;
- वरिष्ठ प्रबंधन, केएमपी और अन्य कर्मचारियों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करनाय;
- अंशकालिक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति की शर्तों और पारिश्रमिक की सिफारिश करना;
- वरिष्ठ प्रबंधन, केएमपी और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश बोर्ड को करना।

ख. पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के डिजाइन और संरचना तथा पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों से संबंधित जानकारी।

- बैंक की पारिश्रमिक नीति व्यावसायिक रणनीति, बाजार गतिशीलता और नियामक दिशानिर्देशों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए प्रतिभा को आकर्षित करने, बनाए रखने, पुरस्कृत करने और प्रेरित करने के लिए तैयार की गई है ।
- पारिश्रमिक संरचना में निश्चित और परिवर्तनीय वेतन का मिश्रण होता है तथा वरिष्ठ प्रबंधन और भौतिक जोखिम लेने वालों के लिए प्रदर्शन से जुड़े पारिश्रमिक पर विशेष जोर दिया जाता है ।
- दीर्घकालिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए बहु–वर्षीय अवधियों में परिवर्तनीय वेतन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का आस्थगन तथा भौतिक जोखिमों या कदाचार के लिए स्पष्ट मालस और क्लॉबैक प्रावधान ।
- नीति का उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जोखिम–संवेदनशील मुआवजा ढांचा बनाना है जो स्थायी मूल्य सृजन और मजबूत शासन को बढ़ावा दे।

ग. पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों पर विचार करने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए।

- आईपीपीबी अत्यधिक जोखिम लेने से रोकने के लिए, आरबीआई के नियमों के अनुसार, अपनी पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को स्पष्ट रूप से एकीकृत करता है।
- प्रमुख उपायों में प्रदर्शन को जोड़ना शामिल है जोखिम–समायोजित मीट्रिक (उदाहरण के लिए, परिचालन हानि और जोखिम सीमाओं का अनुपालन)।
- परिवर्तनीय वेतन का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से भौतिक जोखिम लेने वालों के लिए, कई वर्षों तक स्थगित रखा जाता है, जिससे जोखिम के दीर्घकालिक क्षितिज के साथ प्रोत्साहनों को संरेखित किया जाता है।
- मैलस और क्लॉबैक प्रावधान बैंक को खराब जोखिम परिणामों, कदाचार या वित्तीय गिरावट के मामलों में पारिश्रमिक को कम

करने या पुनः प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति जोखिम प्रबंधन समिति के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम संबंधी विचार, पारिश्रमिक संबंधी निर्णयों में केन्द्रीय भूमिका निभाएं।

घ. उन तरीकों का विवरण जिनके माध्यम से बैंक प्रदर्शन माप अवधि के दौरान प्रदर्शन को पारिश्रमिक के स्तर के साथ जोड़ने का प्रयास करता है।

- पारिश्रमिक प्रदर्शन से जुड़ा होता है, जो मुख्य रूप से आरबीआई के दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। पारिश्रमिक का एक बड़ा हिस्सा परिवर्तनशील होता है, जो बैंक के समग्र वित्तीय और जोखिम प्रदर्शन और रणनीतिक लक्ष्यों एवं सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन में डब्ल्यूटीडी के व्यक्तिगत योगदान, दोनों से निर्धारित होता है।
- दीर्घकालिक जवाबदेही को बढ़ावा देने और अत्यधिक जोखिम लेने से रोकने के लिए, इस परिवर्तनीय वेतन का एक बड़ा हिस्सा कई वर्षों तक स्थगित कर दिया जाता है और इसमें आमतौर पर शेयर–आधारित प्रोत्साहन शामिल होते हैं।
- नीति में 'मैलस' और 'क्लॉबैक' प्रावधान शामिल हैं, जो बैंक को खराब प्रदर्शन, कदाचार या प्रतिकूल जोखिम परिणामों के मामलों में पारिश्रमिक को कम करने या वसूलने की अनुमति देते हैं, जिससे बैंक के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विनियामक अनुपालन के साथ संरेखण सुनिश्चित होता है।

ङ. परिवर्तनीय पारिश्रमिक के आस्थगन और निहितीकरण पर बैंक की नीति पर चर्चा, तथा निहितीकरण से पहले और बाद में आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा।

- आईपीपीबी नीति में परिवर्तनीय पारिश्रमिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से को, विशेष रूप से भौतिक जोखिम लेने वालों के लिए, न्यूनतम तीन वर्षों के लिए स्थगित करने का प्रावधान है, तथा इस अवधि में इसे क्रमिक रूप से निहित किया जाएगा।
- इससे जवाबदेही अल्पकालिक प्रदर्शन से आगे बढ़ जाती है। बैंक 'मैलस' प्रावधानों का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे अ–निहित आस्थगित पारिश्रमिक को कम या रद्द करने की अनुमति मिलती है, और पहले से निहित या भुगतान की गई राशि को वापस पाने के लिए 'क्लॉबैक' प्रावधान लागू होते हैं।
- ये समायोजन पूर्व–निर्धारित मानदंडों के आधार पर निहितीकरण से पहले और बाद में होते हैं, जैसे कि बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण गिरावट, महत्वपूर्ण जोखिम सीमा

च. बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (अर्थात, नकद और शेयर–लिंक्ड उपकरणों के प्रकार) का विवरण और इन विभिन्न रूपों के उपयोग का औचित्य।

- आईपीपीबी वार्षिक निष्पादन उपलब्धियों की तत्काल मान्यता के लिए नकद आधारित परिवर्तनीय वेतन का उपयोग करता है।
- शेयर–लिंक्ड उपकरणों (ईएसओपी जैसे दीर्घकालिक प्रोत्साहन) का उपयोग भौतिक जोखिम लेने वालों के लिए कर्मचारी हितों को बैंक के दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य सृजन और सतत विकास के साथ संरेखित करने के लिए किया जाएगा।
- यह मिश्रण अल्पकालिक प्रेरणा और दीर्घकालिक जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है, तथा विनियामक आदेशों के अनुसार दोनों रूपों के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है।

ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रकटीकरण का प्रकार		जानकारी	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
मात्रात्मक प्रकटीकरण (आवरण पूरा समय निदेशक / प्रमुख कार्यकारी अधिकारी / भौतिक जोखिम लेने वाले)	क	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या तथा इसके सदस्यों को दिया गया पारिश्रमिक।	1 (बैठने का शुल्क ₹ 0.85 लाख)	5 (बैठने का शुल्क ₹ 2.20 लाख)
	ख	i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या।	शून्य	शून्य
		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान साइन–ऑन / ज्वाइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि।	शून्य	शून्य
		(iii) उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो विच्छेद वेतन का विवरण।	शून्य	शून्य

प्रकटीकरण का प्रकार		जानकारी	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
	ग	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयर, शेयर–लिंक्ड उपकरणों और अन्य रूपों में विभाजित। (ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।	शून्य शून्य	शून्य शून्य
	घ	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार की राशि का विभाजन, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय, आस्थगित और गैर–आस्थगित दर्शाया गया है।	69.40 लाख (तय)	79.21 लाख (तय)
			मैटेरियल रिस्क टेकर (एमआरटी) यानी एमडी और सीईओ को कोई परिवर्तनीय पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।	
	ङ	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि जो पूर्व स्पष्ट और/या अंतर्निहित समायोजनों के अधीन है। (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व स्पष्ट समायोजन के कारण कटौती की कुल राशि। (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोक्त अंतर्निहित समायोजनों के कारण कटौती की कुल राशि।	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
	च	पहचाने गए एमआरटी की संख्या.	शून्य	शून्य
		(i) ऐसे मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है। (ii) ऐसे मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है। (iii) ऐसे मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	छ	बैंक के लिए औसत वेतन (उपकर्मियों को छोड़कर) और उसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी का वेतन औसत वेतन से कितना भिन्न है।	₹ 1.51 लाख	₹ 1.32 लाख

24. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

बैंक 'पेमेंट्स बैंक' की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक ने प्रतिभूतिकरण से संबंधित कोई भी लेनदेन नहीं किया है।

25. अन्य प्रकटीकरण

क. व्यावसायिक अनुपात

	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	5.97%	5.60%
ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	5.45%	6.06%
iii)	जमा की लागत	2.00%	2.01%

iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन	4.79%	5.11%
v)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.43%	0.85%
vi)	संपत्ति पर वापसी	0.71%	0.32%
vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशि और अग्रिम राशि) (लाख रुपये)	1,094.19	664.68
viii)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (लाख रुपये)	7.57	1.97

i. अनुपातों की गणना के प्रयोजन के लिए, कार्यकारी निधि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत आरबीआई को प्रस्तुत फॉर्म एक्स की रिपोर्टिंग तिथियों के लिए गणना की गई कुल परिसंपत्तियों (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के मासिक औसत का प्रतिनिधित्व करती है।

ii. परिचालन लाभ प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले का वर्ष का लाभ है।

iii. उत्पादकता अनुपात वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होते हैं।

ख. बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	308007	175899
गैर–जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	167216	98035
पीएमजेजेबीवाई के वितरण से अर्जित कमीशन	694	646

ग. विपणन और वितरण

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	135	116
ऋण रेफरल से अर्जित कमीशन	9,331	3,087

घ. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

यह बैंक 'पेमेंट्स बैंक' की श्रेणी में आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होते हैं।

ङ. लेखा मानकों (इंड एएस) का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र, RBI/2015&16/315 DBR.BP.BC. संख्या 76/21-07-001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016, भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के अनुसार, बैंकों को सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों का पालन करेंगे, बशर्ते कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश या निर्देश का पालन किया जाए। भारत में बैंक वर्तमान में अपने वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार करते हैं। जनवरी 2016 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने नए भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप जारी किया, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण पर आधारित थे।

आरबीआई ने दिनांक 22/03/2019 की अधिसूचना संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018–19 के माध्यम से अगली सूचना तक भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अर्ध–वार्षिक आधार पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) प्रपत्र आरबीआई को प्रस्तुत कर रहा है। एक पेमेंट्स बैंक होने के नाते और वर्तमान व्यावसायिक मॉडल के आधार पर, आईपीपीबी को भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन में किसी बड़ी चुनौती की आशंका नहीं है।

च. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया है और इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट संरचना नहीं है। इसलिए, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

छ. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ 000 में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
क.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	147558	82548
ख.	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	.	.

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण।

अपनाई गई वेतन संरचना के अनुसार, बैंक की पारिवारिक पेंशन के प्रति कोई देयता नहीं है। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

झ. लघु और सूक्ष्म उद्योगों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान में देरी से संबंधित कुछ खुलासे करना आवश्यक है। सूक्ष्म या लघु उद्यमों को भुगतान में कोई देरी नहीं होती है। इसलिए, कोई ब्याज देयता नहीं है।

26. वित्तीय विवरणों में प्रमुख शीर्षकों का विवरण

आरबीआई के 13 दिसंबर 2022 के "वित्तीय विवरण – प्रस्तुति और प्रकटीकरण निर्देश 2021 – भौतिक वस्तुओं का प्रकटीकरण" के आधार पर, प्रमुख मदों का विवरण नीचे दिया गया है

क. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज (अनुसूची 14)

"अनुसूची 14 – अन्य आय" में उपशीर्षक "कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज" के अंतर्गत शामिल प्रमुख मदें, जो कुल आय के 1% से अधिक हैं, नीचे दी गई हैं;

(₹ 000 में)

आय से	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
खाता प्रबंधन सेवाएँ	6557837	3987151
एइपीएस से आय	1046966	701212
नागरिक सेवाएँ	798683	680001
प्रेषण आय	625482	506801

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण	552845	301211
तृतीय पक्ष वितरण	485383	277783
कुल	**10067196**	**6454159**

ख. विविध आय (अनुसूची 14)

'अनुसूची 14 – अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक 'विविध आय' के अंतर्गत ऐसी कोई भी मद नहीं है जो कुल आय के 1% से अधिक हो। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

ग. अन्य व्यय (अनुसूची 16)

बैंक पहले से ही अनुसूची 16 के अंतर्गत प्रमुख व्ययों को एक अलग पंक्ति मद के रूप में प्रकट कर रहा है। इसलिए, 'अनुसूची 16 – परिचालन व्यय' के अंतर्गत उपशीर्षक 'अन्य व्यय' के अंतर्गत कोई भी मद ऐसी नहीं है जो कुल व्यय के 1% से अधिक हो। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

घ. अन्य देयताएं और प्रावधान "अन्य (प्रावधानों सहित)"

"अनुसूची 5 – अन्य देयताएं और प्रावधान" में उपशीर्ष "अन्य" के अंतर्गत शामिल प्रमुख मदें, जो कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक हैं, नीचे दी गई हैं।

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
व्यय के लिए प्रावधान/विक्रेताओं को देय	5505325	4182588

ङ. अन्य संपत्तियाँ – "अन्य"

"अनुसूची 11 – अन्य परिसंपत्तियां" के अंतर्गत उपशीर्ष "अन्य" के अंतर्गत प्रमुख मदें, जो कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक हैं, नीचे दी गई हैं।

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
एनईएफटी/आरटीजीएस निपटान	शून्य	2246539

27. प्रायोजित ऑफ–बैलेंस शीट एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)।

यह प्रकटीकरण भुगतान बैंकों के लिए लागू नहीं है, और इसलिए इस खंड के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य नोटः

28. आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12)

क. बैंक के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे, सामान्य व्यावसायिक क्रम में कुछ कर्मचारियों और विक्रेताओं द्वारा दायर किए गए दावे हैं।

ख. विवादित कर देयताएं जीएसटी के अंतर्गत मांग को दर्शाती हैं जिसके विरुद्ध बैंक ने अपील दायर की है तथा आयकर के अंतर्गत मांग को दर्शाती हैं जिसके लिए बैंक ने सुधार हेतु आवेदन दायर किया है।

ग. अन्य आईपीपीबी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पक्ष में जारी बैंक गारंटी की राशि को दर्शाते हैं, जो 16 नवंबर, 2027 तक वैध है, तथा सावधि जमा के माध्यम से 100% सुरक्षित है।

29. शेयर पूंजी

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के माध्यम से ₹ 250 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 450 करोड़ जुटाए गए थे)

30. 12वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संशोधन

बैंक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा निर्धारित वेतन संरचना का पालन करता है। 17 मई 2024 को हुई बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 12वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों को लागू किया, जो नवंबर 2022 से देय थे। बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान नवंबर 2022 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ₹69.87 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया है।

31. निश्चित संपत्ति

31.1 कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिनके लिए बैंक ने आरएफपी की शर्तों के अनुसार आंशिक भुगतान कर दिया है और जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, उन्हें अनुसूची 10 – अचल संपत्तियों की मद IV 'प्रगतिशील पूंजीगत कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक द्वारा उपयोग में लाए जाने के बाद इन संपत्तियों का मूल्यह्रास किया जाएगा।

31.2 वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल संपत्तियों को पहचान के लिए ₹ 1 का नाममात्र मूल्य रखते हुए, अचल संपत्ति रजिस्टर में रखा जाता है।

31.3 31 मार्च 2025 तक अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है। इस संबंध में, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों को बट्टे खाते में डालने के लिए ₹1 करोड़ का प्रावधान किया है।

32. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी (गैर–डिजिटल) का 1 मामला घोषित किया है। बैंक ने धोखाधड़ी से होने वाली अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान किया है और उसके पास कोई अशोध्य प्रावधान नहीं है।

धोखाधड़ी और उसके लिए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है;

विवरण	वर्गीकरण	चालू वर्ष (2024–25)	पिछले वर्ष (2023–24)
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	गैर–डिजिटल	1	3
	डिजिटल धोखाधड़ी	15445	43018
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	गैर–डिजिटल	0.016	2.38
	डिजिटल धोखाधड़ी	3964	12176
ऐसी धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की गई राशि (₹ करोड़)	गैर–डिजिटल	0.016	2.35
	डिजिटल धोखाधड़ी	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत तक श्अन्य आरक्षित निधियोंश से डेबिट की गई अशोधित प्रावधान राशि (₹ करोड़)	गैर–डिजिटल	शून्य	शून्य
	डिजिटल धोखाधड़ी	शून्य	शून्य

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, बैंक ने गबन का एक मामला पहचाना। बैंक ने गैर–डिजिटल धोखाधड़ी मामले में आरबीआई को रिपोर्ट करने सहित सभी उचित कार्रवाई की है।

गबन के इस मामले की पहचान बैंक ने की और डाक विभाग (डीओपी) को इसकी जानकारी दी। बैंक और डाक विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों संगठन ऐसे मामलों की जाँच के लिए सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं। गबन की घटनाओं में, जब भी सूचना माँगी जाती है, डाक विभाग को उपलब्ध कराई जाती है और डाक विभाग अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर जाँच और रिपोर्टिंग करता है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान कुल 15445 डिजिटल धोखाधड़ी के मामले सामने आए। डिजिटल धोखाधड़ी के ये मामले बैंक के ग्राहकों द्वारा बताए गए अनधिकृत डेबिट लेनदेन के कारण हैं, और आगे आरबीआई को सूचित किए गए हैं।

33. डाक विभाग (डीओपी) के साथ लेनदेन

33.1 डाक विभाग का व्यवसाय संवाददाता के रूप में कार्य करना:

नवंबर 2022 के समझौता ज्ञापन के अनुसार , डाक विभाग आईपीपीबी के लिए कॉर्पोरेट बीसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें लगभग 1.55 लाख डाकघरों (आईपीपीबी के एक्सेस प्वाइंट के रूप में) के भौतिक बुनियादी ढांचे और विश्वसनीय जनशक्ति (जिसमें डाक सहायक, डाकिया और जीडीएस शामिल हैं) का लाभ उठाकर आईपीपीबी की सभी ग्राहक–संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो आरबीआई के दिशानिर्देशों और बीसी को नियुक्त करने के लिए स्पष्टीकरण के अनुरूप आईपीपीबी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता या अंतिम–मील एजेंट के रूप में भी काम करेंगे।

डाक विभाग की उपरोक्त सेवाओं के लिए, आईपीपीबी, डाक विभाग के माध्यम से आईपीपीबी द्वारा अर्जित राजस्व और डाक विभाग के कर्मचारियों सहित अंतिम–स्तरीय एजेंटों से प्राप्त राजस्व से जुड़ा एक कमीशन देगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कमीशन की दर प्रचलित बाजार दरों और प्रथाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी। डाक विभाग/ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को दिए गए कमीशन (प्रावधानों सहित) का लाभ–हानि खाते में प्रभारित विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
डीओपी को आयोग	550289	258295
जीडीएस को प्रोत्साहन	2045384	1099629

33.2 आईपीपीबी शाखाओं और एक्सेस प्वाइंट्स की फर्निशिंग/ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग सर्किलों को दी गई राशि:

आईपीपीबी ने वित्त वर्ष 2017–18 में डाक विभाग (डीओपी) के 23 सर्किलों को आईपीपीबी शाखाओं (₹ 16.81 करोड़) और सभी आईपीपीबी शाखाओं/डीओपी एक्सेस प्वाइंट्स अर्थात एचओ, एसओ और बीओ पर ब्रांडिंग (₹49.47 करोड़) के लिए ₹66.28 रुपये की राशि हस्तांतरित की थी।

31.03.2025 तक, डाक विभाग से ₹0.17 करोड़ के बिल/रिफंड अभी भी प्राप्त होने बाकी हैं, और इसे डाक विभाग (पूंजी प्रतिबद्धता) के अंतर्गत प्राप्य दिखाया गया है। चूँकि यह राशि 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, इसलिए बैंक ने लेखा पुस्तकों में समतुल्य राशि का प्रावधान किया है। बैंक ऊपर उल्लिखित शेष बिल/रिफंड प्राप्त करने के लिए डाक विभाग से नियमित रूप से संपर्क कर रहा है।

बैंक ने आईपीपीबी कार्यालयों की साज–सज्जा/नवीनीकरण गतिविधियों के लिए डाक विभाग को ₹0.21 करोड़ की राशि प्रेषित की है। चूँकि यह राशि लंबे समय से बकाया है, इसलिए बैंक ने ₹0.21 करोड़ का प्रावधान किया है।

33.3 आईटी 2.0 परियोजना के लिए डाक विभाग को बैंक की सेवाएं:

सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की 23 नवंबर 2021 को हुई बैठक में पीओएसबी सेवाओं को धीरे–धीरे आईपीपीबी में स्थानांतरित करने और बैंकिंग, बीमा एवं अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एकल आईपीपीबी संरचना की सिफारिश की गई। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई कि आईपीपीबी, डाक विभाग को आईटी 2.0 से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा और डाक विभाग, लागत–संबंधित डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, नेटवर्क, नेटवर्क (सेवाएं), डाक जीवन बीमा आदि के लिए आईटी 2.0 में से वास्तविक आधार पर आईपीपीबी को डाक विभाग के संचालन से संबंधित आईटी लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। इसका उद्देश्य दोनों संगठनों द्वारा आईटी अवसंरचना लागत में दोहराव से बचना था। इसका उद्देश्य ग्राहकों

को अधिक एकीकृत, समावेशी वित्तीय और अन्य सेवाएं प्रदान करना भी है।

उपरोक्त प्रस्ताव को फरवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उपरोक्त निर्णय को संभव बनाने के लिए, आईपीपीबी ने डीओपी आईटी 2.0 के अंतर्गत सेवाओं के साथ–साथ नए विकास कार्यों के लिए विक्रेताओं के साथ समझौते किए हैं। विक्रेता अपनी सेवाओं के लिए आईपीपीबी पर इनवॉइस जारी करते हैं। आईपीपीबी ने इन विक्रेताओं को अपने कोष से भुगतान किया है। पीआईबी के आदेशानुसार, डीओपी आईपीपीबी द्वारा भुगतान की गई राशि की वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति कर रहा है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, डाक विभाग ने आईपीपीबी को सूचित किया है कि डाक विभाग की आईटी परियोजनाओं (बैंकिंग और पीएलआई दोनों) को डाक विभाग चरणबद्ध तरीके से और समय–सीमा के अनुसार, जनता की सेवाओं में बाधा डाले बिना वापस ले लेगा। एटीएम अवसंरचना से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन आईपीपीबी द्वारा जारी रहेगा। डाक विभाग, आईपीपीबी द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति तब तक करता रहेगा जब तक कि डाक विभाग द्वारा परियोजनाओं को वापस नहीं ले लिया जाता।

डाक विभाग की ओर से आईपीपीबी द्वारा भुगतान की गई राशि, डाक विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि और डाक विभाग से प्रतिपूर्ति के लिए बकाया राशि नीचे दी गई है (जीएसटी को छोड़कर) और इसे अनुसूची 11 – अन्य परिसंपत्तियों के मद IX 'आईटी 2.0 के तहत डाक विभाग से प्राप्य' के अंतर्गत दिखाया गया है।;

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
डीओपी से प्राप्य आरंभिक शेष	952221	1081290
जोड़ें: डाक विभाग के अंतर्गत भुगतान की गई कुल राशि	2880500	1470209
घटाएँ: डीओपी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	2744294	1599278
डीओपी से प्राप्य समापन शेष	1088427	952221

आईटी 2.0 के तहत डाक विभाग से प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹128.43 करोड़ है

बैंक ने एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के विरुद्ध 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' के अंतर्गत विवेकपूर्ण आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान ₹39.91 करोड़ (वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹26.89 करोड़) का प्रावधान किया है। यह बैंक की 'आंतरिक/कार्यालय खाते खोलने एवं संचालन नीति' के अनुसार है, जो समय–समय पर संशोधित 'आंतरिक/कार्यालय खातों के संचालन' पर आरबीआई के परिपत्र के अनुरूप है।

विक्रेताओं को पेमेंट्स बैंक द्वारा अपनी निधि से किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ डाक विभाग ने अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई हो। जहाँ भी पेमेंट्स बैंक की अपनी निधि से किया जाता है, डाक विभाग से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में देरी होती है, जिसके प्रभाव का हिसाब नहीं रखा जाता। अग्रिम धनराशि प्राप्त होने पर, जिसका उपयोग बैंक द्वारा बाद में भुगतान के लिए किया जाता है, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, अप्रयुक्त राशि पर ब्याज का प्रावधान लेखा पुस्तकों में ₹1.85 करोड़ के बराबर किया जाता है।

सभी मुद्दों के समाधान के लिए बैंक और डीओपी का प्रबंधन समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

33.4 एटीएम

बैंक को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मेसर्स इंफोसिस से ₹1 प्रति एटीएम के नाममात्र मूल्य पर 999 एटीएम का स्वामित्व प्राप्त हुआ, जो पहले मेसर्स इंफोसिस और डाक विभाग के बीच पट्टे पर थे। बैंक डाक विभाग के एटीएम का प्रबंधन यथावत आधार पर कर रहा है। बैंक ने खुले आरएफपी के माध्यम से एक प्रबंधित सेवा विक्रेता को शामिल किया था।

इन एटीएम से प्राप्त सभी आय का लेखा केवल डाक विभाग की पुस्तकों में किया जाता है। डाक विभाग के खातोंध्जीएल का उपयोग एटीएम लेनदेन और समाधान के लिए किया जाता है। आईपीपीबी एसएलए, बीमा दावा, विवाद प्रबंधन और विक्रेता चालान प्रसंस्करण का प्रबंधन करता है। बैंक विक्रेता को भुगतान की गई राशि को 'डाक विभाग से प्राप्य' मानता है।

मार्च 2025 के दौरान, बैंक ने एक नए प्रबंधित सेवा विक्रेता के चयन हेतु एक नया आरएफपी जारी किया है। नए प्रबंधित सेवा विक्रेता को शामिल कर लिया गया है और परियोजना कार्यान्वयन चरण में है।

34. सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) लागतः

आईपीपीबी ने मेसर्स ईआईटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक अनुबंध प्रदान किया और ₹801.00 करोड़ (जीएसटी सहित) की राशि के लिए एक 'समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म' के कार्यान्वयन हेतु एक मास्टर सेवा समझौता (एमएसए) और एक सेवा स्तर समझौता (एसएलए) किया। अनुबंध अवधि 5 वर्ष है, जो 12 जुलाई, 2018 से प्रभावी है और 11.07.2023 को पूरी होगी।

समझौते के अनुसार, यह राशि समझौते की शर्तों के अनुसार वितरित/पूरी की गई उपलब्धियों के आधार पर 5 वर्ष की अनुबंध अवधि के भीतर देय/देय थी। इसलिए, विक्रेता भी आईपीपीबी को अपने चालान उसी के अनुसार भेजता है, अर्थात जब भी उपलब्धि पूरी होने पर भुगतान देय/देय हो।

हालांकि, विक्रेता ने समझौते में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया और दोषरहित सेवाएं प्रदान करने में भी विफल रहा। नतीजतन, इस तरह की देरी और दोषरहित प्रदर्शन की कमी के लिए ठेकेदार से जुर्माना/निर्धारित हर्जाना लगाया गया/वसूला गया। नतीजतन, बैंक ने 10.07.2023 की समाप्ति नोटिस के माध्यम से अनुबंध समाप्त कर दिया था और ठेकेदार द्वारा उठाए गए लगभग ₹ 163.47 करोड़ के बिलों पर विवाद किया गया और बैंक द्वारा रोक लगा दी गई है। बैंक ने विक्रेता से ₹ 62.27 करोड़ का जुर्माना वसूला और 31 मार्च 2023 तक ₹ 101.20 करोड़ (जुर्माने के बाद) का प्रावधान किया है। इसके अलावा, विक्रेता द्वारा जमा की गई प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी), जिसकी राशि ₹ 68.93 करोड़ है

विक्रेता ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 9 फरवरी 2024 के अपने आदेश द्वारा मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से मध्यस्थता के लिए भेज दिया। मामला वर्तमान में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

मुकदमे में विक्रेता द्वारा दावा की गई कुल राशि ₹424.36 करोड़ है। बैंक ने 'अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ' के अंतर्गत ₹254.23 करोड़ की राशि का खुलासा किया है, जो ऊपर उल्लिखित खातों में पहले से मौजूद देयताओं को समायोजित करने के बाद विक्रेता द्वारा दावा की गई राशि है।

35. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक को वित्त वर्ष 2024–25 में सीएसआर पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021–22, वित्त वर्ष 2022–23 और वित्त वर्ष 2023–24) का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक है।

36. निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 में बैठक शुल्क में वृद्धि के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है और प्रबंधन को इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के लिए बैठक शुल्क का बकाया चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी किया गया था। बैंक अभी भी इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है।

37. मद संख्या (IV) अनुसूची 5 के अंतर्गत, 'अन्य देयताएँ और प्रावधान' में 'विविध स्वीप आउट विफल पूल खाता' के अंतर्गत ₹0.92 करोड़ (31.03.2024 तक ₹1.21 करोड़) की राशि शामिल है, जो ₹2 लाख की सीमा से अधिक ग्राहक शेष राशि को दर्शाती है। बैंक की नीति के अनुसार, ब्याज ग्राहक को मूल्य तिथि के आधार पर जमा किया जाता है।

38. वर्ष के दौरान, बैंक ने नामांकन के आधार पर कुछ खरीदारियाँ की हैं (जिसमें डाक विभाग आईटी 2.0 भी शामिल है)। ये नामांकन बैंक की खरीद नीति में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किए गए।

39. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है तथा जहां भी आवश्यक हो, उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप स्थापित किया गया है।

ह०/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/–
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/–
(राजुल भट्ट)
निदेशक
(डीआईएन 10712466)

ह०/–
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/–
एमडी व सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/–
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष (डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते अंबानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट – एफआरएन 016923N

दिनांक: 20.06.2025
स्थान: नई दिल्ली

ह०/–
(हितेश अंबानी)
नामित भागीदार (सदस्यता सं 506267)

सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

AMG-1/DP/DoP/F-964/287

खालिद बिन जमाल, आई.ए.ए.एस
महानिदेशक
Khalid Bin Jamal, IA&AS
Director General

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार)
शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय) दिल्ली–110054
Office of The Director General of Audit (Finance & Communication)
Shamnath Marg, (Near Old Secretariat), Delhi-110054

दिनाँक / Dated 17.10.2025

सेवा में,

अध्यक्ष
भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि. ,
नई दिल्ली 110001

विषय: भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि. (IPPBL) के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया

महोदय,

I am to forward herewith comments of the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Annual Accounts of IPPBL for the year ended on 31st March 2025 for information and further necessary action.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(खालिद बिन जमाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

Tel.: +91-01123810312 / 2381 1134 | **Fax :** +91-011-2381 8228 | **E-mail :** jamalKB@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIA POST PAYMENT BANK FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

The preparation of Financial Statements of India Post Payment Bank (IPPB) for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20.06.2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of IPPB for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company Personnel, and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention, and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

COMMENT ON FINANCIAL POSITION

Balance Sheet-Assets
Other Assets: Rs.599.07 crore (Schedule-11)
Deferred Tax assets (net) Rs.63.66 crore

The above head is understated by an amount of Rs.11.62 crore due to non-inclusion of the provisions for doubtful debts while calculating the deferred tax.

This has also resulted in the understatement of the net profit by the same amount.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Delhi
Date: 17.10.2025

(Khalid Bin Jamal)
Director General of Audit
(Finance & Communication)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के खातों पर टिप्पणियाँ दी हैं, और उन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर (प्रत्युत्तर) नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

संदर्भ	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन की उत्तर
1	तुलनपत्र – परिसंपत्तियाँ अन्य परिसंपत्तियाँः ₹599.07 करोड़ (अनुसूची–11) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल): ₹63.66 करोड़ उपरोक्त मद में ₹11.62 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई है क्योंकि स्थगित कर की गणना करते समय संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया। इससे निवल लाभ भी उतनी ही राशि ₹11.62 करोड़ से कम दर्शाया गया है ।	"ए.एस. 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार, स्थगित कर (Deferred Tax) को सभी समयांतरों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए, बशर्ते कि स्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में सावधानी का ध्यान रखा जाए। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान डीओपी आईटी 2.0 के लिए ₹39.91 करोड़ का प्रावधान किया है, जो बैंक की आंतरिक लेखा नीति के अनुसार सावधानीपूर्वक एक वर्ष से अधिक समय से बकाया था। भविष्य में इस बकाया राशि की वसूली में कोई अनिश्चितता नहीं थी। चूंकि यह प्रावधान अल्प अवधि में वसूल किए जाने की पूर्ण निश्चितता के साथ बनाया गया था, अतः तुलनपत्र की तिथि पर कोई स्थगित कर परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं की गई। अतः, ₹11.62 करोड़ की निवल लाभ में किसी प्रकार की कम दर्शाई गई राशि नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड,
डाकघर, स्पीड पोस्ट सेंटर भवन मार्केट रोड,
नई दिल्ली – 110001

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (CIN: U74999DL2016GOI304561) (आगे "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार संचालित की गई, जिससे हमें कंपनी के कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

क. कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि ('लेखा परीक्षा अवधि') के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं, जो कि इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

ख. हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तकय (कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी नहीं थी);

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

(vi) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनी के अनुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने, प्रबंधन द्वारा पहचाने और पुष्टि किए गए उन अधिनियमों, कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों का, जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं, उनकी लागू सीमा तक सामान्यतः अनुपालन किया है, जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

क. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

ख. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

ग. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 के साथ पढ़ा जाए

घ. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम

ङ. मध्यस्थों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खातों के उद्घाटन एवं संचालन और भुगतानों के निपटान हेतु दिशा–निर्देश, जो भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 24 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के माध्यम से जारी किए गए थे

ग. हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

i भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में सचिवीय मानक।

ii कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते। (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

घ. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी, जैसा कि भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों और कंपनी के एसोसिएशन के अंतर्नियमों में निर्धारित किया गया था।

ङ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

i कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में पैरा डी में उल्लिखित। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

ii बोर्ड की बैठकों को शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कुछ मामलों में बोर्ड की सहमति से नोटिस और एजेंडा पेपर कम समय के नोटिस के साथ भेजे जाते थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

iii बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

च. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए अभिलेखों तथा विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी में कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

छ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएँ हुईं, जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर पड़ा:

क) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को अधिकार निर्गम के आधार पर 10/– रुपये मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

नोट:

क) इस रिपोर्ट को हमारे सम संख्या के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते **वीएपी और एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
एफआरएन : P2023UP098500
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

पारुल जैन
प्रबंध भागीदार
एम. नं. F8323
सीपी नं. 13901
यूडीआईएन: F008323G001667035

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 28.10.2025

अनुलग्नक–'क'

सेवा में
सदस्यगण,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का संधारण (रखरखाव) कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर एक मत (राय) व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखा परीक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाई हैं जो सचिवीय अभिलेखों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन परीक्षण आधार (test basis) पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों का प्रतिबिंब हो। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ अपनाई हैं, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
4. हमारी लेखा परीक्षा की जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालनों तक सीमित रही है; हमने उनके व्यावहारिक पक्षों की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता की, और साथ ही कंपनी द्वारा विभिन्न खुलासों और रिटर्नों में रिपोर्ट किए गए मूल्यों एवं आंकड़ों की सही होने की पुष्टि नहीं की है, यद्यपि हमने उन रिटर्नों में दी गई जानकारी पर एक सीमा तक भरोसा किया है।
6. कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों कृ जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों – के अनुपालन की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है, क्योंकि इनकी समीक्षा पहले से ही वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की जाती है। अतः इस रिपोर्ट की सामग्री को अन्य लेखा परीक्षकों/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा कंपनी के संबंध में प्रस्तुत या प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में किए गए अवलोकनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि उनसे पृथक।
7. लेखा परीक्षा में निहित सीमाओं – जैसे आंतरिक, वित्तीय, और परिचालन नियंत्रणों – के कारण, यह एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतियाँ या गंभीर गैर–अनुपालन भले ही लेखा परीक्षा सही ढंग से योजनाबद्ध और निष्पादित की गई हो, फिर भी पकड़े न जा सकें।
8. जहाँ आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन के अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।
9. यह सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य में स्थिरता का कोई आश्वासन है और न ही यह इस बात का प्रमाण है कि कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का संचालन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता से कर रहा है।

कृते वीएपी और एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएनः P2023UP098500
सहकर्मी समीक्षा संख्याः 1083/2021

पारुल जैन
प्रबंध भागीदार
एम. नं. F8323
सीपी नं. 13901
यूडीआईएनः F008323G001667035

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 28.10.2025

व्यापक समावेशन
उद्देश्यपूर्ण नव-परिवर्तन